# लोक-सभा
# वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड १३, १९६३ / १८८४ (शक)

१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३ / २९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumigated 18·10·73

चौथा सत्र, १९६३/१८८४ (शक)

(खण्ड १३ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

# विषय-सूची

**तृतीय माला, खण्ड १३—अंक १ से १०—१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३/२९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)**


**अंक १—सोमवार, १८ फरवरी, १९६३/२९ माघ, १८८४ (शक)**

निधन सम्बन्धी उल्लेख

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डालना तथा सदन से बाहर चले जाना १–३

राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया ४–९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०–११

बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना १२

संविधान संशोधन विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना १२–१३

दैनिक संक्षेपिका १४–१६


---


**अंक २—मंगलवार, १९ फरवरी, १९६३ / ३० माघ, १८८४ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ६, और ९ से १२ १७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७, ८, १३ से २७ और ३० ४२–५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५० ५१–७२

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हुई घटना के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ७२

जमुना कोयला खान में हुई दुर्घटना ७२–७४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७४–७७

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ ७७

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०–६१ ७७

कार्य मंत्रणा समिति ७७

बारहवां प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ७८

बाईसवां और तेईसवां प्रतिवेदन

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक–पुरस्थापित ७८

रेलवे आय-व्ययक, १९६३–६४—उपस्थापित

श्री स्वर्ण सिंह ७८–१००

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों द्वारा किये गये

व्यवहार की जांच के लिये समिति १००–०१

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक १०१

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०१–०४

खंड २ और १ १०४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १०४

कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक १०५–११९

विचार करने का प्रस्ताव

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव ११९–२८

दैनिक संक्षेपिका १२९–३६

---

अंक ३—बुधवार, २० फरवरी, १९६३/१ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१ से ४२ १३६–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५५ १६२–७०

आतारांकित प्रश्न संख्या ५१ से ८६, ८८, ८९, ९१ और ९२ १७०–८६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १८७

कारीगरी और स्वर्णकारों में कथित बेकारी

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८७

प्राक्कलन समिति १८७–८८

चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन

सभापति तालिका १८८

कार्य मंत्रणा समिति १८८

बारहवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १८९–२३४

दैनिक संक्षेपिका २३५–३८

---

अंक ४—शुक्रवार २१ फरवरी १९६३ / २ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . २३९—६४

तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से ७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८२ . . . २६५—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४ से १०० और १०२ से १२४ . २७२—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २८५—८७

अमरीका तथा राष्ट्रमंडल के संयुक्त वायु सेना के शिष्टमंडल का भारत आगमन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ . . . २८७

लोक लेखा समिति . . . . . २८७

छठा प्रतिवेदन

सोना नियंत्रण सम्बन्धी भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियमों के बारे में याचिका . २८७

संघ राज्य क्षेत्रों का शासन विधेयक—पुरस्थापित . . . २८७

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . २८८—३१५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१६—१९

अंक ५—शुक्रवार २२ फरवरी, १९६३ / ३ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९४, ९६ से ९९ और १०१ से १०४ . ३२१—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ और १०० . . . ३५२—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५ से १२९, १३१, १३३ से १४८ और १५० . ३५३—६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३६४—६५

प्रस्तावित मलयेशिया संघ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६५—६७

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा पटल पर रखी गई . . . . ३६८

प्राक्कलन समिति

बारहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन . . . . . ३६८

सभा का कार्य . . . . . ३६८

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . . ३६९—८६

विधेयक पुरस्थापित — . . . . . ३८६—८७

(१) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक ( धारा १३ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का ]

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक, (धारा २ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]

(३) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध (संशोधन) विधेयक (नई धारा ७क का रखा जाना) [श्री च० का० भट्टाचार्या का]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, (धारा ४ और ६ का संशोधन) . ३८७—९८ [श्री श्याम लाल सर्राफ का]

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

सिनेमा फिल्मों की (अधिकतम ) लम्बाई विधेयक [श्री रामेश्वर टांटिया का ] ३९८—४०८

विचार करने का प्रस्ताव

बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) . ४०८ [श्री दी० चं० शर्मा का]

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . . ४०८

कार्य मंत्रणा समिति . . . . . ४०८

तेरहवां प्रतिवेदन

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४०९—१४

**अंक ६—सोमवार २५ फरवरी १९६३ / ६ फाल्गुन १८८४ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०५ से ११४ . . . ४१५—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११५ से १३२ . . . ४४०—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १७६ और १७८ से १९५ . ४५३—७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ४७१—७२

(१) मिलिटरी लाइन्स, सागर में पानी की एक टंकी का फट जाना

(२) बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और वहां के भारतीय बैंकों पर उसके प्रभाव

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ४७२

कार्य मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन . . . . . ४७३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ४७३—५३१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३२—३६

अंक ७—बुधवार २७ फरवरी १९६४ / ८ फाल्गु १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १३४, १४८ और १३५ से १४३ . ५३७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १४७ और १४९ से १५२ . ५६२—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १९६ से २३३ . . . ५६५—८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५८०—८४

(१) १८ फरवरी को गंगा नदी के पानी के भारतीय भाग में पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र पुलिस का कथित अनधिकृत प्रवेश

(२) बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीय करण के बारे में वक्तव्य

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ५८४—८५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन . . . . . ५८५

निर्यात के लिये भेजे जाने वाले सामान पर भाड़े की रायायत के बारे में वक्तव्य . ५८६

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ५८७—६३४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३५—३९

अंक ८—गुरुवार २८ फरवरी १९६३ / ९ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५३ से १६६ . . . ६४१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ६६७—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६७ से १७० और १७२ . . ६६९—७१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३४ से २३९ और २४१ से २६० . ६७१—८३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६८३—८४

समुद्रीय बीमा विधेयक . . . . . ६८५

संयुक्त समिकिता प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति . . . . . ६८५

तेरहवां और बीसवां प्रतिवेदन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३ . . ६८६—९८

कृषि पुदर्वित निगम विधेयक . . . . ६९८—७२४

विचार करने का प्रस्ताव

खंड २ से ४७ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

सामान्य आय-व्ययक, १९६३-६४—उपस्थापित . ७२४—४७

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ७४८—४९

(१) वित्त विधेयक, १९६३

(२) अधिलाभ कर विधेयक, १९६३

(३) अनिवार्या जमा योजना विधेयक, १९६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ७५०—५४

शुक्रवार, १ मार्च, १९६३/१० फाल्गुन, १८८४ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

डा० राजेन्द्र प्रसाद का निधन . . . ७५५—५९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ७६०

अंक १०—शनिवार २ मार्च १९६३ / ११ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से २०६ और २०९ . . ७६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७३ से १९३, २०७, २०८ और २१० से २२२ ७८७—८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६२, २६४, २६६, २६७, २६९ से ३७० और ३७२ से ३९० . ८०२—५९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मनीपुर के रास्ते भारत में आगा विद्रोहियों का कथित प्रवेश . . ८५९—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८६१—६३

राष्ट्रपति का संदेश . . . . . ८६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण की जांच करने वाली समिति . . . . . ८६४

प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . ८६४

राज्य सभा से संदेश . . . . . ८६४

सभा का कार्य . . . . . ८६४–६५

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३—पुरस्थापित . . ८६५–६६

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . ८६६—८६

दैनिक संक्षेपिका

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—2961 (Ai) LSD—11-5-63—160.

# लोक-सभा

बुधवार, २७ फरवरी, १९६३

८ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### रेंड़ बांध

+

†*१३३. श्रीमती सावित्री निगम ।
श्री विश्वनचन्द्र सेठ :
श्री म० ला० त्रिवेदी
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बृज राज सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह
श्री विश्राम प्रसाद
श्री हेडा :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्रीमती जमुना देवी

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेंड़ बांध के पानी और बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य

†मूल अंग्रेजी में



2880 (Ai) LSD—1.

प्रदेश में बांटने के प्रश्न पर विचार करने के लिये मध्य क्षेत्रीय परिषद् की एक बैठक २९ जनवरी, १९६३ को भोपाल में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक ३० जनवरी, १९६३ को भोपाल में हुई थी। रेंड़ बांध की बिजली को उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में बांटने के प्रश्न पर इसकी स्थगित बैठक में जो १९ और २० फरवरी, १९६३ को नई दिल्ली में हुई थी, आगे विचार विमर्श किया गया। इस मामले की जांच करने के लिए सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के सचिव, श्री एम० आर० सचदेव के सभापतित्व में नियुक्त की गई। समिति की बैठक अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के लिए १८ मार्च को फिर होगी।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं और इसकी आगामी बैठक किस तारीख को होगी ?

†**श्री हजरनवीस** : प्रश्न के अन्तिम भाग के बारे में मैं बता चुका हूं कि उनकी बैठक १८ मार्च को होगी। निर्देश-पद निम्न हैं : (क) रेंड़ बांध से मध्य प्रदेश को कितनी बिजली दी जाये ; (ख) रेंड़ बांध की बिजली कितने मूल्य पर दी जाये ; (ग) माताटीला बांध की बिजली का कुछ भाग मध्य प्रदेश को देना ; और (घ) उत्तर प्रदेश के इंजिनीयरों द्वारा मध्य प्रदेश में गांवर जलाशय तथा केन नहर से सिंचाई करने की संभावनाओं की जांच करना।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या इस बैठक में कोई निश्चय हुआ था? यह समाचार कहां तक ठीक है कि मध्य प्रदेश ने १५ प्रतिशत भाग केवल बिजली में ही नहीं. . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका निश्चय करने के लिए उनकी बैठक फिर हो रही है। अतः वह अभी यह बात कैसे कह सकते हैं ?

**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि अभी हाल में क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के बीच में एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में ? यदि हां, तो उस में क्या क्या बातें तय हुईं, और कौन सी बात मध्य प्रदेश मांगता है और जिस को उत्तर प्रदेश मानने के लिये तैयार नहीं है ? यानी प्वाइंट आफ डिस्प्यूट क्या है ?

**श्री हजरनवीस** : उन में जो मतभेद थे वे इस बारे में थे कि मध्य प्रदेश को कितनी बिजली दी जाय और किस भाव से दी जाय।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं ने पूछा था कि अभी हाल में दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें मध्य प्रदेश ने कितनी मांग की है।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बतलाया कि कौन कौन सी बात हुई थी। किस ने क्या कहा और किस ने क्या नहीं माना।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं ने पूछा था कि दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी . . .

**अध्यक्ष महोदय** : यही था कि शेअरिंग आफ एलेक्ट्रिसिटी में कितना कितना हिस्सा हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री म० ला० द्विवेदी** : अभी जो मीटिंग दिल्ली में हुई थी जिस में मुख्य मंत्री मिले थे, मैं ने उस के बारे में पूछा था। उस में क्या हुआ यह मालूम नहीं हुआ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अभी मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह अभी जो मीटिंग हुई थी उस के ही बारे में है।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, यह बात कहां तक सत्य है कि दिल्ली में जब दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री मिले थे उस समय उस समिति ने एक सर्वसम्मत रिपोर्ट दी थी, और यह तय हुआ था कि अगर यह एक्स्पर्ट कमेटी सर्वसम्मति से रिपोर्ट देगी तो दोनों राज्यों की सरकारें उसे मान लेंगी, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश की सरकार ने उस से इन्कार कर दिया ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों को इस मतभेद को और बढ़ाने में मदद नहीं करनी चाहिये।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या पिछली बैठक के परिणामस्वरूप कोई निश्चित प्रस्ताव दोनों राज्य सरकारों को विचारार्थ भेजे गये हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वस्तुतः दोनों मुख्य मंत्री मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में मिले थे और उन्होंने निश्चय किया था कि अधिकारियों की एक समिति बनाई जानी चाहिये। उस समिति की दो या तीन बैठकें हुई हैं। उन्होंने कुछ प्रस्ताव निश्चित किये हैं परन्तु प्रस्तावों पर पूरा एकमत नहीं है। अतः उनकी बैठक १८ तारीख को फिर होगी।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या इस मामले में किन्हीं सुनिश्चित सिद्धांतों के बारे में निश्चय होगा ताकि वे अन्य ऐसे ही मामलों में प्रयोग किये जा सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य बातें नहीं आनी चाहियें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार इस विवाद से शिक्षा ग्रहण करेगी और जल तथा विद्युत् सम्बन्धी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की जांच करने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सर्वथा भिन्न बात है।

†**श्री त्यागी** : इस परियोजना को आरम्भ करने से पहिले ये सब मतभेद क्यों दूर नहीं किये गये ? क्या भविष्य में ऐसी कोई परियोजना आरम्भ करने से पहिले सारे मतभेद या विवाद तय करने की सरकार की नीति है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वस्तुतः परियोजना के आरम्भ होने से पहिले सभी बातों को तय कर लेना इतना आसान नहीं है। परन्तु साधारण रूप में अब सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय प्रत्येक परियोजना के ब्यौरे की जांच पड़ताल करता है और यदि अन्य राज्यों का उससे सम्बन्ध होता है तो जल तथा विद्युत् के संभरण सम्बन्धी सभी मामलों पर पूर्णरूप से विचार किया जाता है। इतने पर भी, जैसा कि त्यागी जी जानते हैं, यह रेंड बांध परियोजना बहुत पुरानी परियोजना है और इस बीच राज्य का पुनर्गठन हो गया है। पहिली बार जब इस परियोजना पर विचार किया गया था, उस समय विन्ध्य प्रदेश सरकार थी। अतः, यह कठिनाई उत्पन्न हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री विश्राम प्रसाद** : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का नाम प्रश्नों में रहता है, लेकिन हमें बार-बार खड़ा होने पर भी समय नहीं मिलता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अफसोस है । मेरे दिल में ऐसी बात नहीं है कि आप का नाम देख कर भी मैं आप को समय न दूं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इसके साथ प्रश्न संख्या १४८ भी लिया जा सकता है ।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि प्रश्न संख्या १४८ को भी इस के साथ ले लिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या दोनों एक साथ लिये जा सकते हैं ?

†**श्री हजरतवीस** : जी हां ।

**भारत में नजरबन्द चीनी**

\+

†*१३४. { **श्री द्वा० ना० तिवारी** :
**श्री विभूति मिश्र** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चीनी नजरबन्दों की संख्या कितनी है जिन्होंने स्वदेश वापस जाने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) उन्हें स्वदेश वापस भेजने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)**: (क) ख्याल है कि यह बात उन चीनी राष्ट्रजनों के बारे में है जिन्हें विदेशी अधिनियम, १९४६ के उपबन्धों के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है । चीन वापस जाने की इच्छा प्रकट करने वालों की संख्या १४४३ है ।

(ख) प्रबन्ध अभी निश्चित नहीं हुआ है ।

**चीनी राष्ट्रजन**

\+

*१४८. { **श्री भक्त दर्शन** :
**श्री भागवत झा आजाद** :
**श्री म० ला० द्विवेदी** :
**श्रीमती सावित्री निगम** :
**श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री रघुनाथ सिंह** :
**श्री मरंडी** :
**श्री कृष्णदेव त्रिपाठी** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने चीनी राष्ट्रजन नजरबन्द किये गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे कितने नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) केन्द्रीय नजरबन्दी कैम्प, देवली में १८ फरवरी, १९६३ तक नजरबन्द किये गये चीनी राष्ट्रजनों की संख्या २१,१६५ है । इसके अतिरिक्त असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की स्थानीय जेलों में १४३ व्यक्ति नजरबन्द हैं ।

(ख) चीन वापिस जाने के लिए राजी व्यक्तियों को रिहा करने तथा स्वदेश पहुंचाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : जिन चीनी नजरबन्दियों ने चीन वापस जाने की इच्छा प्रकट की है उन्हें चीन वापस भेजने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री हजरनवीस** : चीन सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि वह जहाज भेजेगी, परन्तु अभी तक इस बारे में कोई विस्तृत प्रस्ताव नहीं आया है कि जहाज कब आयेंगे । जब वे आ जायेंगे, तब हम निश्चय ही आवश्यक प्रबन्ध कर देंगे ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या अनेक नजरबन्दियों ने भारत पर चीन के आक्रमण के विरुद्ध अपनी नफरत जाहिर की है और क्या उनके मामलों पर विचार किया गया है ?

†**श्री हजरनवीस** : सरकार उनके मत सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं समझती ।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि जो चीनी भारत में नजरबन्द हैं उनमें से अधिकांश ने इच्छा प्रकट की है कि उन्हें साम्यवादी चीन में न भेजा जाय ? क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश डाला जायेगा ?

**श्री हरजनवीस** : २,००० लोगों में से १४०० लोगों ने कहा है कि वे साम्यवादी चीन में जायेंगे । करीब-करीब २१०० लोग नजरबन्द हैं, उन में से १४०० ने कहा है कि वे साम्यवादी चीन में जायेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : जो नहीं जाना चाहते हैं ।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, मैं ने पूछा था कि कितने लोग हैं जो कि नहीं जाना चाहते हैं और उनकी क्या व्यवस्था की जा रही है ?

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे भी कोई हैं जिन्होंने यह कहा हो कि वे साम्यवादी चीन में नहीं जायेंगे ? उन के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री )** : हम लोगों ने निश्चित सवाल पूछा था कि जितने जाना चाहते हैं । जिन्होंने कहा है कि हम जाना चाहते हैं, उन का इन्तजाम किया जायेगा । जो नहीं जायेंगे उन के मामले में आगे विचार करना होगा ।

**श्री मु० सिं० मुसाफिर** : जो नहीं जाना चाहते हैं उन का क्या फ्यूचर होगा ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं ने कहा कि इस सवाल पर हम फिर गौर करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ चीनी नजरबन्दियों ने आसाम में अपने भारतीय सम्बन्धियों को लिखा है कि उनका बहुत ध्यान रखा जाता है और वे नजरबन्दी शिविर में बहुत अच्छी तरह है, और यदि हां, तो क्या यह बात चीन को बताई गई है जिसने इन लोगों का दमन किये जाने की शिकायत की है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस बारे में चीन का कहना सर्वथा ग़लत है । मुझ हर्ष है कि एक विरोधी नेता यह महसूस करते हैं कि उनके लिए किये गये प्रबन्ध बहुत सन्तोषजनक हैं क्योंकि स्वयं नजरबन्दियों ने अपने संबंधियों को लिखा है । अतः मैं ने कहा था कि चीन जो कह रहा है वह प्रोपगन्डा मात्र है । नजरबन्दियों की कठिनाइयों के बारे में उनका कहना निराधार है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या चीन सरकार का ध्यान शिविरों में या अन्यथा नजरबन्द चीनियों को इस कथन की ओर आकर्षित किया गया है कि उनका बहुत ध्यान रखा जाता है और उन्होंने जो प्रोपगन्डा आरम्भ किया है, वह सर्वथा झूठा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इसका उत्तर पहिले ही दे चुका हूं और यह बात चीन सरकार को भी बता दी गई है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास संस्था भी इन शिवरों का निरीक्षण करती है और, यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास संस्था का क्या मत है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वे शिविर में आवश्य गये थे । पूर्णरूपेण वे प्रबन्ध से सन्तुष्ट थे । उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे । हमने वे मान लिये हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या नजरबन्द इन चीनियों में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो लद्दाख क्षेत्र से नजरबन्द किया गया था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे खेद है कि मैं यह जानकारी नहीं दे सकता ।

**श्री बेरवा** (कोटा) : क्या इन लोगों को आम बंदियों से ज्यादा सहूलियत दी जा रही है, यदि हां, तो क्या दी जा रही है ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इस का जवाब पहले श्री कामत के सवाल के ऊपर दे चुका हूं । कोई ज्यादा अलग रिआयत नहीं कुछ मामूली थोड़ी सी २५–३० पैसे की ज्यादा रिआयत है लेकिन ऐसी बात क्यों है इस का जवाब मैं पहले दे चुका हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच नहीं है कि इन नजरबन्दियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर गुप्तचरी करने का सन्देह है और यदि हां, तो क्या उन पर मुकद्दमा चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**जन-शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम**

+

†*१३५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने प्रतिरक्षा तथा योजना के मुख्य खंडों की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षित जन-शक्ति सुनिश्चित करने के लिये जन-शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से "थैकर समिति" नामक एक प्राविधिक जन-शक्ति समिति गठित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष सुझाव दिये हैं ; तथा उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) हां ।

(ख) समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने इंजिनीयरी दस्तकारों, वायरलेस आप्रटरों, रेडियो मिस्त्रियों, मोटर ड्राइवरों और सहायक नर्सों के लिए तेजी से पूरे होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्वीकृति दी थी और पाठ्यक्रमों को तेजी से पूरा करने तथा इंजिनीयरी और डाक्टरी के स्नातकों तथा डिप्लोमाकारियों को उत्पत्ति बढ़ाने के लिए व्यावसायिक या शैक्षणिक निकायों के परामर्श से अनेक कार्यवाही की थीं ।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : इस समिति की एक मुख्य सिफारिश यह प्रतीत होती है कि डाक्टरों तथा इंजिनीयरों के लिए प्रशिक्षण काल कम कर दिया जाय । यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो क्या इससे इन उच्चतम टेक्निकल व्यवसायों में कार्य कुशलता कम नहीं होगी ?

†**श्री हजरनवीस** : समिति ने इस मामले के इस पहलू पर विचार किया था । उन्होंने महसूस किया कि कार्यकुशलता में पर्याप्त कमी किये बिना अवधि कम की जा सकती है । कुछ भी हो, अन्त में यह मामला विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक निकायों को तय करना है । सरकार को पूर्ण विश्वास है कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : इस बात का ध्यान रखकर कि देश दस्तकारों की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए और अनेक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें खुलेंगीं, सरकार इन संस्थाओं को सुप्रशिक्षित अध्यापक देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह बात मुख्य योजना का एक अंग है। प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण योजना के अंग हैं। हम संस्थायें स्थापित कर रहे हैं। वस्तुतः सभी राज्य सरकारों से टेक्निकल समिति के विभिन्न प्रस्तावों को, जिसके सभापति प्रो० थैकर थे, कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। उदाहरणार्थ दस्तकारों के लिये उन्होंने सुझाव दिया है कि लगभग ६०,००० इंजिनीयरी दस्तकारों को प्रशिक्षण देना होगा और उनका पाठ्यक्रम लगभग छः मास का होगा। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य के लिए, एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया गया है और राज्य सरकारें इस योजना को लागू कर रही हैं।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या मैं जान सकता हूं कि संकट काल की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह जनशक्ति प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है इस को शीघ्र से शीघ्र कब से आप कार्यान्वित कर सकेंगे ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जनशक्ति—मैं समझा नहीं। यह तो इस के लिए है जो खास तौर पर इंजीनियर्स और डाक्टरों की कमी पड़ रही है उस को पूरा करना है उस के लिए जैसा मैं ने कहा स्टेट गवर्नमेंटस को यह स्कीम भेजी जा चुकी है। उन्होंने स्कूल खोले हैं या अपने कालेजों में नम्बर बढ़ाया है। वह काम शुरू तो हो गया है मगर उसे बहुत तेजी से करना है और क जिम्मेदारी से आगे करना है।

†**श्री दलजीत सिंह** : किस-किस राज्य ने केन्द्र से सुविधायें मांगी हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : राज्य सरकारों ने केन्द्र से कोई विशेष सुविधाय नहीं मांगी हैं।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : क्या इन योजनाओं का सारा व्यय राज्य सरकारों को उठाना होगा या यह क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों मिलकर उठायेंगी और यदि हां तो किस प्रतिशत तक ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकार से भार उठाने के लिए क्यों कहते हैं ? राज्य सरकारों को प्रार्थना करने दीजिये।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि यह जन-शक्ति समिति ने इस उद्देश्य से इंजिनीयरी शिक्षा के पुनर्गठन की सिफारिश की है कि संकट के परिणामस्वरूप उत्पन्न अभाव तथा अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के बीच सन्तुलन किया जा सके ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हां उन्होंने यह किया है। उन्होंने संकट के संबंध में प्रत्येक बात पर साधारण रूप में विचार किया है। अतः उन्होंने प्रशिक्षण की अवधि कम करने का सुझाव दिया है। जैसा कि मेरे सहकर्मी ने कहा स्वाभावतः विश्वविद्यालयों तथा अन्य निकायों से परामर्श करना होगा यद्यपि भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों ने वे प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं। अतः हमें उस समिति से सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं।

**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या इस प्रशिक्षण कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति रिटायर हो चुके हैं उन की सेवा से लाभ उठाया जा सकता है यदि ऐसा हो तो उसके लिए आप क्या यत्न कर रहे हैं ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी हां, पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। इतना ही नहीं कि जो अभी रिटायर हुए हैं उन की सेवा से लाभ उठाया जाय बल्कि यह भी कहा है कि जिनकी उम्र ६० व से ऊपर है वह भी अगर ट्रेनिंग के काम में आना चाहेंगे तो उनको भी हम लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : क्या कुछ विशे कार्यवाही करने और विस्थापित सुनारों को सुविधायें देने का विचार है ताकि वे कई प्रकार के आभू ण बनाने में कुछ प्रशिक्षण ले सकें और अनेक अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार पा सकें ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यदि वे डाक्टर या इंजिनीयर बनना चाहते हैं तो निश्चय ही हम उनका स्वागत करेंगे ।

†श्री रंगा : मैं औद्योगिक क्षे की बात कर रहा हूं ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या थैकर समिति की बाकी सिफारिशों पर बाद में विचार किया जायेगा ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हां, यह स्थायी समिति है और वे अ ने प्रस्ताव समय-समय पर देते रहेंगे और निश्चय ही े प्रस्ताव कार्यान्वित किये जायेंगे । हां, सरकार को समिति की सिफारिशों पर अन्तिम मत देना होगा, और तब लागू होंगी ।

†डा० सरोजिनी महिषी : चिकित्सा स्नातकों के शिक्षण की अवधि कम करने तथा उनकी ग्रामीण सेवा से प्रतिबन्ध हटाने के बारे में थैकर समिति के प्रस्तावों पर विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक डाक्टरों का संबंध है, भारतीय चिकित्सा परिषद् और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है । इस बारे में चिकित्सा परिषद् और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों और चिकित्सा कालेजों को सूचित कर दिया है ।

## दक्षिण भारत में हिन्दी

\+

*१३६. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य के लिये यदि सरकार ने कोई धनराशि आवंटित की है तो कितनी ;

(ग) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार के लिये कोई विस्तृत योजना बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या दक्षिण भारत में हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय खोलने की प्रस्थापना अभी भी विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ) . विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ८६१/६३]

†मूल अंग्रेजी में

**अध्यक्ष महोदय** : इस को अंग्रेजी में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब यह कहा जाता है कि एक विवरण टेबल पर रख दिया गया है तो उसको हर एक माननीय सदस्य समझ सकता है ।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : शिक्षा मंत्री जी ने संसद् के पिछले अधिवेशन में इस प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि दक्षिण भारत के जितने भी विद्यालयों और महाविद्यालयों में हिन्दी चल रही है, उनके हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रगति देने के लिए केन्द्रीय सरकार और विचार कर रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, केरल यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और मैसूर यूनिवर्सिटी, इन चार यूनिवर्सिटीज को ग्रान्ट्स देता है। उनमें हिन्दी डिपार्टमेंट्स नियुक्त किये गए हैं, उनके लिए और रिसर्च वगैरह के लिए ग्रान्ट्स दी जाती है।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : शिक्षा मंत्री ने बताया था कि मैसूर राज्य ने गुलबर्गा में हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय खोलने का अनुरोध किया था और इसी प्रकार की चर्चा आन्ध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के लिए भी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अभी तक वे सुझाव विचाराधीन हैं या निर्णय की कोटि में पहुंच चुके हैं ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक हिन्दी विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है उसके बारे में विचार किया गया है और यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन से भी मश्वरा किया गया था । उन की राय यह थी कि इस समय वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा । इस बारे में मिनिस्ट्री विचार कर रही है । अगर वहां पर कोई हिन्दी माध्यम की संस्थायें खुलें, तो उनको उचित सहायता दी जायेगी ।

**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या शिक्षा मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि दाक्षिणात्य जनता संस्कृत-परिपुष्ट हिन्दी को भली प्रकार समझती है और इस लिए क्या उन संस्थाओं को इस प्रकार की हिन्दी का प्रचलन करने के लिए सहयोग दिया जायेगा ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां, सहयोग देते है, मदद करते हैं ।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** : उत्तर में दक्षिण भारत की भाषाओं का प्रचार करने की सरकार की इच्छा का ध्यान रख कर क्या कलकत्ता में मलयालम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में तमिल विश्वविद्यालय और राज्यस्थान में कन्नड़ विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वासुदेवन नायर ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या सभी दक्षिण भारतीय राज्यों ने स्कूलों में हिन्दी अनिवार्य कर दी है या कोई ऐसा राज्य है जिसने ऐसा नहीं किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मद्रास राज्य के अलावा सभी राज्यों में हिन्दी अनिवार्य वि य है।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, एक ओर जब कि दक्षिण के लोग इस कदर उत्साह से हिन्दी सीख रहे हैं इस समाचार में कहां तक सत्यता है कि मद्रास में हिन्दी की जो अनिवार्य परीक्षा ली जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि यह कदम तीन-भाषाई

---

†मूल अंग्रेजी में

फ़ारमूले से कहां तक मेल खाता है और क्या मद्रास सरकार को इसके लिए पुनः सहमत कराने के लिए कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह समाचार सही है और मद्रास से इस बारे में बातचीत की जायेगी ।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार का ध्यान मद्रास राज्य में हिन्दी के पंडितों या विद्वानों के सम्मेलन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्हों ने इच्छा व्यक्त की है और अपने अपने राज्य की सरकारों से हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाने की प्रार्थना की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं ने भी वह समाचार देखा है ।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जिन स्थानों में हिन्दी माध्यम से शिक्षा दी जाती है चूंकि वहां के नौजवानों को नौकरियों के लिए परीक्षाओं में अंग्रेजी में प्रश्नों के उत्तर देते के लिए बाध्य किया जाता है इस लिए नौजवान अधिकतर असफल हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न तो इस में से नहीं उठता है ।

**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि जिन विश्वविद्यालयों का अभी माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है और जिनको यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन सहायता दे रहा है, उनको जितनी सहायता दी जाती है, शिक्षार्थियों की हिन्दी की शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा बहुत अधिक होने के कारण वह सहायता पूरी नहीं पड़ती है ? यदि हां, तो उस सहायता को बढ़ाने के विषय में सरकार क्या कर रही है ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : अगर माननीय सदस्य उस स्टेटमेंट को देखें, जो कि टेबल पर रखा गया है, तो वह पायेंगे कि बहुत सी योजनायें हैं, जिनके अन्तर्गत हिन्दी की शिक्षा दी जाती है और हिन्दी का प्रचार हो रहा है । मैं उनको यह भी बताऊं कि भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से टीचर्ज कालेजिज स्थापित किये गये हैं, जिनमें अध्यापकों की ट्रेनिंग हो रही है । वे अध्यापक फिर जा कर हिन्दी की शिक्षा देने में मदद करेंगे ।

**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री एक बात का जवाब नहीं दे सके हैं । उसका जवाब दे दिया जाए ।

मेरे माननीय मित्र ने पूछा था कि दक्षिण भारतीय भाषाओं को उत्तर में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका संबंध इस प्रश्न से नहीं है ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में क्या कोई प्रश्न थोड़ा अंग्रेजी में और थोड़ा हिन्दी में पूछा जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम यहां नई भाषा बना रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मिश्रित भाषा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## सीमित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा

\+
*१३७. {श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री २१ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा कराने की योजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : योजना अभी विचाराधीन है ।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, इस प्रश्न का पहली बार जो उत्तर दिया गया था, वह लगभग छः मास पूर्व दिया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में निर्णय होने में इतनी देरी क्यों हो रही है और इस बीच में कौन सी खास अड़चनें सामने आई हैं ।

**श्री हरजरनवीस** : देरी इसलिए हुई है कि प्रान्तीय सरकारों से इस बारे में विचार-विमर्श करना पड़ता है और उनकी भी सलाह लेनी पड़ती है । कई प्रान्तीय सरकारों ने इसका विरोध किया है । अगर उन सबकी सलाह से योजना बनानी है, तो जरूर देरी लगेगी ।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि किन किन राज्यों ने इस का समर्थन किया है और जिन राज्यों ने इस का विरोध किया है, वह किन कारणों से ?

**श्री हजरनवीस** : मैसूर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ने इस का विरोध किया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : कारण क्या हैं ?

**श्री हजरनवीस** : उनका कहना है कि इस में वही लोग आयेंगे, जो कि पहले परीक्षा में फ़ेल हो गए हैं । उन का कहना है कि अगर पहली बार वे नहीं आ सके, तो उनको दोबारा मौका न दिया जाए ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या यह सच है कि यह सिद्धान्त कि सरकारी सेवा करने वालों को अधिक आयु में परीक्षा देने की अनुमति दी जाये विचाराधीन है, या यह सिद्धान्त बन चुका है और उस पर आगे विचार किया जा रहा है ?

†**श्री हजरनवीस** : स्वाभाविक है कि प्रतियोगिता में प्रतियोगिता के लिए निर्धारित आयु से अधिक आयु के लोगों को बैठने की अनुमति दी जायेगी । जो व्यक्ति सरकारी सेवा में आ चुके हैं उन्हें उच्चस्तर प्राप्त करने और अन्य विभागों में जाने का अवसर देना चाहिये ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : जिन राज्य सरकारों ने इस योजना का विरोध किया है उन्होंने इस सिद्धान्त का ही विरोध किया है कि जिनकी आयु अधिक है वे सेवा में लिये जायें या नहीं ?

†**श्री हजरनवीस** : ऐसा ही है । वे इस सिद्धान्त का ही विरोध करते हैं ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : इस सीमित प्रशिक्षण और पूर्ण प्रशिक्षण में क्या अन्तर होगा ?

†**श्री हजरनवीस** : मेरा ख्याल है कि प्रशिक्षण वही रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राघे लाल व्यास** : यदि अधिकतर राज्यों ने योजना स्वीकार कर ली हैं और केवल तीन राज्यों ने स्वीकार नहीं किया है, तो योजना लागू क्यों नहीं की जा रही है ?

†**श्री हजरतवीस** : उन्हें मनाने का और प्रयत्न किया जायेगा। जो राज्य सिद्धान्ततः सहमत हैं उनमें भी योजना की क्रियान्वित के ब्योरे के बारे में अभी कुछ मतभेद है।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता समझ सकता हूं। क्योंकि कुछ विलम्ब हो रहा है, इसलिए हम शायद ५ और ६ मार्च को सारे मुख्य सचिवों का सम्मेलन बुला रहे हैं ताकि मतभेदों पर विचारविमर्श करके उन्हें दूर किया जा सके।

## अनुसूचित आदिम जातियों की समेकित सूची

+

†*१३८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित आदिम जातियों की एक समेकित सूची बनाने के विषय में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन के लिये राज्य सरकारों से आये बहुत से प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि समेकित, अर्थात् अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित आदिम जातियों की सामान्य सूची बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आशा है कि राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही हो जाएगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या ऐसे लोगों की कोई सूची तैयार की गई है, जिनको देश के एक भाग में अनुसूचित आदिम जाति माना गया है किन्तु दूसरे भाग में नहीं माना गया, और यदि हां, तो १९६१ की जनगणना के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

†**श्री हजरतवीस** : ये ब्यौरे मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे लिख देंगे तो मैं वह सूचना उनको भेज दूंगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर चर्चा की गई थी और क्या यह भी सच है कि मुख्य मंत्रियों ने समेकित सूची तैयार करने पर आपत्ति की और यदि हां, तो इस बारे में मुख्य मंत्रियों में क्या मतभेद है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : मुझे ठीक से याद नहीं कि आया कुछ मुख्य मंत्रियों ने सूची संशोधन करने का विरोध किया था। समेकित सूची तैयार करना भिन्न बात है। वास्तव में यह राज्यवार तैयार करनी होगी क्योंकि प्रत्येक राज्य में स्थितियां भिन्न भिन्न हैं। जहां तक सूची के संशोधन का संबंध है, इसमें कुछ समय लगा है और अब हमें इसको जल्दी

---

†मूल अंग्रेजी में

करना है, विशेषकर परिसीमन समितियों के कारण जो स्थापित हो चुकी हैं । मुझे आशा है हम इस काम को शीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे ।

**श्री बड़े** : मैं जानना चाहता हूं कि कंसोलिडेटिड लिस्ट तैयार करने का काम कब से आपके विचाराधीन है, कितने सालों से विचाराधीन है ?

**श्री लालबहादुर शास्त्री** : मैंने खुद माना है कि इस में देर लगी है । मगर इसका कारण यह है कि जिन को नया शामिल करना होता है, जिन को नया लेना होता है, उस पर बहुत सी आपत्तियां होती हैं, बहुत से एतराज़ होते हैं और अगर किसी को काटना होता है, लिस्ट में से छोड़ देना होता है तो उस पर और भी ज्यादा आपत्तियां होती हैं । इस वास्ते मामले में बहुत ज्यादा सोच समझ कर चलना होता है ।

**श्री बड़े** : कितने अर्से से यह विचाराधीन है, यह मैंने जानना चाहा था ?

**श्री लालबहादुर शास्त्री** : मैं कुछ इसके बारे में पक्का तो नहीं कह सकता हूं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हम इस काम में अब बहुत जल्दी करेंगे । बल्कि हमारा विचार यह भी है कि जो ६-७ मार्च को चीफ़ सैक्रेटरीज़ की कान्फ्रेंस हो रही है, उस में भी इस मसले को रखा जाए और बहुत सी बातों को तय कर लिया जाए ।

**श्री ह० च० सोय** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटा नागपुर से जब अनुसूचित आदिम जातियों के लोग असम में जाते हैं और वहां बस जाते हैं तो उन लोगों को वहां आदिम जाति के लोग शुमार नहीं किया जाता है ? अगर इसकी जानकारी है तो इसकी क्या वजह है ?

**श्री लालबहादुर शास्त्री** : अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जातियां और ट्राइब्ज़ हैं । यह जरूरी नहीं है कि जिन को एक जगह ऐसा माना जाता है उनको दूसरी जगह भी ऐसा ही माना जाए । बिहार में जो ट्राइबल्ज़ माने जाते हैं वे उत्तर प्रदेश में नहीं माने जाते हैं । मुझे अफसोस है कि मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ हैं और गवर्नमेंट उनको शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ मानती ही नहीं है ।

†**श्री बसुमतारी** : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के संबंध में कि एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाने वाली आदिम जाति को आदिम जाति नहीं माना जाता है मैं पूछता हूं कि एक ही राज्य में भी कुछ आदिम जातियों के लोगों को आदिम जाति क्यों नहीं किया जाता ? क्या इसका कारण यह है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो चुके हैं ? उड़ीसा में ऐसी आदिम जातियों की संख्या ६ १/२ लाख है और ऐसे आदिम जाति लोग मध्य प्रदेश में १२ १/२ लाख हैं ।

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : जब हम इस सूची को अन्तिम रूप देंगे इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा ।

**श्री प० ला० बारूपाल** : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लोग होते हुए भी उनको ऐसा माना नहीं गया है । इसी प्रकार से राजस्थान में जोधपुर में भी आदिवासी हैं और उनको भी ऐसा माना नहीं जाता है .....

---

†मूल अंग्रेजी में

**अध्यक्ष महोदय:** एक एक स्टेट के बारे में अलग अलग इस तरह से सवाल अगर पूछे जायेंगे तो पंद्रह स्टेट्स हैं और पंद्रह स्टेट्स के बारे में बताना मुश्किल हो जाएगा . . .

**श्री प० ला० बारूपाल:** मैं यही जानना चाहता था कि क्या इस पर भी विचार किया जाएगा ?

**श्री हजरनवीस:** उस पर विचार किया जाएगा ।

†**श्री प्रिय गुप्त:** क्या सरकार ने यह जानने के लिये कि कोई व्यक्ति आदिम जाति या अनुसूचित जाति का है कोई कसौटी निर्धारित की है और यदि हां, तो, यह विरोध कैसे होता है ?

†**श्री हजरनवीस:** कोई विरोध नहीं है । सब से पहले तो सरकार इस बात को देखती है कि क्या किसी क्षेत्र में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी विशेषताएं समान हों । आदिम जातियों के लिये कसौटी यह है कि क्या वे आदिम जाति ढंग का जीवन बिताते हैं ? यदि यह कसौटी पूरी होती है, तो उनको सूची में रखा जाता है । अनुसूचित जातियों के लिये कसौटी यह है कि क्या अभी अछूत का निशान बकाया है ? यदि उस क्षेत्र में काफ़ी लोग इन कसौटियों पर पूरे उतरते हैं तो उस विशिष्ट समुदाय को अनुसूचितों की सूची में रखा जाता है । यह स्पष्ट है कि एक या कुछ लोगों के बारे में कोई घोषणा नहीं की जा सकती ।

†**श्री सोनावने** : क्या उन समाजों के लोगों को ऐसी सूचियों में संशोधन करने से पूर्व परामर्श करने का सरकार विचार करती है ?

†**श्री हजरनवीस:** हम माननीय सदस्यों से सुझाव प्राप्त करके प्रसन्न होंगे ।

**नागरिक प्रतिरक्षा योजना**

\+

†*१३९. श्री हरिश्चन्द्र मायुर :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेडा :
श्री हेम राज :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री दी० चं० शर्मा :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी विशेषज्ञों के परामर्श से अपनी नागरिक प्रतिरक्षा योजना का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या पुनरीक्षित आदेश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ग) अब तक केन्द्र द्वारा तथा राज्यों द्वारा नागरिक प्रतिरक्षा पर कितना धन व्यय किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). असैनिक सुरक्षा संबंधी इंगलिस्तानी विशेषज्ञ का प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या केन्द्र की ओर से हिदायतें दी गई थीं कि फैक्टरियों के रोशनदानों और खिड़कियों से शीशे उतार दिये जाएं, रेत के बोरे इकट्ठे किये जाएं और खाइयां खोदी जाएं और यदि हां, तो इन हिदायतों को जारी करने के लिये तथा ऐसी अव्यवस्था करने एवं सरकार का उपहास करवाने के लिये कौन उत्तरदायी है तथा क्या वे हिदायतें हटा ली गई हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मुझे आशा है कि सभा यह अनुभव करेगी कि ये हिदायतें उस समय दी गई थीं जब हालात प्रायः असाधारण और असमान्य थे। चीनियों द्वारा हमारी सीमा पर अचानक हमला हुआ था और बाद में वे कुछ आगे बढ़ आये थे । उस समय हमने वायु-पूर्वोपायों की कुछ योजनाएं बनाई थीं और वे हिदायतें, जो पहले से थीं, राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं किन्तु तब हमने वे हिदायतें हमारी सीमाओं पर स्थिति उत्तरी राज्यों तक सीमित रखीं, विशेषकर हम चाहते थे कि आसाम और उत्तर बंगाल में तुरन्त कार्रवाई की जाए । अतः वे हिदायतें जारी की गई थीं । वास्तव में यह भी कहा गया था कि हम अपनी योजनाओं को तैयार रखें। सब स्थानों पर खाइयां खोदना या अन्धेरा रखने की घोषणा अथवा अभ्यास करना अत्यावश्यक नहीं था । तथापि, मैं नहीं समझता कि जिन्होंने उन हिदायतों पर अमल किया, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया ।

जहां तक व्यय संबंधी प्रश्न का संबंध है, मैं माननीय सदस्य और सभा को बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें सूचित किया कि उन्होंने खाइयां खोदने पर एक पाई भी खर्च नहीं की और वास्तव में व्यय बिल्कुल नहीं हुआ। निस्संदेह, जब हमें समय मिला, जब तनाव कुछ कम हुआ, हम ने पुनः इस मामले पर विचार किया और राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे खाइयां खोदना और अन्धेरे का अभ्यास करना बन्द कर दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या हम अभी भी कुछ संहिताओं पर अमल कर रहे हैं जो १९३९ या १९४० में थे या अब समूचे संसार में हुई विविध प्रकार की प्रगतियों को ध्यान में रखते हुए हमने भिन्न आधार रखा है? अब हमारे असैनिक सुरक्षा कार्यक्रम का क्या आधार है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : १९४३—यह बहुत दूर जाना हुआ। १९५३ में किसी प्रकार की योजना थी। हमने समूची योजना में शोधन किया। फिर भी चीजें तेजी से बदल रही हैं, और इसलिये हमने एक विशेषज्ञ से परामर्श करना वांछनीय समझा यद्यपि इंगलेंड में और भारत में स्थिति में बहुत अधिक अन्तर है। इंग्लेंड में उनकी असैनिक सुरक्षा किसी प्रकार के आण्विक आक्रमण को रोकने के लिये है। मैं नहीं समझता कि हमारे देश में उस प्रकार का आक्रमण होने वाला है। किन्तु फिर भी जनरल इर्विन ने सुझाव दिया कि रूढ़िगत आक्रमणों के विरुद्ध भी अर्थात् बमों या बंबरों आदि, हमें कुछ पूर्वोपाय करने पड़ते हैं। उन में से कुछ पूर्वोपाय तुरन्त कार्यान्वित करने पड़ते हैं, अन्य पूर्वोपाय कागज पर तैयार रखने पड़ते हैं ताकि जब समय की मांग हो तो उन को कार्यान्वित किया जा सके।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रधान मत्री ने सोमवार को मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि ज्यों ही भारत में संकट काल आया, राज्य सरकारों का ध्यान असैनिक प्रतिरक्षा नियमावली की ओर आकर्षित किया गया जो बहुत पहले तैयार की गई थी। और गृह कार्य मंत्रालय ने, उसी दिन जब उत्तर दिया था संभवतः उससे ठीक पहले राज्य सरकारों को असैनिक सुरक्षा उपायों के बारे में अग्रतर सुझाव थे जो भारत में संभाव्यताओं के लिये अधिक उपयुक्त थे। प्रधान मंत्री ने उत्तर भिन्न तरीके से दिया है। पृष्ठ भूमि होनी चाहिये। इस मानसिक तैयारी की न दो स्थितियों में, अकेले दिल्ली में विश्वस्त प्रेस संवाददाताओं के अनुसार १००,००० से अधिक आश्रम और खाइयां नवम्बर और दिसम्बर के बीच खोदने का विचार था और सरकार द्वारा 'करो और न करो' की विस्तृत असैनिक सुरक्षा नियमावली भी जारी की गई थी। अब क्या मैं यह समझूं कि ये सब यत्न पूर्णतया बेकार गये और असैनिक सुरक्षा नियमावली 'करो और न करो' भी हटा ली गई थी और यदि अब नवीन 'करो और न करो' जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ताकि लोगों के जीवन की रक्षा वायु आक्रमण होने पर की जा सके?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं ने और कुछ नहीं कहा। प्रधान मंत्री ने जो कहा था वह बिल्कुल ठीक था कि हमने शोधित हिदायतें भेजी हैं और हम और भी हिदायतें भेजने का विचार करते हैं क्योंकि जैसा मैं ने बताया जनरल इर्विन ने कुछ सिफारिशें की थीं और उन को दृष्टिगत रखते हुए, हमें राज्य सरकारों को अन्तर हिदायतें भेजनी होंगी। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, 'करो और न करो'—ये हिदायतें वहां हैं और रहेंगी क्योंकि वे न्यूनाधिक स्थायी किस्म की हिदायतें हैं। हमने बहुत शीघ्र खाइयां खोदना बन्द कर दिया है महीना डेढ़ महीना पहले। अतः इस सम्बन्ध में कोई विशेष समस्या नहीं है।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि खाइयां खोदन का काम जरा जल्दबाजी में किया गया था। अतः मैं जानना चाहता हूं कि कम से कम दिल्ली की खाइयों को भरने में कितना समय लगेगा क्योंकि खतरा है कि कहीं किसी की टांगें न टूट जायें या कहीं मच्छर न पैदा हो जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी नहीं, कोई खतरे की बात नहीं है । वह ऐसी जगह पर खुशी हुई हैं कि माननीय सदस्य की टांगें उन में नहीं पहुंचेंगी ।

†**श्री प्र० के० देव** : जब ये खाइयां और शरण स्थान दिल्ली में बनाय जा रहे थे और ऐसा ही प्रयास लखनऊ में किया जा रहा था क्या यह सच नहीं कि प्रधान मं ी का वक्तव्य लखनऊ से आया कि ये सब बेकार हैं और उन से भय फैलता है ? क्या स समस्या के सम्बन्ध में कोई समन्वित विचार नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में मतभेद हो सकता है कि समन्वय नहीं है ।

†**श्री रंगा** । क्या कोई समन्वित योजना है ?

†**श्री प्र० के० देव** : राज्य सरकारों ने कुछ हिदायतें जारी कीं । प्रधान मंत्री ने कहा

†**अध्यक्ष महोदय** : उन के प्रश्न में उन के नेता ने परिवर्तन कर दिया है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : समन्वय है और प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा उस की पुष्टि क जनरल इर्विन जैसे जनरल ने पूर्णतया कर दी है ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : सरकार देश में गांव स्वयं सेवक दल बनाने में कहां तक सफल रही है, उनकी कुल कितनी शक्ति होगी और कितना धन खर्च किया जाएगा ?

†**श्री हजरतवीस** : वह सामुदायिक विकास मंत्रालय का काम है । प्रश्न उनसे पूछा जाय ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल में किये गये कार्य तथा प्रधान मंत्री के विचारों में मेल करने में सफल हुई है, और क्या सरकार का ध्यान स विवाद की ओर आकर्षित किया गया है, जो न परस्पर विरोधी मतों और हिदायतों से उत्पन्न हुआ ? पश्चिम बंगाल में मुख्य मंत्री ने जो कहा, क्या उस की ओर मंत्री जी का ध्यान नहीं दिलाया गया ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी हां उन्होंने विधान सभा में कुछ कहा । जैसे मैं ने बताया, दो मामलों में खाइयां खोदने और अन्धेरा रखने के बारे में --प्रधान मंत्री ने अनुभव किया कि अब इस का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिये । इसी संबंध में, उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ कहा था । मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस के बारे में और कुछ कहा था ।

†**श्री इकबाल सिंह** : क्या सरकार ने हिदायतें दी हैं कि कस्बों में वायु आक्रमण पूर्वोपाय न किये जाए और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमने कहा किन्तु जैसा मैं ने बताया यह दो बातों के लिये ही था । यह नहीं कहा गया कि होम गार्ड भरती करने या नगर ो वार्डों में विभाजित करने तथा वार्डन रखने आदि के उपाय न अपनाये जाएं । यह भी सुझाव दिया गया था आग बुझाना सीखने, सहायता कार्य, प्रथम उपचार तथा असैनिक सुरक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यों को किया जाना चाहिये । ये उपाय अपनाये गये थे और अब भी न को अपनाया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या ग्राम्य क्षेत्रों में इन असैनिक सुरक्षा उपायों को किया जा रहा है, क्योंकि अधिकांशतः ये कार्रवाइयां नगरीय क्षेत्रों में ही की गई थीं संकट काल में ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी हां, ग्राम्य क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सुरक्षित है फिर भी जहां तक होम गार्ड भरती करने और उनके शिक्षण का सवाल है, योजना वही है और इसे वहां भी कार्यान्वित किया जाएगा।

**श्री यशपाल सिंह** : क्या इस योजना के मातहत नागरिकों पर से हथियारों की पाबन्दी हटाने का भी विचार सरकार का है ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी नहीं, हथियारों का उपयोग सिखलाने का विचार जरूर है लेकिन पाबन्दी हटाने का नहीं है। क्योंकि कभी कभी तो वैसे ही देख कर डर मालूम होता है।

### गैर-सरकारी तेल कम्पनियां

+

†*१४०. **श्री अ० क० गोपालन** :
**श्री यशपाल सिंह** :
**श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री बासप्पा** :
**श्री रामेश्वर टांटिया** :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में गैर-सरकारी तेल कम्पनियों का विस्तार करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधन कारखानों को उन की अधिकतम क्षमता को चलाने की अनुमति दी जा चुकी है, जिनके पास लाइसेंस प्रदत्त क्षमता से अधिक क्षमता है। बाकी अधिक विस्तार संबंधी उनके प्रस्तावों के बारे में, समस्या के सब पहलुओं पर जिनमें पेट्रोलियम उत्पादों और इनको पूरा करने के सर्वोत्तम उपायों की समस्या सम्मिलित है, विचार किया जा रहा है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधन कारखानों के विस्तार की क्या आवश्यकता है जब तीसरी योजना अवधि में प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र के तेल शोधन कारखाने तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की वर्तमान क्षमता तीसरी योजना के अन्त में तेल उत्पादन की आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह बात तीसरी योजना के अन्त की है। हमने सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है तथा उस मांग को पूरा करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधन कारखानों का विस्तार का विचार किया है। परन्तु विचाराधीन प्रश्न यह है कि चौथी और पांचवीं योजना अवधियों में हमारी आवश्यकताएं क्या होंगी और किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले हम सब पहलुओं पर विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के विस्तार की अनुमति देने के लिये शर्त के तौर पर विदेशी तेल समवायों ने विद्यमान तेल शोधन कारखाना करारों में परिवर्तन करना मान लिया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : दुःख की बात है कि उन्होंने विद्यमान करारों में संशोधन करना स्वीकार नहीं किया, किन्तु मुझे आशा है कि हमारे बीच बातचीत प्रगति पर है और हम उनको मनाने में सफल होंगे और तब तेल उद्योग के लिये उत्तम स्थिति हो जाएगी ।

**श्री यशपाल सिंह** : क्या यह सही है कि जब तक एसो और बरमा शेल को जो ज्यादा कोटा दिया गया है वह वापस नहीं लिया जायेगा तब तक हमारी सरकार का व्यापार नहीं बढ़ेगा ?

**श्री के० दे० मालवीय** : कोई चीज वापस लेने का हमारा इरादा नहीं है । जो कंसेशन दिया गया है एक्स्पैन्शन में बरमा शेल और एसो को वह दे दिया गया क्योंकि उससे फारेन एक्सचेन्ज की बचत होती है । ऐग्रीमेंट मंसूख करें या नहीं, या रिवाइज करें या नहीं, इस प्रश्न पर बातचीत हो रही है । हम उम्मीद करते हैं कि वह खुद अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उसे मंजूर कर लेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच क्या अनुपात है और सरकारी क्षेत्र के अनुपात को बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री क० दे० मालवीय** : हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों को बढ़ाया जायेगा ताकि वे तीसरी योजना अवधि के अन्त तक पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग ५० प्रतिशत तक उत्पादन कर सकें । चौथी योजना में प्रवेश करते हो, इन सब प्रश्नों पर विचार किया जाएगा, औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार, जो हमारा मार्ग दर्शन करता है ।

†**श्री वासप्पा** : क्या गैर-सरकारी क्षेत्रीय तेल समवायों का बड़े पैमाने का विस्तार सरकारी क्षेत्रीय तेल समवायों के विस्तार में बाधक होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, यदि गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों का विस्तार असीमित तरीके से किया जाता है निश्चित सीमा में, तो निश्चय ही इस का सरकारी क्षेत्र के कारखानों की अर्थ-व्यवस्था, वितरण और लाभ प्रदत्तता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब प्रश्न हमारे सामने हैं और हम सर्वथा सतर्क हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल समवायों की उत्पादन लागत सरकारी क्षेत्रीय समवायों की अपेक्षा कम है ? यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उत्पादन लागत को घटाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

**श्री के० दे० दे० मालवीय** : उत्पादन लागत की तुलना करना कठिन है । जो कारखाने ८ या ९ वर्ष पहले स्थापित हुए थे, उन्हें अवश्य कुछ लाभ है मितव्ययता के बारे में, क्योंकि लागत बढ़ रही है । अतः लागतों का विश्लेषण और तुलना करना ठीक नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि गैर-सरकारी तेल समवायों को अपनी आवक्षयक लागत का प्रत्यावर्तन करने दिया जाता है और यदि हां, तो कितनी राशि है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : साधारण प्रणाली के अनुसार लाभांश लाभ और कुछ अन्य मद के प्रत्यावर्तन को अनुमति दे दी जाती है। जहां तक अवक्षयण का संबंध है, विशेष निधियों की व्यवस्था इन समवायों द्वारा की जाती है। अभी तक तेल समवायों ने कदाचित अवक्षयण के लिये अभिप्रेत धन का प्रत्यावर्तन नहीं किया है। उन्होंने इसे अपने उपयोग के लिये पृथक रख लिया है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि गैर-सरकारी तेल-समवायों को अपनी क्षमताओं को, तेल शोधन कारखाना करार में उपबंधित क्षमता से बहुत अधिक विस्तार करने से रोका गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, उनका विस्तार जितनी क्षमता के लिये लाइसेंस दिया गया था उस से अधिक हुआ है, किन्तु उसका हमारे लिये कुछ लाभ था क्योंकि इस से विदेशी मुद्रा की बचत होती है। प्रत्येक टन आयातित पेट्रोलियम उत्पाद के लिये हमें उतने ही अशोधित तेल के आयात की अपेक्षा अधिक विदेशी मुद्रा खर्चनी पड़ती है। अत: हमने उसकी अनुमति दी है।

### अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

+

†*१४१. { **श्री यशपाल सिंह** :
**श्री भक्त दर्शन** :
**श्री भगवत झा आजाद** :

क्या **शिक्षा मंत्री** २३ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन कुछ राज्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे क्या इस बीच उनके उत्तर मिल गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने अखिल भारतीय शिक्षा सेवा स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). कुछ राज्य सरकारों से उत्तरों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सब राज्य सरकारों के दृष्टिकोण अभी ज्ञात नहीं हुए हैं।

**श्री यशपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी एजूकेशन कमेटी के रहते हुए और इतने एजूकेशन बोर्डस के रहते हुए नई सर्विस जारी करने की क्या जरूरत महसूस हुई ?

†मूल अंग्रेजी में

**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस मामले पर कई स्तरों पर बहुत गहराई से विचार किया गया है और अन्त में पिछली बार जब नेशनल इंटैग्रेशन कान्फ्रेंस हुई थी, उस ने सिफारिश की थी कि इस तरह की सर्विस कायम होनी चाहिए।

**श्री यशपाल सिंह** : अभी इस सर्विस के चालू होने में कितना समय लगेगा और यह कब तक शुरू हो जायेगी ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी आप ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है और अभी कहते हैं कि यह कब तक शुरू हो जायेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : अब अगर इसे आना ही है तो वह चाहते हैं कि यह जल्दी आये।

**डा० का० ला० श्रीमाली** : जब उस पर सब राज्य सरकारों के जवाब आ जायेंगे तो इस पर विचार किया जायेगा।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, क्या यह सही है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने इस योजना का समर्थन किया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कौन से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने स्मरणपत्र देने पर भी उत्तर नहीं दिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह सही है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने समर्थन किया है और जिनका जवाब नहीं आया है वह हैं पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने प्राविज़नली एग्री किया है लेकिन उन्होंने कहा है कि अन्तिम जवाब हम बाद में देंगे।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या सरकार का इस योजना को रोक रखने का विचार है जिस के लिए दो राज्यों के अतिरिक्त सब राज्य सहमत हो गए हैं ?

†**डा० क० ला० श्रीमाली** : हमें इन राज्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं; परन्तु कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि मद्रास, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश, जिन्होंने योजना का पक्ष नहीं लिया है। जब हमें इन सब राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो जायेंगे तो गृह-मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से इस मामले की जांच करेगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या अन्य बहुत सी बातों के बारे में जो इस में अन्तर्निहित हो सकती हैं राज्य सरकारों के विचारों की जांच करने के पहिले ही सरकार ने अपना निश्चय कर लिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार अपना निश्चय कैसे कर सकती है ? सरकार तो राज्य सरकारों से परामर्श कर रही है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि राज्य सरकारों की कुछ ऐसी आशंकायें हैं कि इस प्रतिरूप की अखिल भारतीय शिक्षा पद्धति में उनके शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ेगी। यदि ऐसा है, तो क्या उन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि मैंने कहा है, जब हमें राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो जायेंगे तो मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आल इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आल इंडिया ऐजूकेशन सर्विस के अधिकारों में क्या फर्क होगा ? उनके पे स्केल वगैरह में क्या फर्क होगा क्या यह दोनों बराबर होंगी ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी इसके डिटेल्स नहीं बनाये गए हैं लेकिन सिद्धान्त में यह बात एक बार मान ली जाये तो उसके बाद ही फिर डिटेल्स तय किये जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री रंगा** : श्रीमन, इससे अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या १४३, को भी इसके साथ लिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सुविधापूर्वक इसका उत्तर दिया जा सके, तो अगले प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न संख्या १४२ के साथ दिया जाय ।

†**श्री हजरनवीस** : जी हां ।

**अन्दमान के मुख्य आयुक्त के लिए सलाहकार समिति**

\+

†*१४२. **श्री यश पाल सिंह :**
**श्री प्र० चं बरुआ :**
**श्री बिशन चन्द सेठ :**
**श्री हेडा :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री अ० सि० सहगल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त की सहायता के लिये एक नई सलाहकार समिति गठित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विधान तथा निश्चित कार्य क्या होंगे ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). मुख्य आयक्त के साथ कार्य करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित कर ली गई है ।

**विधान** :—सलाहकार समिति में अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संसद्-सदस्य, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका बोर्ड का वरिष्ट उप-सभापति, गृह-मंत्रालय की सरकार सलाहकार समिति के अन्य अशासकीय सदस्य, कटछल्ल की रानी छंगा तथा मुख्य आयुक्त द्वारा नाम -निर्देशित किए जाने वाले ग्राम पंचायतों के दो प्रतिनिधि सम्मिलित हैं ।

**कार्य**:—मुख्य आयुक्त इन विषयों के सम्बन्ध में समिति की सलाह लगा :—

(१) प्रशासन प्रणाली जिसमें नीति सम्बन्धी सामान्य प्रश्न सम्मिलित हों ।

†मूल अंग्रेजी में

(२) द्वीपसमूहों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी विकास और सामान्य जन कल्याण ।

**अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह**

†**१४३. श्री बेरवा कोटा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन में स्थानीय जनता को प्रतिनिधित्व देने के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) इस द्वीपसमूह में रहने वाली अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये क्या उपबन्ध किया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) द्वीपसमूह के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के चीफ कमिश्नर और गृह मंत्री के साथ सम्बद्ध सलाहकार समितियों में स्थानीय जनता के प्रतिनिधि हैं। राज्य योजना समिति, अभिन्यास समिति, श्रम सलाहकार समिति तथा ऋण सलाहकार समिति में भी उनके प्रतिनिधि हैं।

(ख) तथा (ग). तृतीय पंच वर्षीय योजना में अनुसूचित आदिम जातियों के विशेष विकास के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण क्षेत्र के अधीन ६.५० लाख रुपये की कुल प्रबंधित राशि में से दिसम्बर, १९६२ तक १.०१ लाख रुपये ।

**श्री यशपाल सिंह**: क्या मैं जान सकता हूं कि इस वक्त चीफ़ कमिश्नर के लिए सलाह बोर्ड नियुक्त करने के बजाय सीधे जनतंत्र के अधिकार इस द्वीप समूह को क्यों नहीं दिये जा रहे हैं और यदि सरकार का ऐसा इरादा है तो यह अधिकार कब तक दिये जायेंगे ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : उसका शासन प्रबन्ध सीधे गवर्नमेंट के हाथ में ही है और उसका यहां से प्रबन्ध करती है । एक कमेटी अभी तक थी वह कमेटी कम मिलती थी। मैं उसका चैयरमैन था । इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि एक स्थानीय कमेटी बनाई जाय और चीफ़ कमिशनर उसका चैयरमैन हो ताकि वह बराबर मिलते रहें और अपनी सब बातों पर वहां पर विचार करते रहें ।

**श्री यशपाल सिंह** : मेरा मतलब लेजिस्लेचर से है, लेजिस्लेटिव असेम्बली से है ।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : अभी वहां और ज़रा काम बढ़ने दीजिये तब देखा जायगा।

†**श्री हेडा** : क्या सदस्यों के नाम-निर्देशित करने के लिए कोई आधार होगा, अर्थात् क्या वे किन्हीं विशेष हितों, प्रदेश अथवा वर्ग के प्रतिनिधि होने के नाते नाम-निर्देशित किए किए जायेंगे ? किस आधार पर वे नाम निर्देशित किए जायेंगे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : क्या सलाहकार समिति के लिए ?

†**श्री हेडा** : जी, हां ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: केवल दो सदस्य नाम-निर्देशित किए जाने हैं। अन्य सदस्य न्यूनाधिक नगर पालिका परिषद् के पदेन सभापति हैं अथवा संसद् सदस्य हैं। वे दो नाम-

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्देशन स्वाभाविक रूप से ही अब तक प्रतिनिधित्व न पाने वाली जनजातियों में से अथवा स्त्रियों में से किए जायेंगे। न्यूनाधिक यही आधार होगा जिस पर कि नाम-निर्देशन किए जायेंगे।

**श्री बेरवा कोटा** : क्या गृह-मंत्री जी ने हाल में अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह का दौरा किया था ? इस दौरे में वह कितने दिन तक वहां पर रहे और इस दौरे का क्या उद्देश्य था ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को इस पर भी एतराज़ है ?

**श्री बेरवा कोटा** : इस द्वीप समूह में कौन-कौन सी भाषायें चलती हैं और प्रशासन में अंग्रेजी के सिवा और कौन कौन सी भाषायें प्रयुक्त होती हैं ?

**अध्यक्ष महोदय**: यह तो बिलकुल दूसरा सवाल है।

†**श्री रंगा** : सरकार ने अभी तक ६ लाख रुपयों में से १ लाख ६० हजार अथवा इसके लगभग व्यय करने को उपयुक्त क्यों नहीं समझा है —इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्दमान निकोबार के आदिम जाति के लोग सब से कम उन्नत हैं उनके कल्याण के लिये नियत की गई यह राशि भी अत्यन्त तुच्छ है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं यह चाहता हूं कि श्री रंगा वहां जायें तथा देखें कि क्या वास्तव में वे लोग कम उन्नत हैं ?

**श्री त्यागी** : उनको काला पानी कर दो।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वह इतने भयभीत हैं। मैं उन्हें अन्दमान नहीं भेज रहा हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आपने ही मार्ग दिखाया है। आप ही पहिले वहां गये हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने ही मार्ग दिखाया है। कुल राशि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए है।

†**श्री रंगा** : ६ लाख रुपये नियत किए गए हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: ६ लाख ५० हजार रुपये तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए, पांच वर्ष के लिए।

†**श्री रंगा** : आपने केवल १ लाख रुपया ही व्यय किया है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: तृतीय पंचवर्षीय योजना के कितने वर्ष व्यतीत हो गए हैं ?

†**श्री रंगा** : यही तो समाज कल्याण है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : क्या मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर सकता हूं कि सम्पूर्ण धन तुरन्त ही व्यय नहीं किया जा सकता ? वहां छात्रावास बनाये जा रहे हैं ; फिर पुस्तकों के संभरण के लिए छात्रवृत्तियां आदि भी देनी होती हैं। वे प्रतिवर्ष दी जायेंगी। इस में कुछ समय लगेगा। हम सम्पूर्ण धन व्यय करेंगे। उन्हें इस संबंध में चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## हिन्दी निदेशालय का बाहर भेजा जाना

†१४४. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा है ; और

(ख) सरकार की यह कार्यवाही निदेशालय के लक्ष्य की पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगी ?

**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). दिल्ली में स्थान की कमी के कारण भारत सरकार के कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजने का प्रस्ताव है । बाहर भेजे जाने वाले कार्यालयों में से केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का एक हिस्सा भी शामिल है । स्थान की अत्यधिक कमी होने के कारण निदेशालय का बाहर भेजा जाना अनिवार्य जान पड़ता है ।

## कावेरी के बेसिन में तेल की खोज

†*१४५. श्री हेम ब आ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार किसी विदेशी कम्पनी को कावेरी के बेसिन में तेल की खोज करने का काम देने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में अब तक कोई प्रगति हुई है ; और

(ग) सरकार ने अपने पहले निर्णय को जिसके अनुसार कावेरी बेसिन में तेल की खोज का कार्य सरकार के तत्वाधान में ही किया जाना था, किन कारणों से बदला ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग) . यह क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक था जो, बातचीत द्वारा समझौते के आधार पर, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहभागिता में गैर-सरकारी लोगों को अनुज्ञप्तियां तथा पटटे देने के लिए मई, १९६० में खुले क्षेत्र के तौर पर घोषित किए गए थ। इस क्षेत्र के लिए किसी गैर-सरकारी कम्पनी से कोई संतोषजनक प्रस्ताव नहीं आये हैं। इस बीच में, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## दिल्ली में अपराध

†*१४६. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मरंडी :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बेरवा कोटा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में राजधानी में चोरी, हत्या, हत्या के प्रयत्न तथा छुरे बाजी की अलग अलग कितनी घटनायें हुई ? और

(ख) ऐसे कितने मामलों में सरकारी कर्मचारी अपराधी अथवा पीड़ित पाये गये?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

| रिपोर्ट किए गए मामले | | अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | अपराधी के रूप में | पीड़ित के रूप में |
| सेंधमारी (चोरी) | ३७४ | २ | ४७ |
| हत्या | १२ | — | १ |
| हत्या के प्रयत्न | ११ | २ | १ |
| छुरेबाजी | ६७ | — | १ |

## युद्ध सेवा अभ्यर्थियों के लिये पदों का रक्षण

†*१४७. श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युद्ध सेवा अभ्यर्थियों के लिये कुछ रिक्त पद रक्षित करने क है ; और

(ख) क्या इसके लिए कोई प्रतिशतता निश्चित की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). युद्ध सेवा अभ्यर्थियों को सेना की सेवा से हटाये जाने पर उनको उपयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार उचित उपाय करेगी ।

## बहु प्रयोजनीय स्कूलों का विकास

†*१४९. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय ने देश में चुने हुये बहु प्रयोजनीय स्कूलों के लिये विस्तृत विकास कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ? और

(ग) उस पर कितना व्यय होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ८६४/६३ ।]**

## व्यक्तित्व परीक्षण[1]

†*१५०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में व्यक्तित्व परीक्षण के लिये निर्धारित अंकों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किये गये ; और

(ख) यह निर्णय किन कारणों से किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

## सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी

†*१५१. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**

क्या **खान और ईंधन** मंत्री २३ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी की अंश पूंजी में सहभागिता की बीमा के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ कोई समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी की समानांश पूंजी में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः कितना धन लगाया जायेगा । यह बात अभी विचाराधीन है । यह मामला अभी तक तय नहीं किया जा सका है क्योंकि जिन शर्तों

---

†मूल अंग्रेजी में

पर राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से कम्पनी में लगाने के लिए धन लेना चाहती है वे अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुई हैं। इस बीच में यथापूर्व स्थिति रखी जा रही है अर्थात् आन्ध्र प्रदेश सरकार को कम्पनी की समानांश पूंजी में अपना विद्यमान ६० तिशत अनुपात बनाये रखने की अनुमति दे दी गई है। अग्रेतर गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी को सीधे ही कुल मिलाकर ४ करोड़ ५० लाख रुपए के ऋण दिये गये हैं ताकि कम्पनी अपने विकास कार्यक्रमों को करती रह सके।

### आसाम और नेफा में तेल की खोज

†*१५२. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊपरी आसाम के डम तथा नेफा के निकटस्थ क्षेत्रों में तेल की खोज की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना क्या है ; और

(ग) उसकी क्रियान्विति के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) योजना यह है कि विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण किये जायें तथा इसके पश्चात् सर्वेक्षणों में दर्शाये गये अनुकूल क्षेत्रों में परीक्षाणात्मक छिद्रण करके उन पर आगे कार्यवाही की जाये।

(ग) मार्च, १९६३ के आरम्भ में भूकम्पीय सर्वेक्षण आरम्भ करने का प्रारम्भिक कार्य हो रहा है।

### बिहार में तेल की खोज

१९६. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में तेल की खोज के लिये जर्मन और इटेलियन कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या इन कम्पनियों ने अपना काम शुरू कर दिया है और यदि हां तो अब तक की इनकी खोज का क्या परिणाम निकला है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). वर्तमान समय में बिहार प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल-अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है। आयोग का भारतीय दल आकर्षक चुम्बकीय और भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य कर रहा है। तकनीकी सहायता कार्यक्रम[1] के अन्तर्गत जर्मन की संघीय गणतन्त्र सरकार द्वारा आयोग को भेजी गई एक जर्मन भूकम्पीय पार्टी भी सहायता कर रही है राक्सौल क्षेत्र में ई० एन० आई० की एक उपसंगी संस्था अर्थात्

†मूल अंग्रेजी में

[1] Technical Assistance Programme.

मैसर्ज स्नाम आफ इटली की सेवाओं को प्रयोग करते हुए ठेके के आधार पर व्यधन-कार्य करने का प्रस्ताव है। आगामी ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में व्यधन के कार्य को आरम्भ करने की सम्भावना है।

**बाल चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान योजना**

†१९७. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आन्ध्र प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में बाल चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**संविधान के अनुच्छेद ३११ का संशोधन**

†१९८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री भागवत झा आजाद :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठनों ने एक अभ्यावेदन में संविधान के अनुच्छेद ३११ को संशोधित न करने की सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें एक अखिल भारतीय डाक तार कर्मचारी संघ वर्ग ३ द्वारा दिया गया अभ्यावेदन तथा दूसरा अखिल भारतीय तार संचार कर्मचारी संघ वर्ग ३ द्वारा दिया गया अभ्यावेदन भी सम्मिलित हैं। उनमें संविधान के अनुच्छेद ३११ का संशोधन करने के प्रस्ताव का परित्याग करने पर बल दिया गया है।

(ख) संविधान के अनुच्छेद ३११ का संशोधन संविधान (पन्द्रहवां) संशोधन विधेयक, १९६२ में अन्तर्विष्ट है। क्योंकि विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया है इसलिए संशोधन के सम्बन्ध में समस्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा चर्चा होगी तथा निर्णय लिया जायेगा और संसद् में वाद-विवाद होगा तथा निर्णय लिया जायेगा।

**भूतपूर्व शासकों द्वारा पैतृक सम्पत्ति का विक्रय**

†१९९. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूतपूर्व शासकों को अपनी सम्पत्ति को विक्रय करने की अनुमति दे दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९ जनवरी, १९६१ को जारी की गयी एक अधिसूचना द्वारा धन कर अधिनियम १९५७ के अन्तर्गत केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त भतपूर्व सैनिकों की पैतृक सम्पत्ति हीरे जवाहरात आदि को बिना कोई दंड दिए हुए ६½ प्रतिशत स्वर्ण बौंड् स १९७७ में लगाए जाने के लिए विक्रय करने की अनमति दे दी गई है ।

## शिक्षा के क्षेत्र में छूतछात

२००. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में छूतछात दूर करने के लिये मैसूर सरकार ने योजना बनाई है कि सवर्ण छात्रों को हरिजनों के छात्रावासों में मफ्त रहने की सुविधायें दी जायेगी ; और

(ख) क्या इस योजना को देश के अन्य भागों में भी प्रारम्भ करने का विचार किया जा रहा है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) तथा (ख). भारत सरकार को मैसूर की वस्तुस्थिति का पता नहीं है । परन्तु स्वीकृत नीति यह है कि हरिजनों के लिए कोई अलग छात्रावास नहीं होने चाहिएं क्योंकि इससे छूतछात बनी रहेगी । पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य मंत्रियों की जुलाई, १९६२ में हुई बैठक में इस नीति का समर्थन किया गया था ।

## दरभंगा में राजनगर स्टेशन के निकट पुरातत्वीय खुदाई

†२०१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा जिले में (बिहार) राजनगर रेलवे स्टेशन (उ० पू० रेलवे) से १४ मील की दूरी पर स्थित बाली राजगढ़ के नाम से विख्यात प्राचीन भूमिगत किले की खुदाई प्रारम्भ करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) खुदाई का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा ।

## शिक्षण तथा परीक्षा पद्धति

†२०२. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हमारी शिक्षण तथा परीक्षा प्रणाली में परिवर्तनों तथा सुधारों के सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जी, हां । प्रतिवेदन संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

## समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान

†२०३. { डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री कजरोलकर :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारत में समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस क्षेत्र में अगले दस वर्षों के लिए विकास का क्या कार्यक्रम है ;

(ग) क्या निकट भविष्य में समुद्र विज्ञान में कोई शिक्षा सम्बन्धी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम चालू करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या ब्यौरे हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) भारत में अन्य विज्ञानों की तुलना में समुद्र विज्ञान अभी नया है। आंध्र तथा केरल विश्वविद्यालय, मीनक्षेत्र अनुसंधान संस्था, मंडपम और नौसेना के वैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय में कुछ कार्य किया जा रहा था। सब से अधिक महत्वपूर्ण नई प्रगति १९६० में सामुद्रिक अनुसंधान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन है, जोकि सामुद्रिक अनुसंधान के समस्त पहलुओं पर मंत्रणा देगी। भारत, अन्तर्राष्ट्रीय भारत महासागर अभियान में भी भाग ले रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्था की एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान संबंधी यूनिट तथा एक प्राणिविज्ञान संबंधी केन्द्र क्रमशः कोचीन तथा इरनाकुलम में स्थापित किये जा रहे हैं ।

(ग) और (घ). आंध्र, अन्नामलाई तथा केरल विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है ।

## भारतीय समुद्र विज्ञान अभियान

†*२०४. { डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री कजरोलकर :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी समुद्र विज्ञान अभियान ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के ब्योरे क्या है कि उस पर कितना धन व्यय हुआ, कितने वैज्ञानिकों ने उसमें भाग लिया तथा अभियान द्वारा यह निर्णय करने के कारण कि अदन तथा अन्य बीच के बन्दरगाहों पर रुके बिना बम्बई की ओर आने से कितनी बचत हुई ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन

२०५. **श्री मोहनस्वरूप** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी जिलों में बिजली पैदा करने की कुछ योजनाओं पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का विवरण क्या है ; और

(ग) क्या समीपवर्ती जिला नैनीताल की खटीमा तहसील में भी इन बिजली योजनाओं का विस्तार किया जायेगा ताकि इस इलाके का विकास सम्भव हो सके ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) भारत सरकार ने यह मंजूर कर लिया है कि अगर विदेशी मुद्रा की कठिनाई न पड़ी तो वह पिथौरागढ़ पावर प्रोजेक्ट और उत्तरकाशी हाइडल प्रोजेक्ट के लिये आर्थिक सहायता देगी ।

(ख) पिथौरागढ़ नगर को बिजली देने के लिए २.६५ लाख रुपये की अनुमानित लागत से १४२ किलोवाट शक्ति का एक डीज़ल आयल से चलने वाला बिजली घर लगाने का विचार है। उत्तरकाशी हाइडल प्रोजेक्ट के अंतर्गत १२.०४ लाख रुपये की लागत से उसी गंगा (कालीगाड) नदी के दायें किनारे पर एक पावर चैनल और उत्तरकाशी नगर में २०० किलोवाट का एक बिजली घर बनाया जायगा ।

(ग) इस बारे में विचार उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है ।

## सिबसागर परियोजना में रूसी विशेषज्ञ

†*२०६. { श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या खान और ईंधन मंत्री २३ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सिबसागर परियोजना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहायता करने वाले रूसी विशेषज्ञ जो वापस बुला लिये गये थे को पुनः परियोजना में लौट जाने को कहा गया है ; और

(ख) वे वहां पर कब तक चले जायेंगे ।

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) १ नवम्बर, १९६२ में आसाम से वापस बुला लिये गये रूसी विशेषज्ञों में से ७ विशेषज्ञ तथा एक दुभाषिया रूस वापस लौट गये हैं क्योंकि भारत में उनकी सेवा का समय समाप्त हो गया था। गुजरात क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में नियुक्त शेष विशेषज्ञों में से दो को पुनः सिबसागर परियोजना में स्थानान्तरित कर दिया गया है। चार नये विशेषज्ञ जो गुजरात क्षेत्र के लिए थे सिबसागर परियोजना भेज दिया है और गुजरात में काम कर रहे विशेषज्ञों को वहां से नहीं हटाया गया है क्योंकि इससे काम में गड़बड़ी पैदा हो जाती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## कालोल तथा अंकलेश्वर में तेल के निक्षेप

†२०७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पु० र० पटेल :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालोल, तथा अंकलेश्वर में पहले के अनुमानों से अधिक तेल के निक्षेप हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा तेल के लिए छिद्रण कार्यों को बढ़ाने के लिए तथा गुजरात शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). कोयली तेल शोधक कारखाने की क्षमता को वर्ष में ३० लाख टन बढ़ाने का विचार है तथा ऐसा अनुमान है कि कालोल अंकलेश्वर तथा गुजरात के अन्य तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल का उत्पादन उपरोक्त आवश्यकता को पूरा कर देगा। इन क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम उपरोक्त आवश्यकता के पूरा करने के लिए बढ़ाया जा रहा है।

## कोयले का खनन

†२०८. श्रीमती विमला देवी : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी द्वारा पश्चिम गोदावरी जिले में, एलुरू के निकट छिद्रण कार्य किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले के कितने निक्षेप मिले हैं ; और

(ग) क्या कम्पनी का विचार इस क्षेत्र में खनन कार्य आरम्भ करने का है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी द्वारा पश्चिम गोदावरी जिले में, एलुरु के निकट अभी भी छिद्रण कार्य किया जा रहा है।

(ख) अब तक चार छिद्रण किये गये हैं। उनमें से कुछ में कोयले के कुछ टुकड़े तथा कार्बनयुक्त बड़े टुकड़े मिले हैं। इस क्षेत्र में कोयले के कितने निक्षेप हैं इसका पता लगाने के लिए और ड्रिलिंग की जा रही है।

(ग) यदि पर्याप्त छिद्रण करने पर कोयले की उचित मात्रा होने का पता लगा तो सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी इस क्षेत्र में खनन आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करेगी।

## कोठागुडम में गहरा खनन

†२०९. श्रीमती विमला देवी : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोलियरीज़ कोठागुडम प्रबन्ध कब से गहरा खनन आरम्भ करने का विचार कर रहा है ; और

(ख) गहरे खनन के लिए कोयले के निक्षेप कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी का विचार कोठागुडम में आगामी १२ से १८ महीनों में ८०० से ९०० फीट तक दो 'शेफ्टों' को गलाने का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रक्षित कोयले का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग किया जा रहा है। परन्तु आशा है कि रिजर्व ५०० से ६०० लाख के रिजर्व होंगे।

## प्रतिबन्धित पुस्तकों की कथित बिक्री

†२१०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'नाइन आवर्स टू रामा' 'लोटस एण्ड रोबोट', नैपाल जैसीं पुस्तकें जिन पर भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है नई दिल्ली के कनाट प्लेल की पटरियों पर निर्बाध रूप से बिकती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन पुस्तकों की बिक्री को रोकने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) जांच करने पर मालूम हुआ कि यह कहना ठीक नहीं है कि यह पुस्तकें कनाट प्लेस की पटरियों पर निर्बाध रूप में बिकती हैं। यहां वहां कुछ प्रतियां मिलती होंगी परन्तु उस से यह मालूम नहीं होता है कि उनका आयात प्रतिबन्ध लगाने के बाद हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## औसत आयु

२११. **श्री गोकर्ण प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत में लोगों की औसत आयु का पता लगाने के लिये हाल में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में औसत आयु कितनी है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) से (ग). ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु पिछली जनगणना में इकट्ठे किये गये आंकड़ों से, जिनकी सारणियां बनाई जा रही हैं, लोगों की वर्तमान औसत आयु का हिसाब लगाया जा सकेगा।

## केन्द्रीय सचिवालय सेवा

†२१२. **श्री पें० वेंकटा सुब्बया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रथम श्रेणी के कितने पदाधिकारियों को कार्यपालिका प्रशिक्षण के लिए अब तक भेजा गया है तथा वह अभी भी सेवा में और वह किन राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जायेंगे;

(ख) कार्यपालिका प्रशिक्षण के लिए भेजे गये अधिकारियों की क्या आयु है; और

(ग) जिला प्रशासन में अनुभव प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सेवा का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) राज्यों में कार्यपालिका प्रशिक्षण के लिए अब तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रथम श्रेणी के ७७ अधिकारी भेजे गये हैं। वह राज्य नीचे दिये जाते हैं :—

| | |
|---|---|
| १. आसाम | १ |
| २. आन्ध्र प्रदेश | ३ |
| ३. बिहार | ४ |
| ४. केरल | १ |
| ५. महाराष्ट्र | ६ |
| ६. मध्य प्रदेश | ४ |
| ७. मद्रास | १८ |
| ८. मैसूर | ४ |
| ९. उड़ीसा | १ |
| १०. पंजाब | १० |
| ११. उत्तर प्रदेश | २१ |
| १२. पश्चिम बंगाल | ४ |

इनमें से ७६ अधिकारी अभी भी सेवा में हैं।

(ख) ४५ वर्ष से कम आयु वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने के बारे में विचार किया जाता है।

(ग) क्योंकि प्रशिक्षण के बाद अधिकारी बहुत समय तक सेवा में रहते हैं इसलिए भारत सरकार को प्रशिक्षण से निश्चित रूप से लाभ होगा।

## जयपुर में इंजीनियरिंग कालिज

†२१३. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने जयपुर में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना निलम्बित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कब तक के लिए निलम्बित कर दी गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग). वर्तमान आपात के कारण १९६३–६४ में कोई नया इंजीनियरिंग कालिज आरम्भ करने का विचार नहीं है।

## हिन्दी जाननेवाले सरकारी कर्मचारी

२१४. श्री बेरवा कोटा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसमें कितना प्रतिशत उन कर्मचारियों का है जो (१) हिन्दी-भाषी हैं; (२) जो अहिन्दी भाषी हैं, पर हिन्दी में बोल, समझ और लिख सकते हैं; और (३) जिन्हें हिन्दी में काम-काज करने का प्रशिक्षण दिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) लगभग ९ लाख, परन्तु औद्योगिक, वर्क चार्जड और ४५ वर्ष से ऊपर की आयु के कर्मचारियों को छोड़कर, जिनके लिए कि हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, संख्या लगभग ६.३ लाख है।

(ख) (१) २० प्रतिशत ।

(२) २६ प्रतिशत ।

(३) १० प्रतिशत ।

## दिल्ली में अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग

†२१५. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कार्यों पर १९६१–६२ में दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है तथा कितना व्यय किया गया है :

(१) आर्थिक कल्याण

(२) शिक्षा विकास

(३) स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनायें; और

(ख) १९६२–६३ में उक्त योजनाओं के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ८६५/६३]**

## संघ राज्य-क्षेत्रों में अपराध

†२१६. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बूटा सिंह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में संघ राज्य क्षेत्र में कितने अपराध हुए;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रवार उनके ब्योरे क्या हैं;

(ग) क्या पहले वर्ष की तुलना में ऐसे मामले कम हुए हैं अथवा नहीं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रखी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

## मिट्टी का तेल

†२१७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री १४ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिट्टी के तेल के प्रयोग को नियंत्रित तथा विनियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) आन्तरिक उपयोग के लिए मिट्टी के तेल का वास्तविक उत्पादन तथा आवश्यकता कितनी है; और

(ग) खाना पकाने के लिए इसकी कुल कितनी खपत होती है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तेल वितरण समवायों से आसंचयन को रोकने के लिए भांडार देने को कहा गया है। कुछ राज्य सरकारों जैसे महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा त्रिपुरा प्रशासनों ने मिट्टी के तेल की उचित मूल्य की दूकानें खोली थीं जब कि कुछ अन्य राज्य सरकारों जैसे गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा तथा दिल्ली प्रशासनों ने मिट्टी के तेल की बिक्री, वितरण तथा मूल्य के विनियमन के आदेश दे दिये हैं।

(ख) मिट्टी के तेल (जिसमें अच्छे किस्म का मिट्टी का तेल, घटिया किस्म का मिट्टी का तेल तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल शामिल है) में की वर्तमान वार्षिक आवश्यकता २०.६ लाख टन है जब कि वार्षिक उत्पादन १०.६ लाख टन है।

(ग) ठीक सांख्यकी उपलब्ध न होने के कारण यह सम्भव नहीं है कि केवल खाना बनाने में कितना मिट्टी का तेल काम में आया, बाताया जा सके।

## टीन के निक्षेप

†२१८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही भारत में टीन के निक्षेप मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## गंगटोक के निकट तांबे के निक्षेप

†२१९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगटोक के निकट रानीखोला स्थान के पास तांबे के बड़े निक्षेप मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) वहां पर खोज से पता नहीं लगता कि वहां पर कोयले के बड़े निक्षेप हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

### सासनी, अलीगढ़, में मिलने वाली पुरातत्वीय वस्तुएं

†२२०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यज्ञखेरा और अलीगढ़ जिले में सासनी स्थानों पर कुछ प्राचीन स्तूपकों पर व्यापक रूप से ३००० वर्ष पुरानी वस्तुयें पाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) (क) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सासनी तथा कुछ अन्य स्थानों पर और ऐटा जिले में यज्ञखेरा गांव के समीप कुसक में कुछ वस्तुयें पाई गई हैं परन्तु इटावा जिले में कोई नहीं पाई गईं ।

(ख) इन वस्तुओं में मुख्यतः मिट्टी के बर्तन हैं जिन्हें पेंटेड ग्रे वेयर (रंग किये हुये भूरे बर्तन) कहा जाता है और जो शायद १००० ई० पू० में प्रयोग किये जाते थे ।

### कोजीकोड़ प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज

†२२१. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजीकोड प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज के लिये भवन के निर्माण में कोई प्रगति की गई है ;

(ख) क्या कालेज अब चल रहा है और क्या सरकार पर्याप्त कमरे न होने के कारण विद्यार्थियों को आने वाली कठिनाइयों से अवगत है ; और

(ग) भवन के कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) : (क) वर्कशाप और कुछ प्रयोगशालायें बन रही हैं और उनके जून १९६३ तक तैयार हो जाने की आशा है । कुछ ही समय में ४०० छात्रों के लिये होस्टल का निर्माण आरंभ हो जायेगा ।

(ख) कालेज ने कोजीकोड में केरल पालीटेक्नीक के नये भवनों के एक भाग में अगस्त १९६१ में काम करना आरंभ कर दिया था । पालीटेक्नीक में विद्यार्थियों के शिक्षण और निवास दोनों के लिये सुविधायें की गई हैं और वे किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं कर रहे हैं ।

(ग) प्रावस्थित कार्यक्रम के अनुसार कालेज के भवन, होस्टल और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण-कार्य आरंभ कर दिया गया है तथा इसके जून १९६५ तक समाप्त हो जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**एमरजेंसी कमीशन के लिए आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी**

†२२२. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में एमरजेंसी कमीशन के लिये अभ्यावेदन देने के लिये आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों पर कोई प्रतिबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) संकटकाल में एमरजेंसी कमीशन के लिये अभ्यावेदन देने वाले ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). सेना में एमरजेंसी कमीशन के लिये अभ्यावेदन देने के लिये अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु एक सामान्य नियम के रूप में यह निर्णय किया गया है कि अखिल भीरतीय सेवाओं के अधिकारियों को सैन्य सेवा के लिये मुक्त न किया जाए। यह बात अत्यावश्यक महत्व रखती है कि संकटकाल में कार्यदक्ष असैनिक प्रशासन को बनाये रखा जाये और असैनिक सेवायें आन्तरिक सुरक्षा, असैनिक रक्षा के संगठन, असैनिक संभरण सम्बन्धी काम आदि का अतिरिक्त भारवहन करने के योग्य होनी चाहियें। संकटकाल में भी विकास कार्यक्रम में यथासंभव कम से कम विस्थापन होने देने की सरकार की नीति भी इस बात का एक और कारण है कि असैनिक सेवा पदालियों का अस्तव्यस्त होना क्यों अवांछनीय है। अखिल भारतीय सेवाओं तथा बहुत सी उच्चतर सेवाओं की पदालियों में इस समय भी आवश्यकता से कम व्यक्ति हैं।

इस सामान्य नियम में अपवाद केवल ऐसे मामलों में हो सकता है जहां कि अधिकारी के पास सैन्य सेवा के लिए कोई विशेष अर्हतायें हों और यह समझा जाये कि उसके असैनिक पद पर बने रहने की बजाय उसके सैन्य सेवा में ले लिये जाने से देश को अधिक लाभ होगा।

(ग) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

**आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी**

†२२३. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेष राज्य को आवंटित कर दिए जाने के बाद किन्हीं परिस्थितियों में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी अपना राज्य बदले जाने के लिये अभ्यावेदन दे सकते हैं ; और

(ख) क्या उन अधिकारियों को, जिनकी नियुक्ति उनके अपने राज्यों से बाहर की जाती है, कोई भत्ते दिए जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री): (क) आई० ए० एस०/आई० पी० एस० अधिकारी अपने किसी विशेष राज्य को आवंटित कर दिये जाने के बाद अपनी पदवी में परिवर्तन करने के कारण देते हुये अभ्यावेदन दे सकते हैं।

(ख) नहीं।

**पंजाब में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी**

†२२४. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ और १९६२ में पंजाब में सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गए आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों की संख्या क्या है?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

| सेवा | पंजाब में नियुक्त अधिकारियों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | १९६१ में | | १९६२ में | |
| | सीधी भर्ती द्वारा | पदोन्नति द्वारा | सीधी भर्ती द्वारा | पदोन्नति द्वारा |
| आई० ए० एस० . . | १० | ९ | १० | विचाराधीन |
| आई० पी० एस० . . | २ | .. | ३ | .. |

**विदेशी भाषाओं में छात्रवृत्ति योजना**

†२२५. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में विदेशी भाषाओं में छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के खर्च पर विदेश भेजे गये विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) आठ।

(ख) कोई नहीं।

**विदेशों में प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां**

†२२६. श्री दलजीत सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत १९६२-६३ में विदेशों में प्रशिक्षण के लिये पंजाब के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या क्या है ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) पंजाब के अभ्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन/अनुसन्धान/प्रशिक्षण के लिये १८ छात्रवृत्तियां दी गई थीं।

(ख) कोई नहीं ।

## अशासकीय संगठनों को सहायक अनुदान

†२२७. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ और १९६२ में केन्द्रीय सरकार द्वारा हरिजन सेवक संघ, दलित जाति संघ और ऐसी ही अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं को दिये गये सहायक अनुदानों की राशि क्या है ; और

(ख) किन योजनाओं पर यह राशि व्यय की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० २६६/६३]

अनुदान क्योंकि कैलेण्डर वर्ष के लिये न दिये जा कर एक वित्तीय वर्ष के लिये जाते है, जानकारी १९६१–६२ और १९६२–६३ के वित्तीय वर्षों के बारे में दी गई है ।

## गुरुकुलों को सहायता

२२८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में आधुनिक विषयों को सम्मिलित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री डा० का० ला० श्रीमाली : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायताके लिये गुरुकुल-मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं में आधुनिक विषयों के अध्यापन की सुविधा पहले ही से है ।

## मध्य प्रदेश में नये विश्वविद्यालय

†२२९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार इन्दौर, ग्वालियर और रायपुर में तीन नये विश्वविद्यालय आरंभ करने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार क्या सहायता दे रही है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये कोई अनुदान नहीं देता । वह वर्तमान विश्वविद्यालयों के विकास के लिये सहायता देता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## पाकिस्तान को कोयला भेजना

†२३०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२ में पाकिस्तान के दोनों भागों को भेजे गये कोयले के लदान के लिये वैगनों का कुल मासिक आवंटन क्या था ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: १९६२ में पाकिस्तान के दोनों भागों को कोयले के निर्यात के लिये वैगनों का आवंटन निम्न प्रकार से है :

| मास (१९६२) | आवंटन (वैगनों में) |
|---|---|
| जनवरी | ४६५५ |
| फरवरी | ३७३० |
| मार्च | ४१७९ |
| अप्रैल | ४८१३ |
| मई | ४९३२ |
| जून | ४८६० |
| जुलाई | ६५१८ |
| अगस्त | ५२१३ |
| सितम्बर | ४४६५ |
| अक्तूबर | ४४९८ |
| नवम्बर | ४६४९ |
| दिसम्बर | ४०३२ |
| कुल | ५६,५४४ |

## दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक

†२३१. **हेम बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछेक कालेजों में प्राध्यापकों और वरिष्ठ प्राध्यापकों को १९६१ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर किये गये पुनरीक्षित वतन-क्रम अभी दिये जाने हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन कालेजों में अभी इसे क्रियान्वित किया जाने वाला है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर किये गये पुनरीक्षित वेतन क्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कालेजों में आरम्भ कर दिये गये

†मूल अंग्रेजी में

हैं। पुनरीक्षित क्रम में वेतन के पुनः निर्धारण के कुछ वैयक्तिक मामलों का पूरी जानकारी प्राप्त न हो सकने के कारण अभी तक आयोग द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली में देशी शराब का मूल्य**

२३२. **श्री ेरवा कोटा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में देशी शराब की कीमत कम कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शराब सस्ती होने से जो मजदूर वर्ग या अनुसूचित जाति के लोग शराब पीते हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा ; और

(ग) इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) शराब की फुटकर बिक्री की कीमत सरकार तय नहीं करती।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**अश्लील चित्रों वाले पेन और लाइटरों की बिक्री**

२३३. **श्री बेरवा कोटा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली व भारत के अन्य बड़ नगरों में सरे बाजार इस प्रकार के पेन व लाइटर्स बिकते हैं जिनमें महिलाओं के नग्न चित्र एवं अश्लील मुद्राएं छपी रहती हैं ; और

(ख) क्या उपरोक्त सामान की बिक्री और वितरण को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) तथा (ख). यह सच नहीं है कि ऐसे पेन और लाइटर दिल्ली में सरे बाजार बिक रहे हैं, परन्तु हाल ही में कनाट प्लेस का एक दुकानदार एक ग्राहक को अश्लील चित्र वाला बाल-पाइंट पेन दिखाते हुए पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा २९२ के अधीन मामला दर्ज करके न्यायालय को भेज दिया है। अन्य बड़े नगरों के बारे में केन्द्रीय सरकार कं. जानकारी नहीं है।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

**१८ फरवरी को गंगा नदी के पानी के भारतीय भाग में पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र पुलिस का अनधिकृत प्रवेश**

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "१८ फरवरी, १९६३ को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के पानी के भारतीय भाग में पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र पुलिस वालों का कथित अनधिकृत प्रवेश और उनके द्वारा गोली चलाया जाना।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि १७ फरवरी, १९६३ को, लगभग ८ बज कर ४५ मिनट पर, एक भारतीय गश्ती दल द्वारा हज़राहती चार, पी० एस० जालंगी, जिला मुर्शिदाबाद में, गंगा नदी (भारतीय राज्य-क्षेत्र में) एक पाकिस्तानी नाव को देखा गया, जिसमें एक पाकिस्तानी पुलिस कर्मचारी, जो कि वर्दी पहने हुए था, और तीन अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रजन बन्दूकों से लैस उपस्थित थे। ज्यों ही पाकिस्तानी दल ने भारतीय गश्ती दल को देखा उन्होंने गोली चलाई, और उसके साथ ही साथ, नदी से परे पाकिस्तानी क्षेत्र से गोली वर्षा आरम्भ हो गई। भारतीय गश्ती दल ने जवाबन अपने बचाव के लिये गोली चलाई और पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी और उसके दल पर काबू पाने में सफल हो गये। एक पाकिस्तानी नाविक नदी में कूद कर बच निकला। तीन व्यक्तियों को, एक पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी सहित, बन्दी बना लिया गया; और दो बन्दूकें, एक राईफल, कुछ युद्ध सामग्री, एक दूरबीन तथा एक नाव को अपने अधिकार में ले लिया। यह और भी सूचित किया गया है कि पाकिस्तानी पुलिस ने पहले कुछ भारतीय मछली पकड़ने वालों को, और उनकी नावों को पाकिस्तान की ओर खींच कर ले जाने की चेष्टा की थी।

२० फरवरी, १९६३ को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, पूर्वी पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तानी दल के भारतीय राज्य-क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश के बारे में एक विरोध-पत्र भेजा गया। उससे पूर्व, उसी दिन पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा एक विरोध-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें ३ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को "पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र" में से बन्दी बनाये जाने का आरोप लगाया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस आरोप का खण्डन किया गया तथा इस बात का समभिहार किया गया कि पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को तभी बन्दी बनाया गया जबकि उन्होंने भारतीय राज्य क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश किया तथा भारतीय गश्ती दल पर, बिना प्रकुपित किये गये, गोली वर्षा की।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी: पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र में ऐसे अनिधिकृत प्रवेशों के बढ़ जाने के फलस्वरूप सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्या पग उठाये गये हैं; तथा उन बनाये गये बन्दियों को कहां रखा गया है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन: बन्दी बनाये गये व्यक्ति अभिरक्षा में हैं। मैं यह नहीं बता सकती कि उन्हें किस स्थान विशेष पर रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह जानने के इच्छुक क्यों हैं कि उनको कहां रखा गया है ? वह सुरक्षित अभिरक्षा में हैं।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी: पूर्व में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि पाकिस्तानी पुलिसमैनों को सरकार द्वारा छोड़ दिया गया, जबकि पाकिस्तान द्वारा हमारे राष्ट्रजनों को मुक्त नहीं किया जाता। इस उद्देश्य से, मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि उन बन्दियों को मुक्त न किया जाय।

†श्री नाथ पाई (राजापुर): क्या हम जान सकते हैं कि बन्दी बनाये गये अधिकारियों की पदस्थिति क्या है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन: माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में मैं यह कहना चाहती हूं कि सीमाओं पर अनधिकृत प्रवेश न हों इसके लिए सभी पूर्वोपाय किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय वित्त मन्त्री अब बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।

**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** अध्यक्ष महोदय, वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बर्मा सरकार के हाल ही के फैसले के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों द्वारा दिये हुए नोटिसों के जवाब में आपकी इजाजत से मैं एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहूंगा ।

जैसा कि सभा को मालूम है, बर्मा की अर्थ-व्यवस्था के विस्तार और विकास में सहायता पहुंचाने में कुछ समय पहले तक भारतीय बैंकों और साहूकारों का जबर्दस्त हाथ रहा है । हाल के कुछ वर्षों तक, यहां तक कि पिछले आठ या नौ वर्षों तक बर्मा में विदेशी बैंकों में ही, जिनमें भारत में निगमित (इनकारपोरेटेड) बैंक भी शामिल हैं, अधिकतर रकमें जमा करायी जाती थीं और विभिन्न कम्पनियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का ज्यादातर हिस्सा ये बैंक ही पूरा करते थे । लेकिन हाल के वर्षों में स्थिति में भारी तबदीली हुई है ।

१९५४ में बर्मा के स्टेट कमर्शल बैंक की स्थापना होने से विनिमय (एक्सचेंज) बैंकों का महत्व, हाल के राष्ट्रीयकरण के पहले से ही अपेक्षाकृत कुछ कम होने लगा था । बर्मा की अर्थ-व्यवस्था में हुए दूसरे परिवर्तनों से भी इनकी जमा रकमों और इनके द्वारा किये जाने वाले दूसरे कारबार में काफी कमी हुई । सरकारी जिन्सों (स्टेट कमोडिटी) की बिक्री की और दूसरे बोर्डों की रकमें इनमें जमा होनी बन्द हो गयी थीं; और अमेरिका के फालतू कृषि-पदार्थों की बिक्री से प्राप्त प्रतिरूप निधियों (काउण्टरपार्ट फण्ड) की रकमें भी विनिमय बैंकों को नहीं मिलती थीं, बल्कि बर्मा के यूनियन बैंक या स्टेट कमर्शल बैंक में जमा की जाती थीं ।

जिन भारतीय बैंकों ने बर्मा में अपना कारबार पहले ही से अच्छी तरह जमा लिया था, वे तेजी से हुए इन व्यापक परिवर्तनों के बावजूद, अपना काम करते रहे, क्योंकि वे बर्मा की अर्थ-व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की मदद करने और आयात-निर्यात व्यापार सम्बन्धी जरूरी सुविधाएं देने की स्थिति में थे । जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले की घोषणा की गयी, उस समय बर्मा में पांच भारतीय बैंक, यानी स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, यूनाइटेड कमर्शल बैंक और इण्डियन ओवरसीज बैंक काम कर रहे थे और उस देश में उनके कुल सात कार्यालय थे । इन पांच भारतीय बैंकों की कुल जमा रकम १० करोड़ रुपये से कुछ कम थी और यह रकम सभी वाणिज्यिक बैंकों की जमा रकमों का लगभग दस प्रतिशत थी । इन बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की रकम वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों की रकम का लगभग ६ प्रतिशत थी लेकिन वहां की उस वक्त की हालत के अनुसार ये अग्रिम जैसा कि शायद जरूरी था, अधिकतर भारतीय व्यापारियों को दिये गये थे या बर्मा के भारत और दूसरे देशों के साथ हुए व्यापार के बिलों की शक्ल में थे ।

भारतीय बैंकों में स्थानीय पूंजी नहीं लगी हुई थी क्योंकि वे बर्मा में अलग से निगमित (इनकारपोरेटेड) नहीं थे । इन बैंकों की बर्मा स्थित शाखाओं को भारत-स्थित मुख्य-कार्यालयों से पहले पहल जो कुछ लाख रुपया भेजा गया वही इन का प्रारम्भिक पूंजी खर्च था । लेकिन चूंकि २३ फरवरी, १९६३ तक प्रतिदिन होने वाले अनेक लेन देनों के कारण इन शाखाओं में होने वाले समायोजन से भारत में इन बैंकों के मुख्य कार्यालयों के प्रति इस पूंजीगत देनदारी पर प्रभाव पड़ा

---

†मूल अंग्रेजी में

और उस में परिवर्तन हुए इसलिए इस समय मेरे लिए यह बताना सम्भव नहीं कि राष्ट्रीकरण के समय कि स्थिति क्या थी सिवाय इस बात के कि जितनी पूंजी पर इस का प्रभाव पड़ा है और जिसे भारत लाया जाना है वह शायद बहुत अधिक नहीं है।

महोदय इस वक्तव्य में मैं पहले ही बता चुका हूं कि बर्मा में काम करने वाले भारतीय बैंकों ने अपने आप को पिछले कुछ वर्षों में होने वाले अनेक परिवर्तनों के अनुसार ढाल लिया था। मेरा खयाल है कि इन बैंकों को बर्मा की अर्थव्यवस्था की और अधिक वृद्धि में और उसे बहुमुखी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करना था और ये बैंक भारत और बर्मा के बीच व्यापार और अन्य आर्थिक सम्बन्धों के विकास में सहायता दे सकते थे।

हमें इस बात का पक्का पता नहीं है कि बर्मा की क्रान्तिकारी परिषद् ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निश्चय आखिर क्यों किया। किन्तु बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सम्भवतः चावल को मिला कर तमाम अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात और निर्यात और चावल कूटने के उद्योग और तमाम नये औद्योगिक उपक्रमों के नियंत्रण की एक अधिक व्यापक और सामान्य नीति के अनुसार किया गया है। जैसाकि सभा को पता है उन में से कुछ निश्चयों की पूर्व-सूचना अभी हाल ही में रंगून में की गयी एक घोषणा में दी गयी थी। मेरे लिए इस किस्म के वक्तव्य में इन बड़े सवालों के बारे में जिन का सम्बन्ध एक दूसरे देश की सरकार की नीति और कार्यक्रम से है कुछ कहना न तो वांछनीय है और न जरूरी ही। इसलिए मैं इस विषय पर इस से अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

इस समय इस मामले में हमारी दिलचस्पी इस बात को पक्की व्यवस्था होने में है कि नयी प्रस्तावित प्रबन्ध समितियों को भारतीय बैंकों की सम्पत्ति और अन्य परिसम्पत्तियों का अन्तरण सुव्यवस्थित ढंग से हो जाय और इन का सही और उचित मूल्यांकन के आधार पर लिया जाय। इन बैंकों के भारत-स्थित कार्यालयों को जितनी रकम भेजी जानी है अथवा जितनी रकम का भुगतान किया जाना है जिस में वे लाभ, जो भेजे नहीं गये, कर्मचारी-प्रतिभूति जमा, भविष्य निधि और गारंटी निधि और इस प्रकार की अन्य मदें शामिल हैं, उसे उस मुक्त विदेशी मुद्रा (फ्री फारेन एक्सचेंज) में, जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं, जल्दी भेज दिया जाय अथवा अदा कर दिया जाय। भारतीय कर्मचारियों को जिन की बदली आज हाल की घटनाओं के कारण भारत में दूसरे कार्यालयों या शाखाओं में की जानी है, भारत में आने की और अपने बचत की रकमों और अन्य परिसम्पत्ति को भारत में अपने साथ लाने की अनुमति दी जाय।

महोदय, मुझे उम्मीद है कि बर्मा की सरकार इन मामलों में सही और उचित दृष्टिकोण अपनायेगी और भारतीय बैंकों को किये जाने वाले भुगतान इस प्रकार करेगी जिस से इन बैंकों को सहायता दी जा सके। हमारे राजदूत इस सम्बन्ध में बर्मा की सरकार के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं।

†**हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक विस्तृत वक्तव्य दिया गया है।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : क्या मैं यह जान सकता हूं कि बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर, क्षतिपूर्ति के लिये जो आधार निश्चित किया गया है, उस की सूचना हमें मिल चुकी है और क्या इस राष्ट्रीयकरण का प्रभाव हमारी विदेशी विनिमय स्थिति पर पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : इन आधारों की सूचना अभी हमें नहीं दी गई है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मेरे विचार में वर्तमान में स का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : क्या सरकार बर्मा सरकार से सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी कि क्षतिपूर्ति किस आधार पर निश्चित की जायगी और कि राष्ट्रीयकृत भारतीय राज्य बैंक की शाखा की क्या दशा होगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इन मामलों पर अभी बातचीत होगी।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**संविधान तथा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: मैं संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (३) के परन्तुक के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं:—

(क) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६४४ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, १९६२।

(ख) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६८९ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, १९६२।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६९८/६३]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७२९ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६९९/६३]**

(ख) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७३० में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) संशोधन नियम, १९६२।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी० ७००/६३]**

**खनिज रियायत (पांचवां संशोधन) नियम**
**और**
**कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन नियम**

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १५ दिसम्बर,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७०७ में प्रकाशित खनिज रियायत (पांचवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं ।

मैं कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३१५ में प्रकाशित कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ८६०/६३]**

**अन्तर्राष्ट्रीय कापी राइट (पहला संशोधन) आदेश**

**तथा**

**विक्टोरिया मेमोरियल के न्यासधारियों की कार्यकारिणी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन**

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कापी राइट अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत, दिनांक २३ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४६ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कॉपी राइट (पहला संशोधन) आदेश, १९६३ ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ८४६/६३]**

(दो) ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारिणी समिति की वार्षिक रिपोर्ट ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ८६१/६३]**

**प्रत्यर्पण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मैं प्रत्यर्पण अधिनियम, १९६१ की धारा ३५ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) उक्त अधिनियम की धारा १ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५५ ।

(दो) उक्त अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५६ ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ८५८/६३]**

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

### तेरहवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्ण मूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन स्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

# निर्यात के लिये भेजे जाने वाले सामान पर भाड़े की रियायत के बारे में वक्तव्य

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : श्री स्वर्ण सिंह की ओर से, निर्यात के लिये रेल से भेजे जाने वाले सामान पर भाड़े की रियायत के बारे में, मैं एक वक्तव्य देना चाहता

सभा को इस बात का ान है कि अनेकों निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर, जिन की संख्या कच्चे मैंगनीज़ सहित ६६ है, उल्लिखित उत्पादन केन्द्रों से उल्लिखित पत्तनों तक रेल से भेजे जाने पर भाड़े की रियायत दी जाती है। सामान्य प्रशुल्क दरों के ऊपर रियायत की मात्रा कच्चे लोहे पर ५ प्रतिशत से ले कर कच्चे मैंगनीज़ तथा अनेकों विभिन्न वस्तुओं पर, ५० प्रतिशत तक दी जा ी है।

सभा को यह जान कर हर्ष ोगा कि स्थिति के विस्तृत अध्ययन, तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (अन्त र्राष्ट्रीय व्यापार विभाग) से परामर्श के पश्चात, अब यह निर्णय किया गया है कि निर्यात के लिये रेल से भेजे जाने वाले सामान पर भाड़े की रियायत कई अन्य वस्तुओं के लिए भी दी जाये।

(क) यह निश्चय किया गया है कि निर्यात किये जाने वाले कच्चे मैंगनीज़ के वहन पर भाड़े का वज्ञानिकन किया जाय। निर्यात किये जाने वाले कच्चे मैंगनी पर पुनरीक्षित भाड़ा उस प्रकार ोगा जिस प्रकार वक्तव्य में दिया गया है। यद्यपि निर्यात किये जाते वाले कच्चे मैंगनीज़ पर जो अल्पकालिक रियायतें गत वर्ष, एक वर्ष के लिए, घोषित की गई थीं, उन में रूपभेद किये गये हैं, नई अनुसूची द्वारा मूल प्रशुल्क दरों पर, वैज्ञानिकन के आधार पर बहुत सी रियायतों का उपबन्ध है।

(ख) अन्य वस्तुओं पर सामान्य प्रशुल्क दरों में कमी की सीमा २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक है। इस के अतिरिक्त, अधिक महत्वपूर्ण वस्तुयें, जैसे मूंगफली का तेल तथा वनस्पति, सूती कपड़ा, लोहे की ढली वस्तुयें, टीन के बर्तन इस्पात नलिकायें, बिजली के पंखे, तेल मिल मशीनरी, डीज़ल इंजन, सूखी और नमक मिली मछली, सिलाई की मशीनें, साइकिल और साइकिल के पुर्जे, लोहे के सन्दूक, लोहे का फर्नीचर, फैरो-मैंगनीज़, फैरो-सिलिकौन तथा ढले हुए लोहे से बने पाइप्स, पर अब रियायतें दी जा रही हैं। इस के साथ, साथ कुछ वस्तुयें, जिन पर वर्तमान में रियायतें दी जाती हैं, वह रियायतें बजाय उल्लिखित स्टेशनों से उल्लिखित पत्तनों तक दिये जाने के, अब किसी भी स्टेशन से किसी भी पत्तन तक दी जायेंगी।

निर्यात किये जाने वाले कच्चे मैंगनीज़ पर पुनरीक्षित भाड़ा प्रशुल्क, जो कि दूर के फासलों पर न्यूनतम प्रतिमान दर के आधार पर लिया जाता है, अतिरिक्त अधिभार से मुक्त होगा।

निर्यात में वृद्धि करने, तथा निर्यात यातायात में सहायता करने के उद्देश्य से, रेलवे मंत्रालय विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा सम्बद्ध व्यापार के प्रतिनिधियों के परामर्श से, निरन्तर अध्ययन करती रहती है।

एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अब दी गई रियायतें दिखाई गई हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ८६२/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

# राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री रा० शि० पाण्डेय द्वारा २० फरवरी, १९६३ को प्रस्तुत तथा डा० क० ल० राव द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राष्ट्रपति महोदय के अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १८ फरवरी, १९६३ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है।' "

†**श्री मुथिया** (तिरुनेलवेली) : मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

यह भारत का सौभाग्य है कि आज डा० राधाकृष्णन जैसा महान् दार्शनिक राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। डा० राधाकृष्णन ने पश्चिमी तथा पूर्वी संस्कृतियों का निर्वचन करके दोनों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयत्न किया है, और अपने कार्यों से विश्वख्याति प्राप्त की है।

हमारी सरकार का लक्ष्य लोकतंत्रात्मक तथा समाजवादी समाज की स्थापना है, जिसमें न्याय, समानता, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार साधनों की उपलब्धता तथा आर्थिक समानता होगी। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये योजनायें बना कर हम आगे बढ़ रहे हैं।

अपनी अर्थ-व्यवस्था के सुधार में उन्नति करते हुए भी मैं अनुभव करता हूं कि समाजवादी लक्ष्यों की ओर हम उचित गति से नहीं बढ़ रहे। सैद्धान्तिक दृष्टि से चीनी चुनौती का सामना करने के लिए हमें उन्नति की गति में तीव्रता लानी होगी। आपातकाल में राष्ट्र-विरोधी तथा समाज-विरोधी तत्वों के प्रति सरकार को अधिक सजग रहना पड़ेगा।

कृषि उत्पाद में काफ़ी वृद्धि हुई है। श्रम प्रधान कृषि कार्यक्रम, जैसे एकमुश्त[1] कार्यक्रम चालू किये गये हैं और उन से प्रति एकड़ उत्पादन में कुछ वृद्धि भी हुई है। फिर भी हम कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं और हमें करोड़ों रुपये की लागत के खाद्यान्न का आयात करना पड़ रहा है। तृतीय योजना में १० करोड़ टन के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये ग्रामीणों और किसानों को प्रोत्साहित करना होगा। लाभप्रद निम्नतम मूल्य निश्चित करने होंगे और उर्वरकों तथा सस्ते ऋणों को शीघ्रता से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक राज्य में उर्वरक कारखाने स्थापित करने होंगे।

१९५१ के बाद से उद्योग के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। इस्पात का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और सार्वजनिक क्षेत्रों के स्पात संयंत्रों का विकास किया जा रहा है। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि तृतीय योजना में प्रस्तावित सलेम और नेवेली में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्रों के विषय में अभी कुछ नहीं किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र में तेल का उत्पादन भी बढ़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तन्जोर जिले के अरन्तन्गी स्थान पर भी ड्रीलिंग का कार्य आरम्भ कर दिया जाना चाहिये और मद्रास में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित कर दिया जाना चाहिये।

शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। बहुत बड़ी संख्या में नये स्कूल और कालेज खोल दिये गये हैं जिन में इंजीनियरिंग, चिकित्सा एवं तकनीकी कालेज भी सम्मिलित हैं। वैज्ञानिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Package Programme.

और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों के पास रहने के स्थान की कमी है। सरकार को इसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न करना चाहिये और इसके लिये स्कूलों और कालेजों को विशेष अनुदान दिये जाने चाहियें।

विद्यार्थियों में देशभक्ति का उत्साह उत्पन्न करने के लिये कक्षा कार्य आरम्भ होने के पूर्व राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिये। भारत माता के सम्बन्ध में देशभक्ति पूर्ण गीत और फिल्में हर राज्य में प्रांतीय भाषाओं में प्रचारित किये जाने चाहियें। आपातकाल को देखते हुए विद्युत् उत्पादन की गति में भी वृद्धि कर दी जानी चाहिये।

पंचायतराज ने ग्रामीण भारत में एक वास्तविक क्रांति उत्पन्न कर दी है और सम्पूर्ण ग्रामीण भारत को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये प्रयुक्त करने का कार्य सम्भव बना दिया है।

राष्ट्रपति के भाषण में कुछ बातों का उल्लेख नहीं किया गया; जैसे पत्तन-विकास और नई रेलवे लाइनें। तूटीकोरन पत्तन के विकास के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिये। इस काम के लिये १९६२-६३ के लिये साढ़े बारह लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से अभी कुल पांच लाख रुपये ही दिये गये हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम पचास लाख रुपये इस कार्य के लिये दिये जाने चाहियें।

मैं सरकार से यह भी अपील करूंगा कि तिरुनेलवेली—कन्याकुमारी रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य भी आरम्भ कर दिया जाना चाहिये। इसकी योजना कई वर्ष पहले बन चुकी थी किन्तु अभी तक निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं किया गया। यह एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है।

सुनारों को, जो स्वर्ण नियंत्रण नियमों के कारण बेरोजगार हो गये हैं, तुरन्त सहायता दी जानी चाहिये।

तटस्थता की नीति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक ठोस नीति है और दोनों गुटों ने भी इसकी सराहना की है। इसी नीति के कारण हमें अमरीका और रूस दोनों से भारी मात्रा में सहायता मिल रही है। इससे चीन कुपित है। उसका आक्रमण करने का एक उद्देश्य यह है कि भारत पश्चिमी गुट में शामिल हो जाये और इस तरह रूस से भारत को मिलने वाली सहायता बन्द हो जाये।

पाकिस्तान के विषय में राष्ट्रपति ने यह कहा था कि हमें उससे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। यह सर्वथा उचित है।

चीन के आक्रमण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने यह कहा है कि इस समय हमारे सम्मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। देश अपना सारा ध्यान प्रतिरक्षा पर केन्द्रित कर रहा है। सशस्त्र सेना को बढ़ाया जा रहा है। शस्त्रास्त्र भारी मात्रा में तैयार किये जा रहे हैं।

**श्री रामेश्वरानन्द** (करनाल) : शाबाश, बढ़ते चलो।

†**श्री मुथिया** : सब से महत्वपूर्ण बात सब राज्यों में जनता का उत्साह बढ़ाने का अभियान आरम्भ करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

†**श्री मुथिया** : एक शब्द और।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को कम से कम दूसरी घंटी बजने पर तो भाषण समाप्त कर देना चाहिये। हमारे पास समय की बहुत कमी है।

†**श्री मुथिया** : हमारे राष्ट्रपति का पवित्र परामर्श और हमारे प्रधान मंत्री की दूरदर्शी राजनीतिज्ञता . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

†**श्री मुथिया** : . . . . . ***

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री चांडक।

**श्री चांडक** (छिंदवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में पिछले चार दिनों से चल रही बहस के बाद आज मुझे यह मौका मिल रहा है कि मैं भी अपने कुछ विचार प्रकट करूं और इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं.....

**अध्यक्ष महोदय** : जो सदन के कायदे का उल्लंघन करे उसे स्वामी जी कहते हैं कि शाबाश इसी तरह चले चलो। मैं माननीय सदस्य को समाप्त करने के लिए कह रहा हूं और आप उनको मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने पर शाबाशी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चलते चलो।

**श्री रामेश्वरानन्द** : जो आपकी बात नहीं मान रहा वह मेरी क्या मानेगा?

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन यह तो आपके लिए ठीक नहीं है कि जो मेरी बात न माने उसे आप इस तरह शह दें कि चले चलो।

**श्री चांडक** : राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय नीति, ध्येय और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है और सब बातों का ठीक रीति से वर्णन किया है। महा-महिम राष्ट्रपति ने जो भाषण दोनों हाउसेज की संयुक्त बैठक में १८ फरवरी को दिया उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है और हमें बल भी मिलता है। राष्ट्रपति जी ने जो हमारे पड़ोसी देश चीन ने हमारे ऊपर नग्न आक्रमण किया है उसके सम्बन्ध में उन्होंने काफी जोर देकर कहा है।

इस हाउस में हमारे विरोधी पक्ष के लोगों की ओर से कई प्रकार की तकरीरें की गईं और जो यहां अमैंड्मैंट्स इत्यादि आये हैं उनसे भी उनके इरादों का पता चलता है। यहां विरोधी पक्ष के लोगों की ओर से आपत्तियां उठाई जाती हैं और बारबार यह कहा जाता है कि हमारे युद्ध-प्रयत्नों में ढिलाई हो रही है। उनकी ओर से यह भी कहा जाता है कि लीडरशिप को बदल दिया जाय। यह भी कहा जाता है कि इमरजेंसी खत्म की जाय और पश्चिमी राष्ट्र जोकि हमारी मदद कर रहेहैं उनके बारे में भी शक व शुबहा जाहिर किया

---

†मूल अंग्रेजी में

***कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री चांडक]

जाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इस बात के ऊपर काफी प्रकाश डाला है।

जहां तक चीन के आक्रमण का सवाल है उन्होंने अपने एड्रैस के पैराग्राफ १२ में इस बात को साफ तौर से कहा है :—

> "चीनी आक्रमण का प्रश्न हमारे लिये आज भी सर्वाधिक महत्व का विषय है और दूसरे अन्य विषयों पर उसी के संदर्भ में विचार करना है। राष्ट्र की स्वतंत्रता और उसके सम्मान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात समझना है और यदि कोई देश अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरी सब बातों का महत्व समाप्त हो जाता है।"

हमारी सरकार और प्रशासन इस दिशा में बिलकुल कटिबद्ध है। इस हाउस ने जो संकल्प १४ नवम्बर को किया है और जो प्रस्ताव पारित किया है उसके द्वारा स हाउस का ही नहीं वरन् सारे राष्ट्र का चीनी आक्रमणकारियों को भारत भूमि से हटाने का दृढ़ निश्चय प्रकट होता है। उस पर हम कटिबद्ध हैं और मैं नहीं देखता कि शासन की ओर से किस प्रकार ढिलाई हो रही है? राष्ट्रपति जी ने इस बात को साफ कहा है कि शासन की ओर से सब प्रकार के जरूरी मेजर्स लिये जा रहे हैं। युद्ध प्रयत्नों को मजबूत करने के लिए सब संभव कदम उठाये जा रहे हैं। देश को मिलिटरिली—फौजी दृष्टि से मजबूत किया जा रहा है और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, हर तरह से देश को डेवलप किया जा रहा है। विरोधी पक्ष की ओर से शासन पर ढिलाई बर्तने का जो दोषारोपण किया जाता है, यह सब बातें इसीलिए कही जाती हैं मानों शासन पक्ष से ज्यादा उनमें देशभक्ति की भावना हो और इसीलिए यह महज ऊपरी देशभक्ति दिखलाई जाती है। मैं नहीं समझता कि यह बातें और किस उद्देश्य और नीयत से कही जाती हैं? लेकिन जहां तक मेरा अपना खयाल है उससे युद्ध के प्रयत्नों में विरोधी ढिलाई ही पहुंचा रहे हैं। आप उनको मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। उनका इरादा यह है कि किसी तरह से युद्ध प्रयत्न ढीले पड़ जांय।

जहां तक नौन एलाइनमैंट का सवाल है इसके ऊपर भी विरोधी पक्ष वालों ने बहुत कुछ कहा है। इंडिपेंडेंट पार्टी के लोग कहते हैं कि भारत को पश्चिमी राष्ट्रों से गठबंधन कर लेना चाहिए। स नौन एलाइनमट की पालिसी जिसके कि जन्मदाता हमारे नेता श्री जवाहरलाल नेहरू हैं, पिछले पन्द्रह वर्षों में इस पालिसी पर अमल करने से यह सिद्ध हो गया है कि यह नौन एलाइनमैंट की हमारी वैदेशिक पालिसी ही है जिसने कि हमें भरपूर डिवीडेंड दिया है। इससे मुल्क का फायदा हुआ है। हम नहीं चाहते कि हम किसी से दुश्मनी करें। हम किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते। हम सबसे मित्रता रखना चाहते हैं और सबसे मित्रता रखने की नीति पर चलते हुए जहां से भी हमें मदद मिले वह सब मदद हम लेना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट पार्टी कहती है कि हमें पश्चिमी राष्ट्रों के साथ फौजी गठबंधन करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि वे जब स्वयं आपके साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं हैं तो मैं नहीं समझता कि आप ही स्वयं क्यों उनके साथ यह गठबंधन चाहते हैं? हम किसी के साथ भी फौजी गठबंधन नहीं करना चाहते। हम सबसे मैत्रीपूर्ण नीति वर्तना चाहते हैं। जो मदद वे करते हैं, हथियारों की हो या अन्य तरीकों की उनमें किसी प्रकार का बन्धन नहीं लगाना चाहते तो फिर आप ही इसके लिए क्यों इतना आग्रह करते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती? हमारा तो सभी

के साथ दोस्तीपूर्ण सम्बन्ध है और जो कोई भी मित्र के नाते हमारी मदद करेगा हम उन सबकी मदद लेना चाहते हैं अब चाहे वह रूस हो चाहे अमरीका हो। जब ऐसी बात है और वे स्वयं अपनी इच्छा से हमारी मदद कर रहे हैं तो मैं नहीं देखता कि आपके कहने में या इस तरह की बात करने में कौन सा तथ्य है?

दूसरी बात यह है कि हमारे राष्ट्रपति जी ने जहां तक हमारे डेवलपमेंट का सवाल है, विकास का सवाल है यह बात साफ तौर से कही है :—

> "कृषि की सुदृढ़ स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक है और प्रतिरक्षा के लिये उद्योग अनिवार्य है"

कृषि और उद्योग इन दोनों चीजों पर काफी जोर दिया गया है। इस दिशा में काफी प्रगति हुई है और इस प्रगति का वर्णन भी किया गया है। जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है यह बात मानी हुई है कि बगैर कृषि के आधार के हमारा चाहे कोई भी उद्योग हो और चाहे रक्षा का प्रयत्न हो, कोई भी बलवान और मजबूत नहीं हो सकता। उस तरफ बहुत काफी ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक मेरा ख्याल है एग्रीकल्चर मिनिस्टरी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। खाद, पानी और बिजली आदि सब बातों का प्रबन्ध किया जा रहा है लेकिन जिस परिमाण में होना चाहिए वह नहीं हो रहा है? खेती के उत्पादन में वृद्धि करने की बातें तो सब लोग करते हैं लेकिन कृषक की ओर किसी का ध्यान नहीं है। जो खेती करते हैं और जिन पर कि देश का अन्न उत्पादन बढ़ाना निर्भर करता है उनकी ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। उनकी दिक्कतें और तकलीफें क्या हैं उनको समझने की बहुत कम कोशिश की जाती है। मैं चाहूंगा कि इस ओर एग्रीकलचर मिनिस्टर विशेष ध्यान दें और किसानों की जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करें और उनको अधिक उत्पादन करने के लिए सक्रिय प्रोत्साहन दें।

किसानों के लिए खाद, पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था सरकार करें, क्योंकि इनके बगैर कृषि उत्पादन बढ़ नहीं सकता है वहां अनाज के भावों का जो सवाल है, कीमतों का जो सवाल है उसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। आप जानते हैं यह सामान्य बात है और हर एक को पता है कि पांच सालों में दो साल अच्छे आते हैं, दो साल बुरे आते हैं और एक साल सामान्य होता है इसलिए इसका ध्यान रखते हुए कीमतों का निश्चित होना बहुत आवश्यक बात है।

मैं कपास पैदा करने वाले ऐरिया से आता हूं। अभी हाल की ही बात है और मैंने देखा है कि इस साल कपास के दोनों भावों में—फ्लोर रेट और सीलिंग रेट जो बांधा गया है उन दोनों भावों में ४००—४५० रुपये का फर्क है। और इस वर्ष जो भाव निकले थे, उससे सौ रुपए खंडी यानी एक क्विंटल पर बीस पच्चीस रुपए भाव कम हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के भाव बांधने से क्या फायदा होगा। आज किसान बर्बाद हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भाव इस प्रकार से बांधे जायें कि कम से कम उन्हें मिनिमम रिम्युनरेशन मिलना चाहिए और फ्लोर और सीलिंग रेट में सौ रुपए से ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिए।

इस सदन में कई मित्रों की तरफ से कहा गया कि हम स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्रीज को ज्यादा मदद दे रहे हैं। यह सही है और हम चाहते हैं कि छोटे-छोटे उद्योग पनपें और बढ़ें, लेकिन स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज की दृष्टि से जो कुछ भी मदद की जाती

[श्री चांडक]

है, वह आखिरकार बड़े-बड़े डस्ट्रियलिस्ट्स और बड़े-बड़े बिजिनेस हाउसिज को मिलती है। जो रुपया इकट्ठा नहीं कर सकता है, उसको रुपया मिलता भी नहीं है । यदि कोई छोटी इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है, तो उसके मार्ग में भी बहुत सी अड़चनें रहती हैं। इसलिए छोटी इंडस्ट्रीज पनप नहीं पाती हैं, बढ़ नहीं पाती हैं। इस ओर शासन को ध्यान देना चाहिये।

हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने को-आपरेशन, को-आपरेटिव सोसायटीज, को-आपरेटिव मूवमेंट और पंचायत राज इत्यादि की तरफ भी ध्यान दिया है। यह सही है कि पंचायत राज के स्थापित हो जाने से हमारे युद्ध-प्रयत्नों में काफी मदद मिलेगी। हम सब चाहते हैं कि हर एक को काम करने और अपनी शक्ति लगाने का मौका मिले। जो श्रम बैंक खोले जा रहे हैं और हर एक गांव में जो विलेज वालन्टियर फोर्स बनाई जा रही है, उससे हर एक को प्रयत्न करने का मौका मिलेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि को-आपरेटिव सोसायटीज के बारे में जो यह बताया और दिखाया जा रहा है कि उनका बड़ा भारी नम्बर हो गया है और बहुत काम हो रहा है, वस्तुस्थिति उसके बिल्कुल विपरीत है। मेरा अपना अनुभव यह है कि कल जो क्रेडिट सोसायटीज थीं, वही सैंकड़ों की तादाद में, ओवरनाइट, सर्विस को-आपरेटिव सोसायटीज में परिवर्तित कर दी गई हैं। मेरा अनुमान है कि अस्सी सैंकड़ा सोसायटीज ऐसी हैं, जो न तो सर्विस को-आपरेटिव सोसायटीज का काम करती हैं और न कर सकती हैं। उनको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। आज की सोसायटियां चाहे नम्बर की दृष्टि से बहुत बड़ी दिखाई दें, लेकिन वे निकम्मी हैं। सर्विस को-आपरेटिव सोसायटीज का कोई खास काम नहीं कर सकती हैं। मार्केटिंग सोसायटीज भी ठीक तरह से फंकशन नहीं करती हैं। आज किसान की कपास को कोई नहीं ले रहा है, आज उसकी कोई डिमांड नहीं है और मिल वाले मनचाहे भाव पर उसको ले रहे हैं। अगर ये सोसायटीज ठीक तरह से काम करती होतीं, तो यह स्थिति न होती।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने विलेज डेवेलपमेंट और कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के कामों की तरफ़ भी ध्यान दिया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक उन के सिद्धान्तों और विचारों का सवाल है, उन के कार्यक्रमों का सवाल है, वे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन में काम बहुत कम हो पाता है। अगर मैं दो शब्दों में कहना चाहूं, तो मैं कहूंगा कि **कम्यूनिटी डेवेलपमेंट इज़ डुप्लिकेशन आफ वर्क और वेस्ट आफ मनी**। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि शासन में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पी० डब्ल्यू० डी०, हेल्थ, रेलवे डिपार्टमेंट, एजूकेशन डिपार्टमेंट हैं, यह सब पर्मानेंट डिपार्टमेंट हैं। तो कम्यूनिटी डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट उन के बाहर कौन सा काम करता है? जहां तक मैं ने देखा है, उस के द्वारा केवल यही काम होता है कि ग्रामों में छोटी-छोटी कच्ची सड़कें बन जाती हैं, जो कि धूपकाल, ग्रीष्म में बनती हैं और बारिशों में खत्म हो जाती हैं। और कुछ स्कूल और दवाखाने आदि बनते हैं तथा तकावी, खाद, बीज आदि बांटा जाता है यदि वह काम पर्मानेंट डिपार्टमेंट्स को मज़बूत कर के किया जाये, तो ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है और इस के साथ ही साथ एक बहुत बड़ी फ़ौज से छुटकारा मिल सकता है, जिस की जीप-गाड़ियां रोज़ दौड़ती रहती हैं। उन जीप गाड़ियों पर बहुत पैट्रोल खर्च होता है, हालांकि उन का उपयोग पिकनिक्स और सिनेमा देखने के लिए होता है। इकानोमी की दृष्टि से उन जीपगाड़ियों को बचाया जा सकता है। मैं अर्ज़ करूंगा कि इस बात की ओर भी शासन को ध्यान देना चाहिए।

†**श्री पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, समय कम होने के कारण मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर ही बोलूंगा ।

कृषकों के सामने इस समय एक प्रमुख समस्या उनको अनाजों से मिलने वाला मूल्य है । कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है और सरकार भी इसे स्वीकार करती है । किन्तु मूल्यों के गिरने के विषय में कोई भी कदम नहीं उठाये जाते । राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने भी कृषि के महत्व पर जोर दिया है ।

हमारे यहां विस्तार का कार्य कृषि विभाग और सामुदायिक विकास विभाग दो विभागों में बंटा हुआ है जो लगभग एक सा ही कार्य करते हैं । हम एक ही कार्य को दो विभागों में बांट कर फिर उसके समन्वय और सहयोग का प्रयत्न करते हैं । मैं आशा करता हूं कि कम से कम चीनी आक्रमण से हमारी आंखें खुल जायेंगी । हर व्यक्ति जो कृषि के विषय में कुछ जानता है, यही चाहता है । अमरीकी भारतीय दल ने भी, जिसे सरकार ने देश में विस्तार के प्रशासन पर विचार करने के लिये नियुक्त किया था, यही कहा है कि कृषि उत्पादन का संचालन अव्यवस्थित रूप में किया जाता है । मैं भी यह नहीं समझ सका कि पंचायती राज की स्थापना के बाद सामुदायिक विकास की क्या आवश्यकता है । खंड विकास अधिकारी और कृषि का कार्य पंचायत राज के पास चला गया है । फिर भी सामुदायिक विकास विभाग के कर्मचारियों में कोई कमी नहीं की गई । राष्ट्रपति मितव्ययिता के बारे में कहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा तो यह है कि राष्ट्रपति के स्थान पर उनके अभिभाषण का उल्लेख किया जाये ।

†**श्री पं० शा० देशमुख**: अभिभाषण में कहा गया है कि मितव्ययिता के लिये उपाय किये जा रहे हैं । साधारणतया बजट बनने के समय वित्त मंत्री मंत्रालयों से इसमें १०, १५ या २० प्रतिशत कटौती करने के लिये कहते हैं । किन्तु मैंने देखा है यह मितव्ययिता साधारणतया महत्वपूर्ण मामलों में की जाती है । मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं । हमने किसान युवकों को प्रशिक्षण देने की एक योजना बनाई थी चालू वर्ष में उसके लिये ६०,००० रुपये की व्यवस्था थी । किंतु आपातकालीन परिस्थितियों के कारण इस योजना को रद्द कर दिया गया । यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक थी और इसमें व्यय भी कम ही होना था ।

अभिभाषण में श्रम प्रधान कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया है । मैं समझता हूं यह कार्यक्रम निष्फल होंगे । हाल ही में मैं केरल गया था । वहां पर दो जिलों में इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप उत्पादन में २५ या ३० प्रतिशत वृद्धि हुई थी । किन्तु इसके विरुद्ध चावल का मूल्य २१० रुपये से कम होकर १६० रुपये तक आ गया । किसान को अपने कुल उत्पादन पर पहले से भी कम मूल्य मिलेगा । ऐसी स्थिति में वह अधिक अन्न नहीं उपजायेगा । मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस स्थिति में सुधार करने के लिये उचित कदम उठाये जायें ।

अब गेहूं का उत्पादन करने वालों की भी बारी आने वाली है । इस वर्ष सारे देश में गेहूं की फसल अच्छी हुई है और मूल्य गिरने आरम्भ हो गये हैं ।

सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि १४ रुपये प्रति मन उचित मूल्य है यदि यह बात सच है तो उन्हें इसकी घोषणा कर देनी चाहिये और सहकारी समितियों से इसे खरीदने के लिये कहना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पं० शा० देशमुख]

सरकार ने उर्वरकों पर पिछले वर्ष १२ करोड़ रुपये का लाभ उठाया है । यह अनुचित है क्योंकि सरकार ने पहले यह घोषणा कर दी थी कि उर्वरकों की बेच पर कोई लाभ नहीं लिया जायेगा । मेरा सुझाव है कि सरकार इस लाभ के रुपये में कुछ और राशि कम से कम इतनी ही और मिलाकर सहकारी समितियों को दे दी जाय जिससे यह समितियां किसानों से अनाज खरीद कर उनके हितों की रक्षा कर सकें ।

सहकारी समितियों की स्थिति भी अच्छी नहीं है । सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन सरकार ने स्वीकार कर लिया था । बाद में प्रधान मंत्री को अनुभव हुआ कि उसकी सिफारिशों को स्वीकार करके गलती की गई है ।

मैं पिछड़े वर्ग के लोगों के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं । मौलाना आजाद के समय में पिछड़े वर्ग के लोगों को छात्रवृत्तियां दी जाती थीं । अब अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों को ही पिछड़े वर्ग में गिना जाता है । दूसरे पिछड़े वर्ग के लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं को समाप्त करने के विषय में विचार किया जा रहा है । यह अनुचित है । जो सुविधायें उन्हें दी जाती रही हैं उन्हें समाप्त नहीं किया जाना चाहिये । उसकी वित्तीय सीमा निश्चित कर देनी चाहिये ।

श्री दातार ने इस सम्बन्ध में एक परिपत्र परिचालित किया था कि यदि तकनीकी विद्या संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में अनुसूचित जाति और आदिम जाति के विद्यार्थी न हों तो अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया जाय । किन्तु बाद को यह परिपत्र रद्द कर दिया गया । यह अनुचित है ।

कुछ अनुसूचित जाति के लोग यह बात मानते हैं कि यह पिछड़े वर्ग के लोग उनसे भी अधिक पिछड़े हुये हैं । किंतु जातिहीनता के नाम पर, जो अभी कहीं भी दिखाई नहीं देती, इन लोगों की छात्रवृत्तियां समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं भी जातिवाद के विरुद्ध हूं । किन्तु इस समय इन लोगों की छात्रवृत्तियां बन्द कर देना अनुचित है ।

अभिभाषण में अविलम्बनीयता अथवा आपातकाल का आभास नहीं है । मेरा सुझाव है कि कम से कम १०० सैनिक स्कूल खोल दिये जायें । कुछ ऐसी संस्थायें खोल देनी चाहियें जिससे उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति सशस्त्र सेना के लिये उपलब्ध हो सकें ।

†**श्री कन्डप्पन** (तिरुचेंगोड) : अध्यक्ष महोदय मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपना प्रथम भाषण देने का अवसर दिया ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मुझे यह जानकर निराशा हुई कि अभिभाषण में देश की हालत सुधारने के विषय में प्रस्तावित उपायों का उल्लेख नहीं किया गया ।

हमारी इस शिकायत में कि दक्षिण भारत एक उपेक्षित प्रदेश है, कोई नवीनता नहीं । मेरे इस सभा के लिये चुने जाने पर "ईस्टर्न इकोनोमिस्ट" ने यह टिप्पणी की थी :

> "डी० एम० के० उम्मीदवार की विजय कांग्रेस दल को गंभीरतापूर्वक विचार करने पर बाध्य करेगी ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इसमें आगे कहा गया है :

"यह नहीं कहा जा सकता कि डी० एम० के० का यह आरोप कि दक्षिण भारत के साथ विभेद किया जा रहा है पूर्ण रूप से एकदल का नारा है। दक्षिण में आर्थिक असंतो बहुत अधिक है, उससे कहीं ज्यादा है जितना केन्द्रीय शासन स्वीकार करता है।"

इस युक्तिसंगत बात को सुनने के स्थान पर सरकार यह विचार कर रही है कि डी० एम० के० के क्रिया-कलापों पर नियं ण करके समस्या को सुलझाया जाये। संविधान के प्रस्तावित संशोधन के बारे में हम कुछ भी निर्णय करें, उसका परिणाम एक ही होगा और वह यह कि तामिलनाद में १९६७ के चुनावों में, और यदि जनता ने चाहा तो इसके पहले ही सत्तारूढ़ दल से सत्ता छीन ली जायेगी। प्रादेशिक असमानताओं के दूर किये जाने से एकता स्थापित करने में काफ़ी सहायता मिलेगी।

दक्षिण भारत में बहुत गरीबी है। तामिलनाद में तो हालत बहुत ही खराब है। देश के हमारे भाग में भिखारी बहुत हैं। हमें आज़ाद हुए १६ वर्ष हो चुके हैं, परन्तु हमारी आर्थिक स्थिति सुध ी नहीं है। आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठायेगी।

खाद्यान्न की कीमतों के गिरने से पहले उत्पादन की लागत कम होनी चाहिए। तभी अर्थ-व्यवस्था मजबूत हो सकती है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मजबूत खेती के आधार का जिक्र किया है। पता नहीं इस ध्येय की कब तक पूर्ति होगी। खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि ही होती जा रही है। खेद की बात है कि हमारी कोशिशों के बावजूद हम खाद्यान्नों में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं।

हाथ करघा उद्योग बड़े संकट में है। सरकार को चाहिए कि कुछ किस्म का कपड़ा केवल बुनकरों द्वारा ही बनाया जाने का नियंत्रण लगा देना चाहिए।

सरकार की स्वर्ण नियंत्रण नीति ीक नहीं है। सोने को एकत्रित करने की उच्चतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए थी। सुनारों की अवस्था बहुत खराब हो गई है। चाहे उनकी संख्या कम हो, परन्तु उनकी हालत खराब नहीं होने देनी चाहिए। सरकार के पास अधिक सोना एकत्रित होने से युद्ध के काम में क्या अधिक सहायता मिलेगी यह समझ में नहीं आता।

सुनारों की समस्या के समाधान के लिए शीघ्र ही कदम उठाये जाने चाहिएं।

जिन सदस्यों को हिन्दी नहीं आती, उन को हिन्दी जानने वाले सदस्यों के मुकाबले में काफ़ी कठिनाइयां हैं। संसद् में साथ साथ अनुवाद होना चाहिए। श्री मुदालियार ने श्री मावलंकर को इस सम्बन्ध में सुझाव दिया था। श्री मावलंकर ने अपने उत्तर में अन्य कठिनाइयों के साथ साथ यह भी लिखा कि ऐसा करने से हिन्दी की प्रगति में बाधा होगी। इस तरह से तो संसदीय लोकतंत्र की स्थापना स्वप्न मात्र ही रह जायेगी।

हिन्दी ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। चूंकि यह अधिकतर लोगों की बोली जाने वाली भाषा है, अतः से राष्ट्रभाषा बनाना तो मोर के स्थान पर कम्बु को राष्ट्रीय पक्षी बनाने के बराबर होगा।

†**श्री इलयापेरुमाल** (तिरुकोइलूर) : हमारी तटस्थता की नीति बहुत सफल रही है। हम ने दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी कर ली हैं और तीस ी योजना का कार्यान्वयन हो रहा है। हमारे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इलयापेरुमाल]

खाद्यान्न के उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है । जब तक कृषि उत्पादक को उचित कीमतें नहीं मिलेंगी तब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी ।

कृषि श्रमिकों की हालत बहुत खराब है । न्यूनतम मजूरी अधिनियम का जो कि १९४८ में पारित किया गया था अभी तक सभी राज्यों में कार्यान्वयन नहीं हुआ है ।

जब देश संकट में हो तो समझ में नहीं आता कि कम्युनिस्ट सदस्य इंगलैंड और अमेरिका की तनी क्यों आलोचना करते हैं । उन्होंने हमारी इतनी सहायता की है । कम्युनिस्ट सदस्यों को श्रमिकों में भ्रम नहीं फैलाना चाहिये ।

डी० एम० के० दल देश का विभाजन चाहता है । उन का न तो भगवान में और न धर्म में विश्वास है । उनका गरीब लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं है । वे मद्रास राज्य में पिछड़ी हुई जातियों में भ्रम डाल रहे हैं । सरकार को इस सम्बन्ध में कदम उठाने चाहिएं ।

हम ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा मान लिया है । किसी को भी इस बात का इन्कार नहीं करना चाहिए । दक्षिण के लोग हिन्दी के अध्ययन में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं । हिन्दी भाषी सदस्यों को उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी को १९६५ के बाद सहभाषा रहने देना चाहिए, अन्यथा दक्षिण के समाज-विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

सरकार की सोने सम्बन्धी नीति का स्वागत करता हूं । लाखों सुनार जिनको इस से कठिनाई हुई है उनके लिए और कामों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

दलित जातियों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है । उन को खाने के लिए पूरा भोजन नहीं मिलता है । पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता है, न्यूनतम मजूरी अधिनियम जो १९४८ में पारित किया गया था उस का कार्यान्वयन नहीं हुआ है । अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है । सेवाओं में भी उन का प्रतिनिधित्व यथोचित होना चाहिए। सरकार को इन लोगों के सुधार के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए ।

†**श्री ल० ना० भंजदेव** (क्योंझर) : ऐसा प्रतीत होता है कि देश की एकता जो चीनी अतिक्रमण के बाद हो गई थी, वह नष्ट होती जा रही है । अभी हमारा संकट दूर नहीं हुआ है । चीन युद्ध विराम भंग कर सकता है । इस समय को हमें अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए । इस के लिए एकता बहुत आवश्यक है । हमें चीनियों के धोखे के सम्बन्ध में होशियार रहना चाहिए ।

हमारे वर्तमान संकट में राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है । हमारे इतिहास में कई ऐसे उदाहरण है जब कि परस्पर फूट के कारण देश को हानि हुई ।

चीनियों की आंखें आसाम में तेल क्षेत्रों पर हैं और चीनियों के पास तेल और पैट्रोल की कमी है । अतः हमें जागरूक रहना चाहिए ताकि चीन हमारे इस क्षेत्र पर पुनः आक्रमण न करे ।

कोलम्बो प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट नहीं है ।

चीनी आक्रमण ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि हमारे मित्र कौन हैं तथा शत्रु कौन हैं । पश्चिमी शक्तियों तथा कामनवैल्थ के देशों ने जो हमारी सहायता की है, उस के लिए हम उन

---

†मूल अंग्रेजी में

के आभारी हैं। चूंकि हमारी तटस्थता की नीति है, अतः रूस से भी सहायता लेने में कोई अनुचित बात नहीं है। रूस पर हमें अधिकतर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

पाकिस्तान के साथ काश्मीर पर बातचीत सफल हो, ऐसी हमारी इच्छा है, परन्तु इस मामले में हम अधिक आशावादी नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान की नीति सदैव भारत को नीचा दिखाने की रही है।

चीनी विस्तारवाद के विरुद्ध जो आन्दोलन है यह केवल भारत की ही समस्या नहीं है, परन्तु सारे विश्व की समस्या है। अतः अमेरिका के हथियार प्रयोग में लाने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम संसार की स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं।

कुछ लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान यदि आक्रमण कर दे तो हमारे लिए दो मोर्चों पर लड़ना कठिन होगा। पाकिस्तान के साथ समझौता होना कठिन है चाहे सारी आप काश्मीर की घाटी उन्हें क्यों न दे दें।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने ठीक कहा है कि हमें औद्योगिक आधार को मजबूत करना चाहिए और तृतीय योजना को भी इस तरह बदलना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा को मजबूत बनायें।

†श्री मु० स्माइल (मंजेरी) : यद्यपि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए दिये जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, परन्तु मेरा मत है कि देश में चल रही बहुत सी हलचलों का उल्लेख नहीं हुआ है। देश के आर्थिक विकास की दिशा में जो असन्तुलन चल रहा है उसकी नितान्त उपेक्षा की गयी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि इसके बिना तो भावात्मक एकता भी सम्भव नहीं। पंचवर्षीय योजनाओं की गति बड़ी धीमी है। इस बारे में सब से अधिक हानि केरल को पहुंची है। केरल के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जिसे कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र गवेषणा परिषद् ने किया था, बताया है कि केरल तथा अन्य राज्यों के बीच काफी विषमता है। उसने सिफारिश की है कि १९६०–७० तक राज्य के विकास के लिए १,००० करोड़ पये का विनियोजन किया जाय। ४१० पये ति व्यक्ति आय का लक्ष्य प्राप्त करना है, अतः इसके लिए औद्योगिक साधनों को एकत्रित करना होगा। गत दो योजनाओं में कुल मिला कर ७९ लाख रुपयों के ही उद्योग उपलब्ध हो सके। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को केरल का मामला सहानुभूतिपूर्ण ंग से सुलझाना चाहिए और कुछ करना चाहिए।

चीन के आक्रमण के सम्बन्ध में देश भर में एक भ्रांति फैला दी ग ी है कि विरोधी दल तटस्थता की नीति का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। विरोधी दलों का कहना है कि विदेशों से सहायता लेने का जो भी अवसर हमें मिल रहा है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। यदि एक देश की सहायता हमें प्राप्त नहीं तो इसका मतलब यह कभी नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे देश की भी सहायता नहीं चाहते। तटस्थता की नीति न तो भारत के ही हित में होगी, प्रत्युत संसार को भी इस से कुछ लाभ होने वाला नहीं।

†श्री शिवचरण गुप्त (दिल्ली सदर) : राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि प्रतिरक्षा प्रयत्नों के लिए सरकार उचित पग नहीं उठा रही है। प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ाने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। संचार तथा परिवहन प्रणालियों को भी नया रूप दिया जा रहा है ताकि नये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिवचरण गुप्त]

हालात के अनुसार इसका विकास किया जाय । आज राष्ट्रीय कैडटों, होम गार्डों तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजनाओं को चलाने के लिए इसे विकसित करना ही होगा ।

कुछ विरोधी दलों से सम्बन्धित लोगों ने कहा है कि सरकार द्वारा आपातकालीन स्थिति का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है । इनका प्रयोग देश भर से राष्ट्रविरोधी और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध किया जा रहा है ताकि राष्ट्र के हितों को हानि न पहुंचा सकें । अतः इस दिशा में की गयी किसी भी आलोचना को उचित नहीं कहा जा सकता । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की आलोचना करने वालों को किसी प्रकार की भ्रांति में नहीं रहना चाहिए । लोगों में भी उन्हें भ्रांति फैलाने का कार्य नहीं करना चाहिए । आज तो इस बात की आवश्यकता है कि हमारी सभी शक्तियों का प्रयोग देश की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने में लगनी चाहिए ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार का भी कर्त्तव्य है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया जाये उसे निर्धारित अवधि में प्राप्त करने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए । इस दिशा में कुछ ढील अवश्य हुई दिखाई देती है । प्रशासन की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए ताकि प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व का विभाजन किया जा सके । सोना नियन्त्रण आदेश बहुत ही क्रान्तिकारी कदम था । परन्तु यह ठीक दिशा की ओर था । यह आशा की गयी थी सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि इस आदेश से जो स्वर्णकार बेकार हुए हैं उनके लिए किसी अन्य रोजगार की व्यवस्था की जा सके ।

हमारे जवानों के हौसले महान हैं । देश को पंडित नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है । उनके समाजवादी लोकतंत्र में सब की आस्था है । शांति और तटस्थता की नीति के सब समर्थक हैं, अतः विजय हमारी ही होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है ।

**श्री शशिरंजन** (पपरी) : अपने मित्र पाण्डेय जी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का मैं भी पूर्णतया समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । राष्ट्रपति जी के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह विस्तारपूर्वक सब कार्यों का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करते । लेकिन उन्होंने सूत्र रूप में सब मसलों पर सरकार की जितनी गतिविधियां हैं, उन पर पूरा पूरा प्रकाश डाला है ।

श्रीमन्, मेरी जानकारी में हमारे राष्ट्रपति प्रजातांत्रिक देशों के बिरले राष्ट्रपति होंगे जो देश की किसी राजनीतिक पार्टी से इतना कुछ सम्बन्धित न रहने पर भी राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए हों । इससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति जी का एक अपना व्यक्तित्व है और अपनी एक प्रतिभा है । इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति जी में एक और विशेषता है । वह यह है कि तब इनकी प्रसिद्धि का, तब इनकी ख्याति का अभ्युदय हुआ था जब ये काशी विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में महर्षि महामना मदन मोहन मालवीय जी के उत्तराधिकारी के रूप में चमके थे । आज जब इनकी ख्याति शिखर पर है तो ये राजर्षि डा० राजेन्द्र प्रसाद के उत्तराधिकारी के रूप में विराजमान हैं । मैं.....

**श्री यशपाल सिंह** : ब्रह्मर्षि के रूप में हैं ।

**श्री शशिरंजन** : जी हां, सुनिये तो ।

मालवीय जी और राजेन्द्र प्रसाद जी के समकालीन होते हुए भी इन से हमें दो तरह की प्रेरणायें मिलती हैं । इन का व्यक्तित्व एक तो आध्यात्म की ओर संकेत करता है और दूसरे

हम को अपने सामाजिक जीवन, समाज के प्रति और विश्व के प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य है, उसकी ओर संकेत करता है ।

आज हम इस परिस्थिति में हैं जब हमें अपने इन दोनों पक्षों की ओर अपने आध्यात्मिक गुणों की ओर तथा अपने मानवीय आदर्शों की ओर अग्रसर होते हुए इस विकास के क्रम को त्वरित करना है । हमारी पार्टी के अन्य मित्रों ने सरकार के तथा राष्ट्रपति जी के भाषण में व्यक्त कार्यों और कार्यप्रणालियों के ऊपर प्रकाश डाला है । अतः मैं कुछ मूल विषयों पर आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं ।

आज हमारे देश का एक लक्ष्य होते हुए भी, उसकी प्राप्ति के अनेक सैद्धांतिक विरोधात्मक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं जिनकी वजह से हम राष्ट्रीयता की दृष्टि से सुदृढ़ और सुसंगठित नहीं हो पा रहे हैं । कुछ हिंसा और अहिंसा की भी बात की जाती है । मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने का नाम हिंसा है । हिंसा में कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति या उसकी चेष्टा प्रधान रहती है ।

**श्री रामेश्वरानन्द** (करनाल) : चाहे बावला कुत्ता ही हो ?

**श्री शशि रंजन** : ज़रा सुनिये तो । घबराइये नहीं ।

हमारी कोई भी प्रवृत्ति किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं है । बल्कि हमारा तो उद्देश्य यह है कि मानवता की प्रतिष्ठा की जाए, मानव मूल्यों को अधिष्ठित किया जाए । जो आततायी हैं, अनधिकारी हैं, मानव स्वातंत्र्य का अपहरण करने वाले हैं उनका हमें प्रतिकार करना है चाहे वह शास्त्र से हो या शस्त्र से । हमने शास्त्र का आश्रय लिया, पत्राचार किए, सबूत पेश किए और परम्परा और इस्तेमाल का आधार लिया पर कामयाबी नहीं मिली । अब हम शस्त्र का आश्रय भी लेंगे और

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्

के आधार पर लड़ेंगे । अतः हम जो भी इस देश की सीमा पर कर रहे हैं और जो करने का विचार है वह अहिंसा ही है और होगा । हमारी प्रवृत्ति मारने की नहीं है बल्कि न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा की है । जो भी इस अहिंसा की लड़ाई में किसी न किसी रूप में काम आएगा उसे अग्रदूत की संज्ञा मिलेगी और जो विरोधात्मक विचार प्रस्तुत करेगा उसे मृत्युदूत की संज्ञा मिलेगी न कि अग्रदूत की ।

शान्ति के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं । शान्ति एक आपेक्षित तत्व है, रेलेटिव फिनोमिनन है इसका प्रादुर्भाव मनुष्य में या समाज में जो दो विरोधी शक्तियां हैं, उनके हो रहे संघर्ष से हुआ है । मनुष्य में या समाज में जिसे हम कह सकते हैं देवासुर संग्राम वह चलता रहता है । जब हमारे अन्दर की देव शक्तियों की विजय होती है तब हम कह सकते हैं कि सात्विकी शान्ति की स्थापना हुई है और जब मनुष्य के अन्दर या समाज के अन्दर आसुरी शक्तियों की विजय होती है तब तामसिक शान्ति की प्रतिष्ठा होती है । मानवता की विजय के बाद जो परिणाम होता है, जिस शक्ति की प्रतिष्ठा होती है उसका जो प्रभाव होता है, उसे सात्विकी शान्ति कहा जाएगा । जब आसुरी शक्ति पर मानवीय शक्ति की विजय होगी यानी सात्विकी शक्ति की प्रतिष्ठा होगी तब राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में एक सुन्दर तथा शालीन परिवेश की स्थापना होगी, मानवीय गुणों तथा प्रतिभाओं का बहुमुखी विकास होगा । तब सभ्यता, साहित्य, संस्कृति और कला का सृजन होगा ।

[श्री शशि रंजन]

श्रीमन्, भारत ऐसी ही शान्ति, सात्विकी शान्ति की प्रतिष्ठा चाहता है । पर चीन जिस शान्ति की ओर इंगित करता है, उसका मूल आधार है अपहरण, जोर-जबर्दस्ती, निर्दोष की हत्या, जिसका परिणाम है तामसिक शान्ति, जिससे त्राण पाने के लिए विज्ञान और दर्शन की अपरिमित देनों के बावजूद भी विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र परेशान हैं । इस में एटम बम और गाइडेड मिसाइल्ज का क्या दोष है । दोष है उन लोगों का जिन में आसुरी शक्ति प्रबल है और जो उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं । हम सात्विकी शान्ति की प्रतिष्ठा के लिए शक्ति की साधना करेंगे, मानवोचित शक्ति को, नैतिक शक्ति को, बौद्धिक शक्ति को और साथ-साथ जड़ शक्ति को भी मजबत करेंगे ताकि जब मानवीय आवेदन (ह्यूमन एप्रोच) विफल हो जायें, सात सितम्बर वाली रेखा अस्वीकृत हो जाए, यहां तक कि कोलम्बो प्रोपोजल्ज भी अमान्य हो जायें तो हम जड़ शक्ति द्वारा सात्विकी शान्ति की प्रतिष्ठा कर सकें । इस सात्विकी शान्ति की प्रतिष्ठा में जो भी व्यक्ति या देश कंधा लगायगा उसका स्थान सदविप्रों में होगा । अतः सात्विकी शान्ति को कायम रखने के लिए जड़ शक्ति के साथ सारी मानवोचित शक्तियों को जागृत तथा मजबूत रखना होगा । सिर्फ शान्ति-शान्ति चिल्लाने से काम नहीं चलेगा और इसी तरह से लड़ाई लड़ाई चिल्लाने से काम चलने वाला नहीं है । शान्ति के लिए या लड़ाई के लिए हमें शक्ति की साधना करनी पड़ेगी, नैतिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और इन सब को एकत्र कर सामूहिक रूप से आदर्श की उपलब्धि के लिए इन्हें लगाना होगा । जब हम ऐसा करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी ।

अभी तक जितनी भी बात सदन में हुई हैं छींटा कशी की हुई है या उसके विरोध में हुई हैं । पर दरवाजे पर आक्रामणकारी खड़ा है, हमें पामाल करने के लिए तत्पर है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे, इसकी कोई महत्वपूर्ण बा ें यहां नहीं हुई हैं या कहिये कम हुई हैं । ये आपसी मतभेद का समय नहीं है । मैं कहूंगा कि संकट का भी समय नहीं है । हां परीक्षा का समय जरूर है । हम इस परीक्षा में कैसे कामयाब होंगे इसको विचारने की जरूरत है । छोटी-छोटी बातों तथा व्यक्तिगत आक्षेपों से, खास कर ऐसे समय में सुरक्षा को अहमियत पर आघात पहुंचता है । हम लोग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जब अपने को देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार मानेंगे तभी कामयाबी हो सकती है । पर बिना नैतिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति को विकसित किये, भौतिक शक्ति का हम बहुत उपयोग भी नहीं कर सकते हैं । किसी देश का इतिहास स बात का साक्षी है कि जिस देश की नैतिक शक्ति जितनी तेजी से बढ़ी है वह देश उतनी ही तेजी से विकास के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में तथा हर क्षे में प्रगति कर सका है । शक्ति की करामात का नजारिया हमारे सामने है । रूस क्यूबा से वापिस होने पर तिष्ठा और शंसा पा रहा है, फर्स्ट ेड पावर है ।

आज इस सदन में ही नहीं सारे देश में, सारे विश्व में जो नजारा देखने को मिल रहा है उससे यह जाहिर होता है कि आज आपसी मतभेद है हैव्ज एंड हैव नोट्स में । देश की सुरक्षा के लिये बेचैनियां कम नहीं है । टाप रैंकिंग लोग भी इस सदन में जब भाषण करने खड़े होते हैं तो एक नजर प्रैस गैलरी पर जरूर डाल लेते हैं ।

नान अलाइनमेंट की पालिसी के बारे में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं । हमारी नान-अलाइनमेंट की पालिसी **पालिसी आफ एस्केपिज्म** नहीं हैं, तटस्थता की पालिसी नहीं है । बल्कि हमारी पालिसी यह है कि जो भी देश सात्विकी शांति की प्रतिष्ठा के लिये काम करेगा, हम उसके साथ हैं, हमारा उसके साथ सहयोग है, और जो देश तामसिक शांति को प्रतिष्ठित करने के लिये काम करेगा, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उस से अलग हैं । नानअलाइनमेंट के हमने यही अर्थ समझे हैं ।

राष्ट्रपति जी के भाषण में जो कुछ उद्धृत है कुछ शब्द मैं उन सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने **शिक्षा ऐज ए होल** पर अपने विचार प्रकट किये हैं। टेकनिकल एजुकेशन पर उन्होंने बहुत कम कहा है। मेरा ऐसा विचार है कि आज देश में जनरल एजुकेशन की जो प्रणाली है उसे वहीं तक रख कर खत्म कर देना चाहिये और हमारी शिक्षा की जो भी प्रगति भविष्य में हो वह टेकनिकल एजुकेशन की ओर हो क्योंकि टेकनिकल एजुकेशन की हमारे देश में बहुत अधिक आवश्यकता है।

ऐग्रिकल्चर के बारे में भी मेरा यह सुझाव है कि जहां तक प्रोडक्शन के माने का सम्बन्ध है, उसका सीधा सम्बन्ध ऐग्रिकल्चर या खेती से है। दूसरे जो उद्योग हैं, जिन को हम प्रोडक्शन से सम्बन्धित करते हैं, अच्छा होता कि उनको हम प्रोडक्शन न कह कर कंवर्शन कहते क्योंकि खेती ही एक ऐसी चीज है जिसमें एक बीज डालने पर सहस्रों फल निकलते हैं। इसलिये ऐग्रिकल्चर पर हमें पूरा-पूरा जोर देना है। सही मानों में वही ऐग्रिकल्चर है। सही मानों में ऐग्रिकल्चर ही इस देश का उद्योग है।

हमारे देश में जो एक व एक नैशनल इंटेग्रेशन चाइनीज ऐग्रेशन के फलस्वरूप आ गया उस के ऊपर भी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कम ध्यान दिलाया है। एक दार्शनिक के नाते मैं ऐसी अपेक्षा करता था कि हमारे यहां नैशनल एंग्रेशन कैसे कायम रहेगा, इस की ओर भी उनका कुछ सुझाव होगा। सुभाषचन्द्र बोस की "नेशन" की क्या परिभाषा है उसको आपके सामने रख कर मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। सुभाषचन्द्र बोस ने कहा था :

> "मिट्टी, पत्थर, नदियों, जंगलों और पहाड़ों से देश नहीं बनते है, धन दौलत कमा लेने या पढ़ लिख लेने और मरने से भी देश नहीं बनते हैं, हजारों लाखों के पैदा होने और मरने से भी देश नहीं बनते हैं,—देश बनते हैं वीरों के शौर्य से, नारांगनाओं के सत्य से और शहीदों के रक्त से। इस भारत देश के निर्माण में हमारे पूर्वजों ने भी इसी प्रकार अपने खून की खाद दी है, माताओं, बहनों ने अपने सिन्दूर चढ़ाये हैं, शस्त्रास्त्रों के लिये ऋषियों ने अपनी हड्डियां अर्पित की हैं—आइये, आजादी के इस यज्ञ में हम भी अपनी आहुति देकर पूर्वजों की परम्परा जारी रखें।"

इसलिये मैं बहुत विनम्रता से यह आवेदन करना चाहता हूं कि विरोधात्मक विचार प्रस्तुत न करके, विरोधात्मक वृत्तियों को जाग्रत न कर के हम एक होकर, एकता से उन आतताइयों का मुकाबला करें जो हमारी सीमाओं पर, हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। इस समस्या पर हम सब लोग मिल कर विचार करें और कोई एक रास्ता उसका निकालें।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद् का यह अधिवेशन जिन ऐतिहासिक क्षणों में हो रहा है उसका उद्घाटन करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में चीनी आक्रमण की कई स्थानों पर भिन्न-भिन्न रूपों में चर्चा की है। स्वभावतः इन परिस्थितियों में ऐसी चर्चा का होना अपेक्षित भी है। परन्तु पिछले १५ वर्षों में अहिंसा के आदर्श में फंस कर जब इस देश की युद्धप्रियता लुप्त हो गई। बुद्ध के चक्कर में हम बुद्ध के नारों को भूल गये, उसी का यह परिणाम था, जिसके कारण हमारे देश को इस संकट का सामना करना पड़ा और हमारे इस देश को चोट लगी। परन्तु यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता। आज हम और अपने पड़ोसी राज्यों को देखें कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी सैनिक तैयारियां की हैं। लाल चीन जिस के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, उसके पास इस समय लगभग ३२ लाख स्थायी सेना है।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई]

नगर सेना और जन सेना सहित उनके यहां सेना की संख्या लगभग ३ करोड़ है। इसी प्रकार रूस के पास ३५ लाख स्थायी सेना है तथा १।। करोड़ के लगभग उनकी नगर सेना है। इसके अतिरिक्त जिन नवयुवकों को सैनिक शिक्षण दिया गया है, उन सब को मिला कर उनके पास साढ़े पांच करोड़ है। अमरीका जिसकी आबादी १८ करोड़ है, उसके पास इस समय लगभग २५ लाख स्थायी सेना है। दक्षिण कोरिया जो मुट्ठी भर लोगों का देश है, लेकिन उस ने भी ६ लाख स्थायी सेना अपने यहां रखी है। चांग काई शेक के फार्मोसा की आबादी १ करोड़ है, लेकिन उसके पास लगभग ६ लाख स्थायी सेना है। इसी तरह से दक्षिण वियटनाम के पास १।। लाख स्थायी सेना है, थाईलैंड के पास भी १ लाख स्थायी सेना है। लेकिन उन आंकड़ों को देखने के पश्चात् अगर हम अपने देश के आंकड़ों को देखें तो वर्तमान परिस्थितियों में लज्जा अनुभव होगी और उसको कहते समय जिह्वा भी लड़खड़ायेगी। समय की और परिस्थिति की पुकार यह है कि हम अपने देश की रक्षा के लिये अपनी सैनिक शक्ति बढ़ायें और वर्तमान सीमा की रक्षा करने के लिये अपनी सेना की संख्या इतनी अवश्य बढ़ायें कि वह कम से कम २५ या ३० लाख तक पहुंच जाये।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि इस संकट काल का सामना करने के लिये हमारे यहां अनिवार्य सैनिक शिक्षण की भी अब व्यवस्था की गई है और उसके लिये बताया जा रहा है कि आगामी जुलाई से देश का कोई कालेज या विश्वविद्यालय इस प्रकार का नहीं होगा में कि अनिवार्य सैनिक शिक्षण की व्यवस्था न हो। परन्तु मेरा अपना निवेदन है कि अनिवार्य सैनिक शिक्षण में जो गम्भीरता देश में आनी चाहिये और जिस गम्भीरता से अनिवार्य सैनिक शिक्षण को क्रियान्वित किया जाना चाहिये, वह अभी तक नहीं आ पाई है। केवल उसका प्रदर्शनात्मक रूप देश में अभी चालू है। अच्छा हो कि इस अनिवार्य सैनिक शिक्षण के कार्यक्रम को शिक्षा का एक अभिन्न अंग मान लिया जाय और विद्यार्थी उसी प्रकार उसको आवश्यक मान कर उसका शिक्षण लें जिस से देश के महत्वपूर्ण और संकट के समय में उसका उपयोग हो सके।

एक और विशेष बात यह है कि जिस समय नेफा में आक्रमण चल रहा था और सेला का पतन हुआ था उस समय सुना है सेला में अपने सैनिकों ने बहुत बड़ा मोर्चा लगाया था लेकिन जब अकस्मात् ही सेला का पतन हुआ तो देशवासी चकित रह गये। आखिर हमें हटना पड़ा क्योंकि चारों ओर से चीनियों ने सेला पहाड़ी को घेर लिया था, और उसी में ब्रिगेडियर होशियार सिंह जैसे अपने कुशल योद्धा को हमें खोना पड़ा और न जाने कितने आधुनिक शस्त्रास्त्रों को हमें अपने हाथों से खोना पड़ा। उस समय दर्दभरी एक ही आवाज थी जो सारे देश में सुनाई पड़ती थी, और वह यह कि हमारी मिलटरी इंटैलिजेंस अर्थात् सैनिक गुप्तचर विभाग बहुत दुर्बल है। मैं समझता हूं कि हमें कुछ और सावधान हो कर कार्य करना चाहिये और विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में या पहाड़ी इलाकों में जो हमारी मिलिटरी टेलिजेंस है उस में बहुत ही कुशल और अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये।

इसके पश्चात् मैं यह कहना चाहता हूं कि आये दिन जो युद्धबन्दियों की सूची समाचारपत्रों में प्रकाशित होती है कि चीन ने आज १८०० युद्धबन्दियों की सूची भेजी, आज १।। हजार युद्धबन्दियों की सूची भेजी। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि हम ने कितने चीनी सैनिक युद्धबन्दी बनाये, तो फिर हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। आज चीन से जो लम्बी सूचियां चली आ रही हैं कि उनके पास इतने युद्धबन्दी है, उस के लिये हम अपने सैनिकों को तो दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि हमारे सैनिकों को तो जहां और जैसे मोर्चों पर लगाया गया, और उनको हटने का आदेश जब तक नहीं दिया गया तब तक उन्होंने मुक्तहस्त हो कर भारतीय स्वाभिमान की रक्षा की। परन्तु मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप न सैनिक युद्धबन्दियों की लम्बी सूचियों का परीक्षण करते समय यह देखें कहीं उसके पीछे

किसी उच्च सैनिक अधिकारी का हाथ तो नहीं है। अगर उसके पीछे किसी उच्च सैनिक अधिकारी का हाथ था तो देश की परिस्थितियों की और राष्ट्र की पुकार है कि इस तरह के व्यक्ति को जो बड़े से बड़ा दंड किसी देशद्रोही को दिया जाना चाहिये, वह दिया जाय। क्योंकि उसी के कारण भारतीय स्वाभिमान की हानि हुई।

मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अभी उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सम्मानित कांग्रेस सदस्य, श्री बिष्ट, ने पिथौरागढ़ के क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सड़कें बनाने के लिये हमारी सरकार ने जो सामान भेजा था वह चोरी से तिब्बत के इलाकों को पास कर दिया गया, और उस सामान से जहां हमारी सड़कें बननी चाहिये थीं, वहां उस से आज चीनी क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं। मैं चाहता हूं कि अगर उनके स कथन में कुछ भी सच्चाई हो ो सरकार इस प्रश्न को भी गम्भीरता से ले। स प्रकार के व्यक्तियों के बारे में चाणक्य ने तो अपने ीति शास्त्र में यहां तक लिखा है कि राजद्रोह करने वालों को धरती में आधा गाड़कर उन के शरीर पर दही का लेप कर कुत्तों से उनको टुकड़े-टुकड़े करवाया जाना चाहिये। अगर स कार के वीभत्स दंड आप नहीं दे सकते तो कम से कम इस प्रकार के राजद्रोह करने वालों को गोली से तो उड़ाया ही जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह कोई गलत काम नहीं होगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह अच्छा हो अगर आप सीमावर्ती क्षेत्रों का शासन इस संकटकालीन स्थिति में केन्द्र अपने हाथ में ले ले। लेकिन अगर सरकार इन सब क्षेत्रों को अपने हाथ में नहीं ले सकती है तो जैसे मैं ने इस सदन में पहले भी कहा है आज फिर अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर दुबारा कहना चाहता हूं कि असम राज्य की स्थिति धीरे-धीरे इस प्रकार की बनती जा रही है कि अविलम्ब केन्द्रीय सरकार को उसका शासन प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना चाहिये और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो भयंकर घटनायें वहां घट रही हैं, उन में और भी वृद्धि हो सकती है। आप जानते ही हैं कि पंचमहल में क्या घटना वहां घटित हुई है ? आठ हजार पाकिस्तानी वहां आ कर बस गए और एक दिन रात्रि को पाकिस्तानी झंडा वहां फहरा दिया गया और घोषणा कर दी गई कि यह क्षेत्र पाकिस्तान का है। हमारे गृह मंत्री जी की जानकारी में ये सब बातें आई होंगी। उधर सीमा पर शत्रु अड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर असम राज्य का शासन केन्द्र ने अपने हाथ में न लिया तो मुझे खतरा है कि किसी भी समय और भी इस प्रकार की दुर्घटनायें वहां पर घट सकती हैं।

जिस समय कोलम्बो सम्मेलन प्रस्तावों को ले कर श्रीमती भन्डारनायके यहां आईं और उन प्रस्तावों का समर्थन करने वाले दूसरे व्यक्ति भी यहां आए उसी समय से कुछ लोगों ने दबी भाषा में एक और नया नारा आरम्भ किया है। लद्दाख के सम्बन्ध में उन का कहना है कि कुछ उस में क्षेत्र इस प्रकार का वहां है जिसकी स्थिति अस्पष्ट है। बाड़ाहोती के सम्बन्ध में भी वे कहते हैं कि शीत-काल में वह खाली रहता है। ऐसी स्थिति नहीं रहती कि सैनिक हमारे बराबर वहां रहें। इसी तरह लांगजू और ढोला की चौकियों के सम्बन्ध में भी उनके मन में अस्थिरता है। कोलम्बो प्रस्तावों की भाषा सामने आने के पश्चात् सरकार और सरकारी प्रचार एजेंसियां—मेरा इशारा आल इंडिया रेडियो की ओर है—इस प्रकार का कार्य कर रही हैं कि जो देश हित के विपरीत है। मैं चाहता हूं कि आज यह स्पष्ट भाषा में बताया जाय कि कोलम्बो प्रस्तावों के बाद आप के मन में कुछ अस्थिरता तो पैदा नहीं हो गई है ? क्या आज भी आप उसी स्थान पर खड़े हैं जहां पर आप कोलम्बो प्रस्तावों के आने के पहले थे और जिस समय आप ने कहा था कि ऐक-एक इंच अपनी भूमि को चीन से वापिस लिया जायेगा और एक इंच भूमि भी चीन को नहीं सौंपी जा सकती है। यदि उस घोषणा में कुछ परिवर्तन आया हो तो आज आप स्पष्ट इस सदन को बतायें, और देश को भी

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

बतायें, ऐसा न हो कि अकस्मात ही आप कभी अपना प्रस्ताव इस सदन में लायें और तब फिर देश में विपरीत उसकी प्रतिक्रिया आगे चल कर बने । मैं चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री जी उत्तर दें तो इसका स्पष्टीकरण जरूर करे । यह सन्देह बहुतों को है ।

भारत-चीन सीमाविवाद जो चल रहा है, उसके सम्बन्ध में जितने भी सरकारी पत्र प्रकाशित होते हैं, उनका स्पष्टीकरण करते हुए भारत के समाचारपत्र भी इस सारे विवाद के सम्बन्ध में लिखते हैं "भारत-चीन सीमा-विवाद" । लेकिन भारत-चीन सीमा-विवाद इसको नहीं कहना चाहिये । इसको तो यों कहा जाना चाहिये कि यह तिब्बत का वह भाग जिस पर चीन का तथाकथित आधिपत्य है, वह भारत-तिब्बत सीमा-विवाद । लेकिन जब यह बात भारत-चीन सीमा-विवाद सरकारी पत्रों में और सरकारी दस्तावेजों में लिखी हुई है तो इस का सीधा और स्पष्ट अभिप्राय यह है कि आप ने उनकी प्रभुसत्ता को तिब्बत में स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार की स्थिति का भारत में आना अच्छी बात नहीं है ।

एक ओर सब से बड़ी बात यह है कि जब युद्ध विराम की घोषणा हुई तो उसके पश्चात् हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो चीन या साम्यवाद का समर्थक है, चाहे वह साम्यवादी पार्टी में हो या उस से बाहर किसी दूसरी पार्टी में, जिनके हृदय में साम्यवादी भावना भरी हुई है, वह इस प्रकार की भावना फैला रहा है, अब कोई आक्रमण की सम्भावना नहीं है । एक ओर तो भूटान और सिक्किम की सीमा पर चीन नई खाइयां खोद रहा है, पिथौरागढ़ के इलाके में जहां आज से कुछ समय पहले उसकी नौ हजार मिलिटरी थी, आज डेढ़ लाख के करीब आ कर बैठ गई है, ढौला और लांगजू के पास उनके सैनिक तैयार खड़े हैं, लद्दाख के इलाके में अभी तक वह पूरी तरह से नहीं हटा है, उस स्थिति में देश में इस प्रकार की भावना भरना कि संकट टल गया है, ठीक नहीं है, घातक है । मैं तो समझता हूं कि ऐसा कहने वाले दूसरे रूप में चाऊ एन लाई और माओ त्से तुंग के हाथ मजबूत करते हैं । अगर एक पार्टी विशेष के लोग ही इसका समर्थन करते तो भी एक बार देश विचार कर सकता था । लेकिन दुःख की बात तो यह है कि रूलिंग पार्टी के सदस्यों में भी इस प्रकार के सदस्य हैं जो इस प्रकार की भावना का देश में प्रचार कर रहे हैं । मैं कांग्रेसी साथियों और खास कर शासकीय कुर्सियों पर बैठने वालों से बड़ी गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने घर से सावधान रहें । साम्यवादी ऊंट ने आपके टेंट में भी अपना मुंह डाल दिया है । हो सकता है कि धीरे-धीरे अपने एक-दो पैर बढ़ा कर वह आगे फिर चले और एक दिन ऐसा आये कि आप को उस घर से ही निकलना पड़े और सारे घर पर उस ऊंट का अधिकार हो जाये । इसलिए आप अपने घर से भी सावधान रहिये और देखिये कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि समाजवाद की आड़ में साम्यवादी ऊंट आप के घर को ही अपने नियंत्रण में तो नहीं करना चाहता ।

पाकिस्तान के साथ समझौते की चर्चा चल रही है । जो प्रतिनिधि मंडल बातचीत में भाग ले रहा है उसके नेता सरदार स्वर्ण सिंह हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन को अनुभव करते हुए ही पाकिस्तान के साथ वह बातचीत करेंगे । लेकिन महोदया, अब तक का पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि पाकिस्तान के साथ जब-जब भी समझौते की बातचीत हुई है, हमारा अनुभव है, कि हम को बराबर कुछ न कुछ देना ही पड़ा है । छोड़िये उस बात को जब भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ और किस तरह से हमारी गाढ़ी कमाई में से, हम को ५५ करोड़ रुपया देना पड़ा । अभी कल की ही यह घटना है कि नहरी पानी विवाद पर हम को ८४ करोड़ रुपये देने वाली संधि की दस्तावेजों पर दस्तखत करने पड़े थे । हम ने नदियों को मोड़ा, नहरों को मोड़ा और उसको भी उन में भागीदार बनाया इसी प्रकार जोगेन्द्रनगर की बिजली दी, झरिया का

कोयला दिया। मैं समझता हूं कि अब तो जब भी पाकिस्तान के साथ समझौता हो, वह कुछ वापिस लेने की भावना से होना चाहिए। दुर्भाग्य से अब तक हम देते ही आ रहे हैं, लिया हम ने कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जब भी कोई समझौता पाकिस्तान के साथ हो, या कोई समझौते की बातचीत चले, उस में ऐसी कुछ बात नहीं होनी चाहिए। हमारा दिल कांपता है कि कहीं उन्हीं पुरानी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस समझौते के द्वारा फिर दुबारा तो नहीं होने जारही है। इस संकट काल में स्पष्ट भाषा में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता की मनोभावना को देखते हुए पाकिस्तान के साथ अगर कोई समझौता होता है तो वह तभी हो सकता है जबकि आजाद काश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वह कल और कल नहीं तो परसों हिन्दुस्तान को वापिस दे दिया जाये। इसके अतिरिक्त और कोई समझौता होगा तो भारतीय स्वाभिमान के वह प्रतिकूल होगा और भारतीय जनता कभी उसे नहीं मानेगी।

हमारे जो सैनिक मोर्चों पर लड़ रहे हैं, या सैनिक केन्द्रों में हैं, उनके मनोबल को बनाये रखने के लिए जो समाचारपत्र उन्हें दिए जायें या उनको जो समाचार सुनाये जायें, वह ऐसे हों जिनमें नये वातावरण का निर्माण किया गया हो। राष्ट्र के मनोबल के अनुकूल वह चीज हो, उन भावनाओं को बढ़ावा देने वाली हो। लेकिन मुझे इन शब्दों को कहने के लिए आप क्षमा कीजिये, कि आज भी हमारी भारतीय सेना में इस प्रकार के समाचारपत्र जाते हैं जिनमें सरकारी कुर्सियों पर बैठने वाले एक दो मिनिस्टरों की तो प्रशंसा होती है, लेकिन बाकी सब की निन्दा होती है। इस बात को मैं और भी स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कभी किसी समाचारपत्र के साथ यह घटना घटित नहीं हुई है जब उसके सम्पादक को संसद् बुला कर सदन के सामने उसकी भर्त्सना की गई हो। उसी समाचारपत्र को फिर सेना में भेजना और सरकार का पैसा उस पर खर्च करना और सरकारी विज्ञापन उस समाचारपत्र को देना, एक तरह से इस पार्लिमेंट का अपमान है। जब पार्लिमेंट उस पत्र के सम्पादक की और उसकी नीति की भी भर्त्सना करती है, तब उसके ऊपर गवर्नमेंट का रुपया व्यय करना, कहां तक न्यायोचित है, यह सोचने की बात है। मैं कहता हूं कि सरकार को इस दिशा में थोड़ा सचेत हो कर निर्णय लेना चाहिए।

एक आखिरी बात जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय यहां पर बहिर्गमन हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। इसका जिक्र करते हुए मुझे कष्ट होता है। मैंने उस समय भी कहा था जिस समय कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद थोड़ी देर के लिए सदन की कार्रवाई हुई थी कि इस बहिष्कार का जहां तक सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति जी सर्वोच्च श्रद्धा के प्रतीक हैं। उनके भाषण के समय इस प्रकार की अशोभनीय घटनायें नहीं घटनी चाहियें। इसका घटना राजभाषा के लिए भी अच्छा नहीं रहा। और न ही देश के गौरव के अनुरूप था। लेकिन महोदया, इन शब्दों को कहने की आप मुझे आज्ञा अवश्य दें कि जिस तरह से माननीय डा० जाकिर हुसैन ने फारसी लिपि में लिख कर सारा भाषण हिन्दी का सुना दिया उसी तरह से अगर हमारे राष्ट्रपति भी एक दो पंक्तियां आरम्भ में देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में पढ़ कर सुना देते और कह देते कि मैं हिन्दी भाषा अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकता हूं इसलिए हिन्दी का भाषण उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन आप को सुनायेंगे तो मैं समझता हूं कि इस अशोभनीय घटना का वातावरण न बनता और देश को भी दुख न होता और राज भाषा के चाहने वालों को भी दुःख न होता।

इस सम्बन्ध में मैं और आगे बढ़कर संक्षिप्त एक बात कहना चाहता हूं। हमारे प्रधान मन्त्री ने कांग्रेस पार्लिमेंटरी पार्टी में बड़ी दृढ़ भाषा में अंग्रेजी को सहभाषा बनाने के बिल की चर्चा करते हुए कहा, कि अंग्रेजी का विरोध करने वालों का डटकर मुकाबला किया जायेगा। यह बात उन्होंने

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

बड़े क्रोध में कही। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज प्रधान मंत्री जी चीन का डट कर मुकाबला करने के बजाय, या पाकिस्तान का डट कर मुकाबला करने के बजाय, अंग्रेजी का विरोध करने वालों का डटकर मुकाबला करेंगे। क्या यह तलवार घर के अन्दर चलेगी? मैं समझता हूं कि यह बुद्धिमत्ता-पूर्ण बात नहीं। इस संकटकालीन समय में इस प्रकार की चुनौती देना ठीक नहीं। अगर इस चुनौती का जवाब देश ने भी दे डाला और उस ने भी चुनौती देनी शुरू कर दी तो सच मानिये बाहर वालों का मुकाबला करना तो दूर घर के अन्दर ही उपद्रव शुरू हो जायेंगे।

प्रधान मन्त्री जी ने यह भी कहा था कि मेरे घर में जो अखबार आते हैं मेरे बावर्ची उनको देख कर कहते हैं कि हम इनको नहीं समझ पाते। क्या हिन्दी का मापदण्ड प्रधान मन्त्री जी की कोठी पर काम करने वाले बावर्चियों से बनाया जाएगा या श्री हनुमन्तैया के उस वक्तव्य से बनाया जाएगा जिस में उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत में अगर हिन्दी समझी जा सकती है तो वह समझी जा सकती है जिसमें ७०–८० प्रतिशत संस्कृत के शब्द हों। इन दोनों में से किसकी बात को प्रमाणित माना जाए? प्रधान मन्त्री जी की कोठी पर काम करने वाले नौकरों की बात को या श्री हनुमन्तैया जैसे व्यक्ति की बात को जो इतने बड़े मैसूर राज्य के मुख्य मन्त्री रह चुके हैं! लेकिन फिर भी मुझे इतना अवश्य सुख मिला कि चलो प्रधान मन्त्री जी की कोठी पर हिन्दी के अखबार जाते तो हैं और उनको कोई पढ़ता भी है। लेकिन जब प्रधान मन्त्री जी की कोठी के नौकर और बावर्ची उनको पढ़ सकते हैं तो हमारे इस देश के प्रान्तों और केन्द्र में बैठे हुए सर्वोच्च शासक लोग १५–१५ वर्ष के बाद भी इतनी हिन्दी नहीं सीख सके हैं कि दो पंक्तियां भी हिन्दी की पढ़ पायें? मैं समझता हूं कि किसी भी राष्ट्र के अन्दर राष्ट्रभाषा से अपरिचित होना उस देश के सर्वोच्च शासक के लिये बड़ी लज्जा और शर्म की बात है। इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिये। मैं आपके द्वारा सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय सुरक्षा अधिनियम बना कर आपने राष्ट्रद्रोह करने वाले व्यक्ति पर भारतीय सुरक्षा अधिनियम के द्वारा अंकुश लगाया जायेगा उसी तरह जो दिन रात राष्ट्रभाषा की निन्दात्मक आलोचना करते हैं सरकार को चाहिये कि वह छोटा हो या बड़ा, ऐसे हर व्यक्ति पर अंकुश लगाये जो राष्ट्रभाषा की हर समय निन्दा कर उसके पद को गिराता है।

मुझे विश्वास है कि इन सारी बातों पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : मैंने सभी भाषण बड़े ध्यान से सुने हैं। हम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सभी बातों का उल्लेख किया है। चीनी आक्रमण का उस रूप में उल्लेख है। हम चीन के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। चीन ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार न करके स्थिति को काफी गम्भीर बना दिया है। प्रधान मन्त्री जी ने भी इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। इस बारे में अब कोई भ्रम नहीं रहा है। प्रधान मन्त्री जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जवानों के परिवारों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। विदेशी सहायता के सम्बन्ध में भी स्थिति प्रधान मन्त्री जी ने स्पष्ट कर दी है।

इस समय राष्ट्रीय एकता का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने की दिशा में कुछ होता है तो उसका कड़ा मुकाबला किया जाना चाहिए। भाषा का प्रश्न भी हल होना चाहिए और अन्तर्राज्यीय विवादों को भी शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना चाहिए। अन्तर्राज्यीय जल विवाद जैसे मामलों पर सम्मेलन द्वारा फैसले हो सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

हम आपातकाल में से गुजर रहे हैं। हमारे प्रशासन की दशा में सुधार होना चाहिए। प्रशासन में क्षमता मितव्ययता आनी चाहिए। भ्रष्टाचार तथा मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। सट्टेबाजी के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। इन मामलों में कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

काश्मीर के बारे में हम पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान की सरकार के रवैये को देखते हुए, हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए कि इस बारे में पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई लाभ होगा। नेपाल के साथ भी सम्बन्ध सुधारे जाने चाहियें। इस दिशा में कोई यदि भ्रांति हो तो उसे दूर कर देना चाहिए।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया): हम पाकिस्तान से समझौता कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसी प्रकार चीन से भी बिगाड़ करने के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। एक ओर अमेरिका हमें चीन के मामले में इस प्रकार की सलाह दे रहा है जिससे कि रूस हमारे विरुद्ध हो जाये दूसरी ओर वह

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पाकिस्तान से सुलह करने की सलाह दे रहा है। पाकिस्तान और भारत का युद्ध होने पर भी रूस और चीन भले ही आरम्भ में तटस्थ रहें परन्तु बाद में भारत और चीन दोनों ही रूस और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में बट जायेंगे। यह भी गलत बात है कि भारत और पाकिस्तान मिल कर चीन का मुकाबला कर सकते हैं। केवल रूस और अमेरिका ही चीन का मुकाबला करने में समर्थ हैं।

यदि भारत पाकिस्तान के साथ समझौते के प्रयत्नों से सरकार एक महान् राजनैतिक गलती कर रही है। ऐसे समझौते से पूर्व आवश्यक शर्त यह है कि पाकिस्तान 'नाटो' और 'सियटों' संघों से अलग सम्बन्ध तोड़ लेवे या उन संगठनों को संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में परिवर्तित कर दिया जाये।

जब तक रूस को भारत अमरीका सम्बन्धों के क्षेत्र में नहीं लाया जाता है तब तक अमेरिका या भारत चीन को भारत पर आक्रमण करने से नहीं रोक सकते हैं। काश्मीर में सेना की कम से कम एक डिवीजन नियुक्त करने से चीन और पाकिस्तान भारत पर हमला करने का साहस कर सकते हैं। इससे रूस भी भारत अमेरिका सम्बन्धों के अन्तर्गत आ जायेगा।

वस्तुतः जब तक अणुशक्ति सम्बन्धी गतिरोध चलता रहेगा तब तक रूस और अमेरिका के सम्बन्धों में गतिरोध बना रहेगा और यह गतिरोध तब तक बना रहेगा जब तक निशस्त्रीकरण नहीं हो जाता है।

**श्री रामेश्वरानन्द** : ओ३म् वेनस्ततपश्यन् निहतं गुहा सद्यत्रं विश्वं अवत्येक नीडं
तस्मिन्निदं संबविचेति सर्व स ओतः प्रोतश्चविभुपजासु ॥

अध्यक्ष महोदय, आपने अन्तिम दिन जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैंने राष्ट्रपति महोदय के भाषण को पढ़ा और सुना भी। मैंने राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना की थी कि चूंकि आप देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, इस वास्ते सोलह वर्ष पश्चात् भी अंग्रेजी भाषा में इसको पढ़ना आपको शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूं कि उनका यह भाषण निराशा, और पिष्ट पेषण से भरा पड़ा है। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी में भाषण करना हमारे विधान का अपमान है। इस धरातल पर कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसके राष्ट्रपति आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अंग्रेजी भाषा में.....

†मूल अंग्रेजी में

**अध्यक्ष महोदय** : स्वामी जी, आपको यह नहीं कहना चाहिये । उनका भाषण अपना भाषण नहीं होता है । गवर्नमेंट का वह लिखा हुआ होता है । गवनमेंट के बारे में जो कुछ आपको कहना है कहिये ।

**श्री रामेश्वरानन्द** : बहुत अच्छा ।

उन्होंने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि हम चीन के साथ अब क्या बरताव करेंगे । कोलम्बो प्रस्ताव हमने स्वीकार किए, उसने उनका विरोध किया, इसका मतलब यह है कि इनको स्वीकार करके भी हमारे देश का अपमान हुआ है, महान् अपमान हुआ है । जब चीन ने उनको ठुकरा दिया तो हमारा उनको स्वीकार करने से कौनसा प्रयोजन सिद्ध हो गया यह मेरी समझ में नहीं आया । परन्तु मैं तो केवल इतना ही इस सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि यदि इन प्रस्तावों को चीन नहीं मानता है तो हम उसके साथ क्या बरताव करेंगे ।

सारे सवाल बातचीत से ही नहीं सुलझ जाया करते हैं । अगर बातचीत से सभी समस्यायें सुलझ जायें तो फिर डंडे की जरूरत ही कहां रह जाती है । शासक लोग इसलिए बनाये जाते हैं कि आन्तरिक और वाह्य दोनों प्रकार के जो आक्रमण जनता पर होते हैं, उनका वह मुकाबला करे और डंडे से करे.....

श्री त्यागी (देहरादून) : डंडे से करे ?

**श्री रामेश्वरानन्द** : डंडे से मतलब है, शस्त्रास्त्रों से करे ।

हाथ जोड़ने से अगर काम चल सकता है तो हमारे जैसे साधु लोग, हमारे जैसे ब्राह्मण लोग हाथ जोड़ कर काम चला सकते हैं । हमारे यहां पर क्षत्रियों की आवश्यकता ही इसलिए महसूस हुई कि :—

प्रजानं रक्षणं दान मिज्या अध्ययन मेवच
विषयेष्वप्रशक्तिश्च क्षत्रियेस्य समास्तः

प्रजा की रक्षा करना, चोरों, डाकुओं, लुटेरे लोगों आदि से, अन्दर और बाहर से रक्षा करने के लिए ही हुई ।

मेरा हृदय कांपता है । हमारे कांग्रेसी भाई कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है । यदि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है तो मुझे कोई ऐसे देश का नाम तो आप बता दीजिये पड़ोस में जो हमारा मित्र हो । पाकिस्तान आपका जैसा मित्र है, चीन आपका जैसा मित्र है, नेपाल आपका जैसा मित्र है, बर्मा आपका जैसा मित्र है, इसको सभी जानते हैं ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उनका धन्यवाद किया है जिन्होंने हमें सहायता दी है । अध्यक्ष महोदय, मुझे उन से भी भय है । अंग्रेज जब भारत में आए थे, तब व्यापारी बन कर आए थे । अब वे रक्षक बन कर आ रहे हैं । कहीं ऐसा न हो कि कल वे भक्षक बन जायें । मुझे उन से भी डर है क्योंकि हमारे देहात में कहा जाता है, एक दिन का महमान, दूसरे दिन का एहमान और तीसरे दिन का बेईमान ।

मैं देखता हूं कि मेरा देश चारों ओर आक्रमण से घिरा हुआ है । देश की आन्तरिक स्थिति का यह हाल है कि पाकिस्तान के एजेंट मेरे देश में करोड़ों की संख्या में बैठे हुए हैं । चीन के एजेंट हमारे देश में लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं । इसके विपरीत पाकिस्तान और चीन में हिन्दुस्तान का एक भी हमदर्द आपको नहीं मिलेगा, एक भी भारत का हितैषी नहीं

मिलेगा । यह वास्तविक स्थिति है । फिर भी हमारे नेता कम्युनिस्टों पर विश्वास करते है जिन्होंने हमारे साथ यह सब कुछ किया है । हमारे पंडित जी अभी भी डांगे जी का विश्वास करते हैं । उनको उन्होंने विदेशों में भेजा, कम्युनिस्ट देशों में भेजा और कहा कि वहां जा कर भारत का पक्ष रखो । उन्होंने कितना बढ़िया पक्ष वहां पर भारत का रखा है । इंग्लैंड में उन से पूछा गया कि भारत ने हमला किया है या चीन ने तो उन्होंने कितना बढ़िया इसका उत्तर दिया । उसको आपने पढ़ा ही होगा । उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता हूं कि चीन ने किया या भारत ने । भारत वाले कहते हैं कि चीन ने किया और चीन वाले कहते हैं कि भारत ने किया । कितना बढ़िया उत्तर दिया उन्होंने और कितने सुन्दर ढंग से उन्होंने हमारा पक्ष रखा ।

हमने सब से पहले १९५४ में भूल की जब चीन के साथ हमने लम्बा दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तिब्बत को चीन का एक प्रदेश माना । अपनी फौजें ग्यांत्से और यातुंग से बुलाईं और डाक तार इत्यादि विभाग उनको सौंप दिए । वहां से हम शान्तिपूर्ण चले आए । हमने अपनी २९४८ मील लम्बी सीमा पर कोई चौकियां नहीं बनाईं । चीन चलता गया । उसने तिब्बत पर अधिकार किया और तिब्बत पर अधिकार करने के बाद उसने भारत की ओर देखा । उन भखमरे लोगों ने भारत की भाखड़ा जैसी नदियों को देखा, यहां के बाग बगीचों को देखा और कहा कि इससे बढ़िया इलाका और कौन सा हो सकता है । हमारे नेताओं ने यह सब कुछ देखा है । हमने नीति शास्त्रों में पढ़ा है कि राज्य की जो सेना होती है, उसका जो शस्त्रागार होता है इनका किसी को पता नहीं होना चाहिये । किन्तु हम ने विदेशों को भी सब कुछ दिखाया । हमारे देश के नेता यह समझते थे कि जब हम किसी से नहीं लड़ेंगे तो हम से कौन लड़ेगा । परन्तु लड़ाई लड़ने वाले से कभी नहीं होती है, लड़ाई उससे होती है जो लड़ना नहीं जानता है । यह मनोविज्ञान है कि जो बच कर चलते हैं उनको जो बड़े बदमाश होते हैं, सीधे सादे समझ कर गाजर मूली की तरह चबा जाते हैं ।

अब कहा जा रहा है कि हम स्वप्नों की दुनिया में रहते थे । हमारी आंखों के सामने से पर्दा हटा है । मगर मैं तो समझता हूं कि अब भी नहीं हटा है । अगर हट जाए तो मैं धन्यवाद आपको दूंगा । परन्तु हटा नहीं है । अभी वह यथापूर्व है । चीन तो यह देख रहा है कि किसी तरह से उनके साथ जिन्होंने हमें सहायता दी है, हमारी अनबन हो जाए और जो हथियार आदि मिले हैं, वे वापिस चले जायें और वह दुबारा हम पर हमला करे ।

देश की स्थिति विकट है । पंडित नेहरू ने १४ नवम्बर के भाषण में स्पष्ट कहा था कि हम चीन के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं । अगर आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो आपने इस एमरजेंसी को क्यों बनाये रखा हुआ है । यह ढोंग क्यों रचा रखा है । यह खत्म होना चाहिये । एक तरफ तो हम कहते हैं कि खतरा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि लड़ेंगे नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप चीन को चर्खा कात कर बाहर निकाल देंगे ? किस तरह से आप चीन को वहां से निकालोगे, यह भी तो बताओ । हम कहते हैं कि चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है । परन्तु नीति यह नहीं मानती है । नीति कहती है : —

अविश्वस्ते न विश्वसेत् विश्वस्ते नातिविश्वसेत् ।

अर्थात् जो बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है उसका हर्गिज विश्वास मत करो, और जो थोड़े विश्वास के योग्य है उसका अधिक मत करो । यदि विश्वास करोगे तो उसी के द्वारा मारे जाओगे, वही तुम को मारेगा । सारी मृत्युएं इसी कारण से होती हैं, सारा अन्धेरा इसी कारण से होता है । यदि आप बहुत ज्यादा विश्वास न करते तो कोई आपके साथ अन्याय न कर सकता । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि स्वभावतः मेरा किसी से मतभेद नहीं है । सैद्धान्तिक

[श्री रामेश्वरानन्द]

मतभेद होते हुए मैं आप सब का आदर करता हूं। लेकिन मैं पुनः कहूंगा एक साधू होने के नाते कि कम्यूनिस्ट लोग जो हमारे नेताओं को एक प्रकार से सुन्दर-सुन्दर वाटिका दिखा रहे हैं वह ढोंग है, उस से हमें सावधान रहना चाहिये। मैं ऐसे कांग्रेस सदस्यों को जानता हूं जो उन को बहुत अच्छा कहते हैं। श्रीमती सुभद्रा जोशी ने उन का बहुत ज्यादा पक्ष लिया और कहा कि कम्यूनिस्ट भाई सब से अच्छे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : पत्नी भी तो एक कम्यूनिस्ट की हैं।

**श्री रामेश्वरानन्द** : इस दृष्टि से तो यह बहुत अच्छा है। भारतीय नारियों का यह चरित्र होता है कि वह चाहती हैं कि उनमें और उनके पति के मन में किसी तरह का फर्क न रहे। मैं तो यहां तक मानता हूं कि चीन आदि देशों में जो हमारे यहां की खबरें जाती हैं, कांग्रेस की गुप्त मंत्रणायें जाती हैं, वे इन श्रीमती जी के द्वारा ही जाती हैं। ऐसा मेरा विश्वास है।

**अध्यक्ष महोदय** : स्वामी जी के लिये यह शब्द कहने उचित नहीं थे। उन्हें चाहिये कि वे यह शब्द वापस ले लें।

**श्री रामेश्वरानन्द** : जब आप कहते हैं तो मैं वापस ले लेता हूं। आप जो कहेंगे मैं उसे जरूर करूंगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा उसकी ओर आप का ध्यान दिलाया गय पिछली बार, फिर भी आप ने उन से कुछ नहीं कहा। मैं तो आपकी बात शिरोधार्य करता हूं क्योंकि आप हमारे अध्यक्ष हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह भी आप ठीक नहीं कह रहे हैं। मैंने उसी दिन उन्हें रोक दिया था।

**श्री रामेश्वरानन्द** : परसों भी यही हुआ था। बहरहाल मैं कहना चाहूंगा कि हम आप के साथी हैं, देश की सुरक्षा के लिये अन्त तक आप के साथ रहेंगे, हमारे रक्त की एक-एक बूंद भी देश की सुरक्षा के लिये आप के साथ है। हम को यहां बहुत बुरा समझा जाता है, जन संघ या स्वतन्त्र पार्टी का आप से सैद्धान्तिक मतभेद हो सकता है, परन्तु वैसे कांग्रेस से हमारा विरोध नहीं। वस्तुतः जो विरोधी हैं उन को तो आप देखते भी नहीं हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ण पर आज प्रतिबन्ध लगाया गया। लाखों करोड़ों आदमी बेकार बैठे हैं। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप ने नियम बना दिया कि एक तोले सोने में सात माशा सोना हो और पांच माशा पीतल या तांबा हो। इस देश के सुनार तो बहुत से उसे बना भी नहीं सकते, और इस तरह से कौन बनवायेगा? हमें हंसी आती है कि एक ओर तो आप सरकारी कानून बनाते हैं कि कोई दूध में पानी मिलायेगा तो उसे आप गिरफ्तार करेंगे, मसाला में मिलावट करेगा तो उसे आप गिरफ्तार करेंगे दूसरी ओर आपने कानून बनाया कि आज सोने में पीतल मिलाया जाना जायज है, उचित है।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : स्वामी जी को सोने की फिक्र क्यों पड़ गई?

**श्री रामेश्वरानन्द** : मुझे इस लिये फिक्र पड़ी कि हमारा सोना निकाल कर दूसरे देशों को दे दिया गया तो हमारा देश महा निर्धन हो जायेगा। मुझे अपने लिये कोई चिन्ता नहीं है। मैं तो आपके पास से रोटी मांग कर खा सकता हूं, लेकिन मुझे देश की चिन्ता है। इसलिये मैंने यह बात कही।

आप के सामने जो विदेशी मुद्रा का संकट है, उसके सम्बन्ध में भी आप से कहना चाहूंगा कि आप कुछ अनावश्यक चीजें बाहर से मंगाते हैं जैसे मुंह रंगने का सामान, विदेशी

शराब और नशे की चीजें या सैकड़ों प्रकार का और सामान भी मंगाते हैं, उन को बन्द कीजिये। यहां से मालदार लोगों को पार पत्र दे कर विदेशों को भेज दिया जाता है। वे वहां से चोरी से ऐसी वैसी चीजें खरीद लेते हैं। हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिये जिस चीज की आवश्यकता हो वह सब दी जाय, परन्तु एक ओर जहां आप सोना लेना चाहते हैं वहां विदेशी मुद्रा को रोकने के लिये जो व्यर्थ की चीजें आप मंगवाते हैं उस पर प्रतिबन्ध होना चाहिये। वह चीज नहीं आनी चाहिये।

**श्री ह० च० सोय** (सिंहभूम): अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात पर खुशी जाहिर की कि इस युद्धकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये अपने देश में जितने मजदूर संगठन हैं और उद्योगों के मालिक लोग हैं उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया है कि यहां औद्योगिक झगड़े न हों ताकि अधिक से अधिक उत्पादन देश में बढ़े और कम से कम खर्च पर। इस खुशी में मैं उन के साथ शरीक हूं, मगर पूरी तरह से नहीं। यह इसलिये कि जहां एक ओर हमारे निचले तबके के लोग, मजदूर वर्ग और कारखानों में काम करने वाले लोग बड़ी खुशी से अपने साधारण समय से ज्यादा काम कर रहे हैं, दुगुने और तिगुने समय तक काम कर रहे हैं और खुशी से अपनी तन्ख्वाह में से एक रोज का वेतन हर महीने नैशनल डिफेन्स फंड में दे रहे हैं, जो कि बड़ी खुशी की बात है, वहां दूसरी ओर अधिक पैसे वाले लोग, अधिक तन्ख्वाह पाने वाले लोग, हम देखते हैं, उतना जोश नैशनल डिफेन्स फंड में देने में नहीं दिखा रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ऐसी भी कई मिसालें हैं कि जहां बड़े उद्योगपतियों को इस युद्धकालीन स्थिति में जितनी कोशिश अधिक उत्पादन करने में करनी चाहिये थी उतनी उन्होंने नहीं की। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि उन का जो काम है एक तरह से देशद्रोह भी है। उदाहरण के लिये मैं कहूंगा कि हमारे अपने इलाके में बिहार के झिंगपानी चायवासा क्षेत्र में एक ऐसोशिएटेड सीमेंट वर्क्स है। उस कारखाने में हर तीसरे रोज उस का किसी न किसी हिस्से में ब्रेक डाउन हो जाता है। हम लोगों ने अन्दाज लगाया कि हर तीसरे रोज जो ब्रेकडाउन होता है उस में २५ टन की कमी होती है। आप जानते हैं कि सीमेन्ट कितनी महत्वपूर्ण चीज है इस जमाने में, खास कर युद्धकालीन स्थिति में। जब उस कारखाने के मालिकों से हम बोनस देने की बात कहते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा देना पड़ता है, इसलिये वे अधिक बोनस नहीं देंगे। और इस कारखाने की स्थिति यह है कि हर तीसरे रोज मशीन का ब्रेकडाउन होता है।

इसी तरह से हमारे अपने इलाके में कुछ कायनाइट की खदानें हैं। वहां पर तीन कम्पनियां ऐसी हैं जो इस युद्धकालीन स्थिति में अपने मजदूरों को दूसरी कम्पनियों का विशेषकर आई० सी० सी० लिमिटेड का माल चोरी करने में लगाये हुए हैं। स्थानीय पुलिस अफसर हैं और जो हमारे माननीय मंत्री जी खनिज पदार्थों के काम के लिये यहां पर हैं, उन सब को हम ने लिखा कि युद्धकालीन स्थिति में हमें कम से कम अपने मजदूरों को इस तरह के गलत कामों में नहीं लगाना चाहिये। यह कायनाइट जो है वह बहुत अच्छी फारेन एक्स्चेन्ज कमाने वाली चीज है। इन दो कम्पनियों ने तमाम मजदूरों को जिसमें अधिकतर आदिवासी हैं दूसरी कम्पनियों की चोरी करने में लगाया हुआ है। हमारे इलाके में रेलवे में अस्थायी काम करने वाले मजदूर लोग भी हैं। हम यह आशा करते थे कि इस युद्धकालीन स्थिति में मजदूरों से जो गलत तरीके से काम लिया जाता है, या जो गलत बरताव उन से किया जाता है, वह बन्द होगा। लेकिन होता यह है कि रेलवे में काम करने वाले जो लोग हैं वे कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों को हर महीने बहाल करते हैं और आखीर में उन्हें बर्खास्त कर देते हैं। दूसरे महीने में उन्हें फिर भरती करते हैं और भरती करते समय ५ या १० रु० लेते हैं। यह खुली हुई घूसखोरी चल रही है। मैं एक गम्भीर सवाल सरकार से करना चाहता हूं और वह यह कि हम ने जो सारे डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स बनाये हुए हैं आखिर वह कब काम में आयेंगे ?

[श्री ह० च० सौय]

जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लगे हैं अगर आप उन को इस के मातहत बन्द कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। मगर ये उत्पादन में बाधा डालते हैं और इस तरह से गलत तरीके से मजदूर लोगों को लगाते हैं, घूस लेते हैं, इन लोगों के खिलाफ भी मैं कहूंगा कि डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज़ का सख्ती से इस्तेमाल किया जाना चाहिये। क्यों ऐसा नहीं किया जाता है, मैं हैरान हूं।

मैं चाहता हूं कि हमारे देश के उत्पादन में बाधा डालने वाले जितने भी पूंजीपति हैं, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, रेलवे में इस तरह से काम करने वाले बड़े बड़े इंजीनियर हैं, इन सभी लोगों को डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज़ के अन्तर्गत तुरन्त जेलों में बन्द किया जाना चाहिए। अपने इलाके की मैं आप को बात बतलाता हूं। चक्रधरपुर में कांट्रैक्टर लोग हैं, उन्होंने रेलवे के क्वार्टर बनाये हैं। उन लोगों ने सैकड़ों की संख्या में मकान बनाये हुए हैं, लाखों रुपये सरकार के बरबाद किये हैं। हम ने रेलवे की विजिलेंस कमेटी का इस ओर ध्यान खींचा। उन लोगों ने इनक्वायरी भी की और इन कांटेक्टर्ज़ और इंजीनियर्ज़ को दोषी पाया। मगर फिर भी न जाने क्यों इतनी ज्यादा ताकत गवर्नमेंट के हाथ में होते हुए भी, डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज़ होते हुए भी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं आशा करता हूं कि इस संकट काल में इस तरह के गलत कामों को तुरन्त बन्द कर दिया जायेगा और उत्पादन बढ़ाया जायेगा।

हमारे स्वैल साहब ने इशारा किया कि पिछले चौदह पंद्रह वर्षों में कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस तरह का जिक्र नहीं हुआ है कि पिछड़े वर्गों के बारे में, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के बारे में क्या प्रगति हुई है। मैं आशा करता हूं कि आगे से इसका भी विशेष जिक्र किया जाया करेगा।

मुहम्मद इस्माइल साहब ने केरल की बात आपके सामने रखी है। केरल की बात को उन्होंने आपके सामने रखा है। उन्होंने दुख जाहिर किया है कि उस इलाके में उद्योग धंधे अधिक नहीं हैं। हमारे यहां बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में काफी उद्योग धंधे का विस्तार घूम रहा है, यह खुशी की बात है। उद्योगों की स्थापना से जो अधिक धन पैदा होता है, जो खुशहाली बढ़ती है, उससे हमें खुशी होनी चाहिये। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस इलाके के लोग खुश होने के बजाय बहुत हैरान और परेशान हैं। ढेबर कमिशन ने इस ओर विशेष संकेत किया है। उसने बहुत ही सुन्दर रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसने कहा है कि खदानों और कारखानों के लिए, बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पर भूमि तो ले ली जाती है लेकिन हजारों की संख्या में जिन लोगों को बेघरबार किया जाता है, जिनको अपनी जमीन से वंचित किया जाता है, उनके पुनर्वास का, उनको फिर से बसाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है, उनके लिए कोई स्कीम नहीं बनाई जाती है। कमिशन ने कहा है कि उनको रिहैबिलिटेट करने में सिर्फ मुआवजा ही नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि जमीन के बदले जमीन जहां तक हो सके दी जानी चाहिये। जितने लोगों को हटाया जाता है, जिन की जमीन ली जाती है, उन में से अधिक से अधिक लोगों को, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हीं उद्योग धंधों में, उन्हीं कारखानों में, उन्हीं खदानों में नौकरी देने की भी व्यवस्था होनी चाहिये, उनकी ट्रेनिंग का प्रबन्ध होना चाहिये। कमिशन ने साफ कहा है कि उनके रिहैबिलिटेशन का, उनकी ट्रेनिंग का और उनके एम्प्लायमेंट का सारा खर्चा उस प्रोजैक्ट में से होना चाहिये जिस के लिए जमीन ली जाती है। मैं आशा करता हूं कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

इस अभिभाषण में कुछ संकेत मिले उससे जो परेशानी हमें मनीपुर को ले कर नागालैंड को ले कर उठानी पड़ी है। पिछले चौदह पंद्रह वर्ष से हम जानते हैं कि दो करोड़ से अधिक जो आदि-

वासी लोग हैं और उस से भी ज्यादा तादाद में जो शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उनकी भलाई के जितने काम होने चाहिये थे, नहीं हुए हैं, उनके लिए जितना काम किया जाना चाहिये था नहीं किया गया है। इस काम में केन्द्र तथा राज्य सरकारें बहुत पीछे हैं। इस काम में उनको अधिक सफलता नहीं मिल पाई है। हम जानते हैं कि संविधान में खास करके पांचवें और छठे शैड्यूल में हम ने प्रतिज्ञा की है कि इन को कम से कम समय में इतने ऊंचे स्तर पर ला कर खड़ा कर देंगे ताकि इनके लिए विशेष संरक्षणों की आवश्यकता ही न रह जाये। ढेबर कमिशन की रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है इस क्षेत्र में अब तक जितना काम हुआ है वह बहुत ही नाकाफी हुआ है और हम बहुत ही नाकामयाब रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक जबर्दस्त इंडिक्टमेंट है। इन सारी प्राविजंज़ के बावजूद ढेबर कमिशन की रिपोर्ट के बावजूद सरकार ने यह दिलचस्पी और यह तत्परता नहीं दिखाई है कि काम आगे बढ़ता। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने आप को संविधान तक ही सीमित न रखे बल्कि सचमुच में जो उनके वैल्फेयर के काम हैं, उनको हाथ में ले, उनको पूरा करे और जितने भी रुपये उनकी भलाई के लिए रखे जाते हैं, उनको खर्च किया जाये, उनको सरेंडर न किया जाये।

हमारे देश में पिछले चौदह द्रह बरसों में विभिन्न राज्यों के बीच सीमाविवाद उठते रहे हैं। इन विवादों के मूल में भाषा का कारण भी एक प्रमुख कारण रहा है। इन विवादों को हल करने में हम बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाये हैं। इस सदन में हिन्दी को ले करके लोगों को कुछ परेशानी हो जाती है। मैं खुद हिन्दी का हिमायती हूं। अपने इलाके में हिन्दी का बड़े जोरों से प्रचार भी होता है। यह अच्छी बात है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो दो करोड़ आदिवासी हैं उनके बारे में जब माइनोरिटीज़ कमीशन की रिपोर्ट पेश होती है तो कह दिया जाता है कि ये आदिवासी हिन्दी भाषा भाषी हैं। यह सरासर गलत रिपोर्ट होती है गलत बयानी होती है। मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटस हमारे बारे में इस तरह की गलत रिपोर्टें न दें। हम हिन्दी बेशक पढ़ेंगे। मगर हमारी जो भाषा है, उसको जरूर तरक्की मिलनी चाहिए। आश्वासन दे देना ही काफी नहीं है। मैं सोवियट रशिया का एक पैम्फलेट पढ़ रहा था माइनोरिटीज़ के बारे में। उसमें ऐसी नैशनैलिटीज़ का ज़िक्र था जिनकी आबादी पचास हज़ार से से भी कम थी। उनकी अपनी कोई भाषा नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं था। मगर सोवियट रशिया ने उन लोगों का सारा स्क्रिप्ट बनाया और उनकी भाषा की किताबें बनवाई और उनको पढ़ाया मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार भी लोगों का हिन्दी के साथ साथ उनकी अपनी जो भाषा है, वह भी पढ़ाये, उसकी तरफ भी ध्यान दे। उसे केवल कागज़ी सन्तोष ही हमें नहीं देना चाहिये।

**श्री सुमत प्रसाद** (मुजफ्फरनगर) : मैं उस प्रस्ताव का जो श्री पाण्डेय जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में पेश किया है, अनुमोदन करता हूं।

यहां पर कहा गया है कि एमरजेंसी को खत्म कर दिया जाना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि देश को एक घोर संकट का सामना करना है। पिछले तीन महीनों में कोई बात ऐसी नहीं हुई है जिस से यह कहा जा सके कि एमरजेंसी को खत्म किया जाय। चीन ने जब लड़ाई स्थगित की तो कुछ शर्तों के साथ की। आज भी वह कोलम्बो प्रस्तावों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लद्दाख में उस को आपत्ति इस बात पर है कि वहां हिन्दुस्तान की सिविल पोस्ट्स कायम हों। इस से उन की जो नीयत है उस का पता चलता है। यह जाहिर है कि चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया और वह आसानी से हटने वाला नहीं है। दोनों देशों के अफसरों ने सीमा विवाद के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की और वह रिपोर्ट एक अर्से से चीन के सामने है। उस को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में ज्यादती चीन की तरफ से हुई है और हमारा पक्ष बिल्कुल न्याय पर आधारित है। रिपोर्ट के बावजूद उन्होंने आक्रमण किया तो वह किसी दलील से या किसी बहस से मानने वाले

[सुमत प्रसाद]

नहीं हैं। जब तक हमारे देश की शक्ति नहीं बढ़ेगी और हमारी डिफेंन्स फोर्स इस काबिल न हो कि हम उस आक्रमण को हटा सकें उस वक्त तक यह आशा करना कि सुलह की बात से इतना बड़ा मामला सुलझने वाला है, ठीक नहीं है। यह चीज मुझे नजर नहीं आती। हां अपने देश की एक नीति रही है, और वह आज से नहीं, जब अंग्रेजों के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त से है। पूज्य गांधी जी ने कभी भी सुलह की बात से इनकार नहीं किया। जब जब मौका आया वह पूरी तौर से समझते थे कि उस वक्त के शासक इस मूड में नहीं थे कि वह सुलह करें, लेकिन अपने पक्ष को सच्चा साबित करने के लिए, और यह दिखलाने के लिए कि दूसरा पक्ष गलती पर है, गांधी जी ने हमेशा सुलह की बात को स्वीकार किया। ठीक उसी रास्ते पर हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देश के सामने यह बात रक्खी कि कोलम्बो प्रपोजल्स को मानने से देश की हानि नहीं बल्कि दुनिया के सामने चीन ने जो गलत प्रचार किया है कि हिन्दुस्तान ने आक्रमण किया चीन ने नहीं किया और यह कि हिन्दुस्तान किसी तरह से सुलह के लिये तैयार नहीं, वह सब धोखा दूर हो जायेगा।

इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाये, देश को मजबूत करने के लिये, और देश ने पूरा पूरा सहयोग सरकार को दिया। अभी इस डिफेन्स से सम्बन्धित बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर सरकार के लिए विचार करना जरूरी है। मसलन् होम गार्ड्स का मसला है, प्रान्तीय रक्षा दल का मसला है। मैं समझता हूं कि प्रदेशों में जितना काम उन के सम्बन्ध में होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ। आज कल के युग में अगर फौज की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ाई जाय तो उस के खर्च का बोझ भी देश के लिये बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इसलिये अगर हमारी होम गार्ड्स की स्कीम और प्रान्तीय रक्षा दल की स्कीम कामयाब हो सके तो सही आदमियों को तलाश कर के उन को सैनिक ट्रेनिंग दी जाय। यह एक सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स का काम दे सकती है। आज के युग में साइंस और टेकनालोजी की बहुत भारी प्रगति हुई है। हम ने प्लैनिंग का विचार रूस से लिया और उस तरफ कदम बढ़ाया। चाइना में भी लैनिंग चली। हमारे देश में जहां तक प्लैनिंग का ताल्लुक है वहां तक अच्छा काम हुआ, लेकिन प्लान्स इम्प्लिमेंटेशन में अब भी बहुत कमी है। आज इस संकट के समय देश के लिए यह जरूरी है कि अनाज के उत्पादन में हम ज्यादा उद्योग करें। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि तीसरी योजना की समाप्ति तक भी शायद देश इस मामले में आत्म निर्भर नहीं हो सकेगा। अगर ऐग्रिकल्चर के बारे में यह बात होती है तो उस का असर इंडस्ट्रीज पर भी पड़ेगा, देश की आय के ऊपर भी पड़ेगा और फौरेन एक्सचेंज के ऊपर भी पड़ेगा। तो जहां यह प्लैनिंग का काम ठीक हो रहा है वहां इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि उस का इम्प्लिमेंटेशन ठीक तौर से हो। यह बहुत इत्मीनान की बात है कि प्लैनिंग कमिशन और हमारी गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रहे हैं। उन्हों ने कुछ टीम्स बनाई हैं जो प्रदेशों में जा कर देखें कि किस कारण प्लैनिंग से जो उपलब्धि होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। कहां कहां उस में कमी है।

यह पता चलता है कि सिंचाई के साधन काफी मात्रा में देश में बढ़े, लेकिन उन सब का पूरा फायदा नहीं उठाया गया। अगर आप प्रदेशों में देखें तो जितने हमारे ऐग्रिकल्चर सम्बन्धी आफिसर्स हैं वे ज्यादातर मेज पर बैठ कर काम करने के आदी हैं। इस सदन में काफी चर्चा हुई है कि हर गांव के लिये प्लैन बनाई जाय, हर प्रदेश के लिए प्लैन बनाई जाय, लेकिन मैं ने जिलों में देखा कि प्लैन सारी उन के दफ्तरों में बनती है। मौके पर जा कर ही यह देखा जा सकता है कि किस खेत के लिए किस चीज की जरूरत है, किस काश्तकार को कितनी मदद चाहिए, उस के लिये ठीक समय पर उसे उपलब्ध करना जितना दो या तीन वर्ष पहले मुश्किल था, उतना ही आज भी मुश्किल है।

काश्तकार काफी तरह से खेती के काम से वाकिफ है । हर एक नये ढंग को, जिस से कि उसपर यह जाहिर हो कि उस से उस का फायदा है, वह बिना किसी के बतलाये हुए भी अख्त्यार करने के लिए तैयार है । लेकिन आज सरकार उसे जितनी सहायता देना चाहती है वह सहायता उस तक नहीं पहुंचती ।

मैं ने कुछ जगहों पर कोआपरेटिव सोसायटीज़ देखीं । कोआपरेटिव सोसायटीज़ को सरकार से बहुत मदद मिलती है । लेकिन मेरी जान में ऐसी भी कोआपरेटिव सोसायटीज़ हैं जोकि बिल्कुल बोगस हैं । होता यह है कि एक खान्दान के पांच, छः लोगों ने बोगस पार्टिशन कर लिया और कोआपरेटिव सोसायटी में मिल गये । हालांकि वह एक ही फैमिली की होल्डिंग होती है, उन का रहन सहन भी इकट्ठा होता है, लेकिन काग़जों में उन्हों ने मेम्बरों के नाम इस लिए अलग-अलग कर लिये कि उन्हें सरकार से पूरा फायदा हो जाय और इस प्रकार जो गरीब आदमी हैं उन को पूरी चीज नहीं पहुंच पाती ।

मैं थोड़ा ध्यान शिक्षा की तरफ भी दिलाना चाहता हूं । हमारे देश में शिक्षा की प्रणाली में कोई खास तब्दीली नहीं हुई । आज भी जो मुल्क को जरूरत है उस को शिक्षा पूरी नहीं करती । इस से नेशनल एनर्जी भी वेस्ट होती है और रुपया भी वेस्ट होता है । युनिवर्सिटी से जब छात्र डिग्री पा कर निकलते हैं तो वे अपने को इस काबिल नहीं पाते कि किसी काम धंधे में लग जायें, न उन की शिक्षा की क्वालिटी इतनी ऊंची है कि वे सरकारी नौकरियों में चले जायें या किसी चीज के विशेषज्ञ हो जायें । आज जो साधारण थर्ड या सेकेन्ड डिवीजन के विद्यार्थी हैं उन की हालत बहुत खराब है । नौकरी हासिल करने के लिए भटकते फिरते हैं । आज उन में फ्रस्ट्रेशन है । यह हालत भी देश के लिए चिन्ताजनक है । जब तक शिक्षा पद्धति में ऐसी तब्दीली नहीं होती कि उस का सम्बन्ध समाज की जरूरत से हो, जो हमारे लिखे पढ़े आदमी हों वह समाज की जरूरत को पूरा करें ऊंची टाइप की तालीम हासिल कर के, उस वक्त तक इस देश का कल्याण हो सकना मुश्किल है ।

मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस डिबेट पर बोलने का मौका दिया ।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय, मैं चार दिन से माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो बहस हो रही है, उस को सुन रहा हूं । यहां पर उन के भाषण की नुक्ताचीनी भी की गई है और सराहना भी । १४ नवम्बर को इस माननीय सदन ने अपनी सीटों पर खड़े हो कर यह प्रण किया था कि जब तक हम चीनियों को अपनी धरती से नहीं हटा लेंगे, तब तक चैन नहीं लेंगे । यही प्रण पूरे भारतवर्ष में २६ जनवरी को लिया गया था । हर एक पंचायत और हर एक गांव में यह प्रण उस वक्त लिया गया था । मुझे अफसोस है कि इस का ज़िक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है । इस का भी इस में ज़िक्र होना चाहिए था । यह चीज़ भी सारे मुल्क के सामने और दुनिया के सामने आनी चाहिये थी । इस का कारण यह है कि राष्ट्रपति जी हमारी नेशन के सिम्बल हैं और उन को इस प्रण का ज़िक्र करना चाहिये था ।

एक विषय मैं आप के सामने तथा प्रधान मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । इस की चर्चा शायद किसी माननीय सदस्य ने नहीं की है । एमरजेंसी के समय में तथा उस समय में जब किसी मुल्क पर हमला होता है, इतिहास साक्षी है, कि एक ही दल की हुकूमत चलाना बहुत ही नामुनासिब होता है और उस वक्त नैशनल गवर्नमेंट होनी चाहियें और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो निर्दलीय सरकार होनी चाहिये, नान-पार्टी गवर्नमेंट होनी चाहिये । मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि हर एक पार्टी या हर एक दल मुख्य मुख्य मंत्री की या प्राइम मिनिस्टर की नीति में शरीक न हो । उस

श्री शिवमूर्ति स्वामी

को होना चाहिए। हर एक को शरीक कर के अगर सरकार बनाई जाय तो बहुत अच्छा होता है। मेरा सुझाव यह है कि जब तक भी आप एमरजेंसी इस देश में कायम रखना चाहें, तब तक के लिए कम से कम निर्दलीय या इंडिपेंडेंट सरकार बन ही जानी चाहिए। उस का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो चार दिन से जो कुछ हम सुनते आ रहे हैं, वही कुछ आगे भी सुनते रहेंगे। एक पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि जो पावर्ज़ आप ने ली हैं उन का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है और दूसरे पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि उन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। यहां पर यह भी कहा गया है कि इस एमरजेंसी को खत्म किया जाय। मगर मैं समझता हूं कि जब तक चीनी हमला बना हुआ है तथा जब तक हमें डर है कि चीनी हमला हो सकता है, जब तक वे हमारी भूमि पर बैठे हुए हैं, तब तक आप इस एमरजेंसी को समाप्त न करें। जब तक उनको हम अपनी धरती से हटा नहीं लेते हैं तब तक एमरजेंसी जारी रहनी चाहिये। हां, यह अपील मैं जरूर करूंगा कि नान-पार्टी गवर्नमेंट मुल्क में बना दी जानी चाहिए। इस वक्त नेशनल इंटेग्रेशन की सब से ज्यादा जरूरत है। नैशनल इन्टैग्रेशन तभी हो सकती है जबकि आज के एमरजेंसी के जमाने में इंडीपेंडेंट और नान-पार्टी गवर्नमेंट अमल में आये। यही विचार जयप्रकाश नारायण जी ने और यही विचार सर्वोदयी नेता विनोबा भावे जी ने हमारे सामने रखा हैं। किस तरह से, किस लाइंज पर यह हो सकता है इस को आप देख सकते हैं। आप तो नैशनल इन्टैग्रेशन लाने के लिए कांस्टीट्यूशन में एमेंडमेंट भी करने जा रहे हैं। लेकिन इस परपज़ को नान-पार्टी गवनमेंट बना कर अचीव किया जा सकता है। मैं अधिक कुछ न कह कर गोरा जी जोकि एक सर्वोदयी लीडर हैं और जिन्हों ने इस विषय पर एक किताब लिखी है, उस की चन्द लाइनें ही आप के सामने पढ़ कर आप को सुनाना चाहता हूं। उन का कहना है :

> "आन्दोलन लोकतंत्र के प्राण हैं जबकि दल अन्ततोगत्वा लोकतंत्र का रूप धारण कर लेते हैं। दलों के अन्तर्गत गुटबन्दी का रूप धारण कर लेती है।"

पार्टीज़ जो हैं वे हमेशा पावर की तरफ दौड़ती हैं। पार्टी वे में काम करती हैं। जिस तरह से कम्युनल काम हम करते हैं, उसी तरीके से पार्टीज़ भी कम्युनल काम करती हैं जिस से खराबियां पैदा होती हैं। पार्टीज़ को दबाया जा सकता है लेकिन पूरे तरीके से उन को खत्म नहीं किया जा सकता है। रीयल डेमोक्रेसी अगर आप कायम करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि वास्तविक लोकतंत्र केवल निर्दलीय सरकार की स्थापना से ही कायम रह सकता है। जिस तरीके से कम्युनलिज्म खतरनाक है, इसी तरीके से पार्टी के तरीके पर सोचना और काम करना खतरनाक है। इसका बहुत कुछ अनुभव हमें इस मुल्क में हुआ है। जितना भला लोगों को होना चाहिये, उतना भला पार्टीज़ नहीं कर रही है। सभी बातों पर पार्टी के हित की दृष्टि से ही देखा जाता है। इसका परिणाम यह है कि जितनी खिदमत लोगों की होनी चाहिये, नहीं हो पाती है, जितनी भलाई लोगों की होनी चाहिये नहीं हो पाती है। अगर कांग्रेस दल एक बात करता है तो जो उसके विरोधी हैं, वे उसके खिलाफ बात करते हैं।

अब मैं आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि कम्युनिटी डिवेलेपमेंट का जो काम है, वह ठीक नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के मैम्बरों ने तथा अपोजिशन के मैम्बरों ने भी इस काम की नुक्ताचीनी की है। आर्थिक दृष्टि से प्रगति हो रही है, ऐसा वे नहीं मानते हैं। इस के बारे में अपनी तरफ से कुछ ज्यादा न कहते हुए, केवल इनक्वायरी कमिशन की जो एक रिपोर्ट है, उस में से कुछ पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं। उसका कहना है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तथा कम्युनिटी डिवेलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, वे मुल्क

म काम तो कर रहे हैं लेकिन जिन एम्ज एंड आब्जेक्टिस को ले कर उनकी स्थापना की गई थी, वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ए० डी० गोरवाला की जो रिपोर्ट है, इस बारे में, उसकी चन्द लाइनें मैं पढ़ कर आपको सुनाता हूं। उनका कहना है :—मैसूर में इस बात पर सभी एकमत हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा है, उन व्यक्तियों को छोड़ कर जो व्यवसायिक दृष्टि से उनका समर्थन करने को विवश हैं कोई भी उन के पक्ष में नहीं कहता है, वस्तुतः कहीं भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

मैं शासन से प्रार्थना करता हूं कि वह एक इनक्वायरी कमेटी बिठाये जो यह देखे कि मुल्क में जो पैसा खर्च हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है।

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, उसको बढ़ावा देने के लिये मुल्क में बहुत सी मल्टी-परपज रिवर स्कीमज अमल में आ रही हैं। इन में बहुत से दरियाओं के पानी के इस्तेमाल के बारे में स्टेटों में झगड़े हैं। इन झगड़ों को मिटाने के लिये एक बमेटी बिठाई गई थी। उसकी रिपोर्ट इस सदन के सामने है। मैं चाहता हूं कि इन झगड़ों का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाना चाहिये। आज देखने में आता है कि बहुत सी स्टेट्स के साथ अन्याय हो रहा है। कृष्णा और गोदावरी के पानी का तथा इसी तरह से दूसरे बहुत से प्राबलैम्ज आपके सामने मैसूर सरकार ने तथा दूसरे दक्षिण भारत के राज्यों ने रखे हैं। जल्दी से जल्दी इन झगड़ों को मिटाने की कोशिश होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो अन्याय हो रहा है, वह होता जायेगा। इन से विभिन्न क्षेत्रों को जो लाभ पहुंचना है, वह जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाना चाहिये।

टैक्सेशन तथा रिसोर्सिस बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। लेकिन हमें फिजूल खर्ची बन्द करनी होगी। कम्युनिटी प्राजैक्ट्स पर जो बहुत अधिक फिजूलखर्ची हो रही है, उसको रोकना होगा, ज्यादा से ज्यादा सेविंग्ज करनी होगी। हमें चाहिये कि हम ठीक तरीके से काम करें। करप्शन जो बढ़ रही है, उसको रोकें। अगर हम ने ये सब कुछ किया तो हम काफी बचत कर सकेंगे और उसी हिसाब से कम टैक्सेशन हम कर सकेंगे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बहुत सी बातें कहीं गयीं पूर्ववक्ता ने सामुदायिक परियोजनाओं के संबंध में कई बातें कहीं और कहा कि उस में रूपये का व्यर्थ अपव्यय किया जा रहा है।

इस में संदेह नहीं कि सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत कई स्थानों में संतोष-जनक रूप से कार्य नहीं हुआ है, तो भी ये परियोजनायें एक बड़े और अधिक महत्वपूर्ण रूप को धारण कर चुकी हैं वह है 'पंचायती राज' आज देश के सम्मुख दो ही आशाजनक वस्तुऐं हैं एक पंचायती राज और दूसरी 'सामुदायिक विकास'। उक्त दोनों योजनायें भारत की बुनियादी समस्या को स्पर्श करती हैं। वस्तुतः इन योजनाओं का उद्देश्य यह है कि देश के देहातों में रहने वाली करोड़ों जनता को जागृत किया जाय और उन में परिवर्तन लाया जाये। करोड़ों व्यक्तियों की विचारधारा बदलना अत्यंत कठिन कार्य है जब कि हम जानते हैं कि कुछ विरोधी सदस्यों की विचारधारा बदलना ही कितना कठिन होता है। पुरानी रूढ़ियों को बदलना अत्यंत कठिन होता है। तथापि यह हमारा बुनियादी कार्य है और वस्तुतः सारे कारखाने भी केवल एक सीमा तक ही इस कार्य में सहायता कर सकते हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सामुदायिक विकास और पंचायती राज तो बुनियादी कार्य करता है उन्हें लोगों में स्वावलंबन और मौलिक विचार धारा को उत्पन्न करना है। यदि हम इस समस्या को २० से ३० प्रतिशत भी हल कर चुके हैं तो भी यह समझना चाहिये कि हमें आश्चर्य जनक सफलता मिली है। अतः हमें जनता की दशा में सुधार करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये उनकी निन्दा करने का तात्पर्य यह है कि हम उस प्रयास की निन्दा करते हैं जो कोटि कोटि जनता के उज्जवल भविष्य का द्योतक है।

जिन बातों की सदस्यों ने मुख्य रूप से चर्चा की है वे चीन का आक्रमण हैं और देश का आर्थिक विकास हैं दोनों परस्पर घनिष्ट रूप से संबंधित हैं।

विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कोलम्बो प्रस्तावों की पुनः आलोचना की है। एक महीने पूर्व इस सभा में काफी चर्चा हुई थी तथा उस चर्चा के पश्चात् हमने कार्यवाही की। आज भी वे अपने को एक महीने पूर्व की स्थिति से ऊपर नहीं निकाल पाये हैं। एक महीने में बहुत कुछ हुआ है और इस चर्चा के पश्चात् हमने उन प्रस्तावों को औपचारिक रूप से स्वींकार कर लिया तथा कोलम्बो सम्मेलन में भाग लेने वाली शक्तियों को तदनुसार सूचित कर दिया गया। तथापि कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इससे हमारी प्रतिष्ठा को आघात हुआ है। मेरे विचार से ऐसे लोगों का दृष्टि-कोण अत्यंत संकीर्ण है। हमारी कठिनायी यह है कि एक बार विचार बना लेने पर, भले ही वह गलत क्यों न हो हमारे लिये उसे बदलना अत्यंत कठिन होता है। हम ऐसे समय में रहते हैं जब तेजी से विचार करना, तेजी से कार्य करना और विश्व में होने वाले परिवर्तनों को समझना बहुत आवश्यक है। मैं यह नहीं कहता कि हम गलतियां नहीं करते हैं किन्तु उत्तरदायी पद पर रहने के कारण हमें स्थितियों का सावधानी से अध्ययन करना होता है और तब हम यथाशक्ति काम करते हैं।

हम एक असाधारण युग में रह रहे हैं। विश्व तेजी से बदल रहा है तथा कोई भी इस परिवर्तन को बदल नहीं सकता है। कभी कभी ये परिवर्तन अत्यंत तेजी से होते हैं। यह प्रक्रिया आज से २०० वर्ष पूर्व आरम्भ हुई थी इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् हम भी इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने इन परिवर्तनों के साथ साथ चलना है। क्योंकि कुछ परिवर्तन बुनियादी होते हैं जैसे देश का औद्योगीकरण करना। आधुनिक, आर्थिक, सामाजिक, और सैन्यीकरण की समस्याओं का सामना केवल इसी तरह किया जा सकता है। वस्तुतः कोई भी राष्ट्र जब तक वह औद्योगीकरण नहीं करता है शक्तिशाली नहीं बन सकता है।

हमारे लिये पुरानी लीकों से बाहर निकलना आवश्यक है, हम भारतवासियों में सब से बड़ा अवगुण यह है कि हम सारी रूढ़ियों से चिपके रहते हैं।

परिणाम यह है कि हम कई बार इतिहास में पीछे रह गये हैं। इस बात के बावजूद कि हमारी परम्परायें बहुत ऊंची थीं, हम इस बदलती दुनियां में पीछे रह गये हैं। और अन्य लोग आगे बढ़ गये हैं। उन परम्पराओं के साथ जो अन्य चीजें मिल गई थीं, हम उन्हें ले कर बैठ गये और असली चीज को भूल गये।

आज हमें इस समस्या पर वर्तमान स्थिति के प्रकाश में विचार करना है । हमें आधुनिक दुनिया में रहना है और आधुनिक तरीकों से समस्याओं का हल करना है । कोई यह नहीं कह सकता कि हम सीमान्त पर चीनियों से तीर कमान ले कर लड़ें । किन्तु ऐसा सोचने वाले भी हैं । कुछ लोग स्थिति बदलना चाहते हैं परन्तु कैसे ? वे इतिहास के किसी पुराने समय में जाना चाहते हैं । यदि यह संभव हो । इतिहास में कोई वापस नहीं जा सकता, केवल पिछली घटनाओं से कुछ सीख सकता है ।

इस समय बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और पिछले दो महीनों में चीनी आक्रमण के कारण जो गम्भीर अनुभव हुए हैं, उस से हमें बहुत धक्का लगा है । कुछ सदस्य हमारी सरकार पर आत्म-संतुष्टि का आरोप लगाते हैं किन्तु मेरा विचार है कि ऐसा नहीं है । हम ने गलतियां भले ही की हैं किन्तु कोई व्यक्ति जिस ने उत्तरदायित्व संभालना हो और संकट के समय बड़े बड़े निर्णय करने होते हैं, वह आत्म-संतुष्ट कैसे हो सकता है । आत्म-संतुष्टि तब होगी जब स्थिति और घटनाओं को ध्यान में न रखते हुए वही चीज़ बार बार दुहराई जाये । सदस्यों को कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में बोलते हुए सुन कर, मुझे आश्चर्य होता है ।

†**श्री रंगा** : क्या यह समाप्त हो चुके हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये समाप्त नहीं हुए । हम ने उन्हें स्वीकार किया है । इसलिए कि सदन के बहुमत ने इन्हें अनुमोदित किया है, क्योंकि सदन ने ८ सितम्बर वाली स्थिति के पहले प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया था । यदि कुछ माननीय सदस्य पीछे रह जाते हैं, तो यह मेरा दोष नहीं है ।

†**श्री रंगा** ( चित्तूर ) : नवम्बर, १४ का संकल्प बदला नहीं जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सब दलों के सदस्य बोल चुके हैं और सरकार की आलोचना कर चुके हैं । अब उत्तर सुनना चाहिये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल असहमत हूं, वे सूर्य का प्रकाश भी नहीं देख सकते ।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा ।

इस बड़े अनुभव ने हमें जगा दिया है और अब हमें कम से कम जागरूक रहना चाहिये । मैं मानता हूं कि सरकार या संसद् या लोग कुछ हद तक सचाई को नहीं समझ सके । मैंने आक्रमण के तीन दिन बाद अपने रेडियो भाषण में भी ऐसा कहा था, किन्तु हमें समस्या को, खासकर इस के सैनिक पहलू को समझना चाहिये । केवल भाषणों से युद्ध में जीत नहीं प्राप्त हो सकती ।

देश के सामने दो बड़ी समस्याएं चीनी आक्रमण और देश का आर्थिक विकास है । आर्थिक विकास का इस से गहरा संबंध है, क्योंकि इसी से हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं । दूसरे देशों से सहायता कुछ हद तक हमें शक्ति दे सकती है किन्तु उस सहायता का प्रयोग करने के लिये भी आर्थिक विकास जरूरी है और हम सदा के लिए निरन्तर सहायता की आशा में नहीं बैठे रह सकते । हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और यह बल हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कृषि, उद्योग आदि में प्रयोग करके प्राप्त हो सकता है। इन दोनों बातों का एक दूसरे से गहरा सम्बन्ध है।

विकास का प्रश्न हमारे सामने स्वतंत्रता प्राप्ति से है। हर देश के सामने होता है। किन्तु एक अन्तर है। एशिया या अफ्रीका के कुछ देश विकास की बात करते हैं। और विकसित देशों से सहायता लेते हैं किन्तु उनका कोई नियमित सिद्धांत नहीं है। इसका अर्थ आयोजन से है, युक्तियुक्त दृष्टिकोण अपनाने से है। इस बात को सभी मानते हैं कि आयोजित दृष्टिकोण का होना नितांत आवश्यक है। आयोजना के स्वरूप में कुछ अन्तर हो सकता है किन्तु उसके मुख्य पहलू वही हैं।

आयोजन करते समय हम अमेरिका, इंगलैंड, रूस आदि सभी पूंजीवादी, समाजवादी या साम्यवादी देशों के विशेषज्ञों से सलाह लेते है। वे सब इस बात पर सहमत होते हैं कि आयोजित दृष्टिकोण अपनाया जाये। माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा कि हमारे पास विश्व के दर्जनों देशों से प्राविधिक सांख्यिक आये हैं, उन में से कुछ पोलैंड जैसे साम्यवादी देशों में और कुछ अमेरिकन विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक थे। किन्तु जब वे हमारे साथ बैठे हैं, तो उन्होंने वही बातें कही हैं और वही गलतियां बतलाई हैं अब हम उस पुरानी आदत को छोड़ रहे हैं कि विश्व में साम्यवादी और गैर-साम्यवादी ही रहते हैं। तथ्य यह है कि आज का विश्व वैज्ञानिक विश्व है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे साम्यवादी या पूंजीवादी रासायनिक या बन्दूक कहा जा सके। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपज है। आज जो भी वस्तुएं हम प्रयोग करते है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बनती हैं, चाहे हमारा दृष्टिकोण साम्यवादी हो या पूंजीवादी। चूंकि यह वैज्ञानिक विश्व है, इस लिये आप का दृष्टिकोण भी वज्ञानिक होना चाहिये। आज हर वह देश जो शक्तिशाली है एक समृद्ध और विकसित देश है। अर्थात् एक विकसित देश अमीर और शक्तिशाली दोनों होता है, शक्तिशाली सैनिक दृष्टि से। देश तभी तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक कि वह प्रौद्योगिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित न हो। कुछ देश औरों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह और बात है। विकास का होना आवश्यक है। यह थोपा नहीं जा सकता। यदि मुझे एक बन्दूक दी जाये तो मैं उससे कुछ नुकसान कर सकता हूं, किन्तु जब तक मैं उसे बना न सकूं, वह इतनी उपयोगी नहीं हो सकती। इसे हमें विकसित करना है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का सैनिक दृष्टि से यही पहलू है।

विकसित होने वाले देश की सैनिक शक्ति के पीछे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हाथ होता है। इस लिये आजाद होने के २ या ३ मास बाद हमने विज्ञान के विकास पर जोर दिया और देश भर में राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की' जिस से भारत वैज्ञानिक और उन्नतिशील देशों की पंक्ति म खड़ा हो गया है। प्रौद्योगिकी इसी तरह आती है। कहीं कहीं पर एक दो कारखाने स्थापित कर देना औद्योगिकरण नहीं है। हमें लाखों लोगों में औद्योगिकरण की मनोवृत्ति पैदा करनी है, जिस के कारण किसान अधिक अच्छे हल आदि प्रयोग कर सकें। हमें बड़ी संख्या में लोगों को प्रशिक्षित करना है। इस लिये चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए इस प्रक्रिया को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना आवश्यक है। चीनी खतरा आज या कल की बात नहीं है। यह एक दीर्घकालीन विषय है और इतिहास की दृष्टि से चीन और भारत का झगड़ा एशिया और विश्व के लिये बहुत बड़ी चीज है। इसे उचित दृष्टिकोण से देखना चाहिये। इस का अर्थ यह नहीं कि हम पांच या दस वर्ष बाद की बात सोचें और आज का कर्तव्य भूल जायें। इस का सहसा जादू से कोई हल नहीं ढूंढा जा सकता है या जादू की सहायता से। हम सहायता

अवश्य लेंगे और ले रहे हैं किन्तु तथ्य यह है कि वास्तविक शक्ति आन्तरिक विकास से ही आ सकती है ।

इस लिये युद्ध स्थिति देश के विकास से सम्बद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा है कि दो बड़ी समस्याएं है और युद्ध हो या न हो, विकास आवश्यक है । कुछ लोगों का विचार है कि चूंकि एक युद्ध की स्थिति है, इसलिए विकास को पीछे छोड़ देना चाहिये । यह बिलकुल गलत है, क्योंकि स्थिति का मुकाबला अपने आप को शक्तिशाली बना कर ही किया जा सकता है ।

†श्री रंगा : किसी ने ऐसा नहीं कहा । हमें आप की समाजवादी योजना पर आपत्ति है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हम पर एक गम्भीर संकट आ पड़ा है । यह स्पष्ट है । प्रश्न यह है कि हमारी बुनियादी नीतियों ने हमें इस का मुकाबला करने के लिये सबल बनाया है या कमजोर बनाया है । मैं सरकार की गलतियों की ओर संकेत नहीं कर रहा । यदि बुनियादी नीतियां गलत है और उन्होंने हमें कमजोर किया है, तो हमें उन्हें बदलना होगा। वे बुनियादी नीतियां क्या है ? घरेलू क्षेत्र में हम ने योजनाबद्ध विकास को अपनाया है । इस का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना है ।

यदि आप सामाजिक न्याय का अर्थ करें इस का अर्थ है सबके लिये न्याय, बराबर अवसर, जिससे कि लोगों की दबी हुई शक्तियां उभर सकें और वे दूसरों के साथ अपना स्थान ग्रहण कर सकें। सामाजिक न्याय में सामन्तवाद के लिए कोई स्थान नहीं। इस में असाधारण असमानताएं जो कि आज हमें दिखाई देती हैं, उन के लिए भी स्थान नहीं है । परन्तु इस समय मैं अपनी नीति के बारे में बात कर रहा हूं । हमारी सामाजिक न्याय की नीति हमें समाजवाद की ओर ले जाने वाली है । समाजवाद से मेरा अर्थ ऐसी पद्धति से नहीं है जिस में अन्ध विश्वास या कोई निश्चित नियम ही हों। हमारा उद्देश्य ऐसे समाजवाद से है जिस में लोगों को बराबर अवसर मिले और सब समृद्ध हो सकें । यह बहुत बुरी बात है कि हम से कुछ लोग बहुत समृद्ध हों और कुछ भूखे रहें अथवा दुखी जीवन व्यतीत करें । कोई समाजिक प्रणाली जिस में ऐसा होता है निश्चय ही बुरी है ।

घरेलू क्षेत्र में हमारी नीति लोगों की अवस्था को सुधारना है । कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि लोगों को राजनीतिक जनतंत्र के अधिकार मिलने पर वे जागने लगते हैं और वे मांगें करते हैं । इस से सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं । वे ऐसी मांगें करते हैं जो उस समय तक पूरी नहीं की जा सकती जब तक हम सामाजिक ढांचे को बदल न दें ।

प्रजातंत्र केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही सीमित नहीं। यह, जब तक आर्थिक प्रजातंत्र न बन जाये, तब तक प्रजातंत्र राज्य पूर्ण रूप से नहीं माना जाता । और यह वर्तमान दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्पाद का हमें इस तरह से वितरण करना है जिस से अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। इसलिये जिस नीति को हम इस उद्देश्य के लिये अपना रहे हैं वह हमारे घरेलू क्षेत्र में ठीक हैं। विदेशी क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र से गौण है। यह प्रमुख इसी समय होता जब हम पर बाहर से आक्रमण किया जाता है या ऐसी कोई दूसरी बात होती है । अगर हम समृद्ध है, तो दुनिया में हर जगह हमारी बात सुनी जायेगी किन्तु यदि हम असफल हैं, तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा । इस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लिये घरेलू क्षेत्र का ही महत्व है। किन्तु दोनों आपस में सम्बन्धित हैं। ऐसी घरेलू नीति अपनाना जो विदेशी नीति के उद्देश्यों से मेल नहीं खाती हो, असंगत है।

हमारी विदेशी नीति दुनिया में शान्ति स्थापना की है। वह ठीक था और अब भी ठीक है। चीनी सरकार के युद्ध में विश्वास करने से वह गलत नहीं हो जाता क्योंकि चीन सरकार की बहुत सी बातें गलत है। वह अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय की किसी बात को नहीं मानते और अपनी सभ्यता से गिर गए हैं। हम शान्ति और सहयोग में विश्वास करते हैं जो हम से सहयोग नहीं कर सकता उसे से हम सहयोग नहीं कर सकते। किन्तु हम दूसरे देशों से सहयोग करने के लिये तैयारहैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम दुनिया में अकेले हैं। में नहीं जानता उस का क्या अर्थ है। मेरा विचार है कि भारत का सब से अधिक सम्मान किया जाता है। हमारी आलोचना भी की जाती है। हमारा सम्मान मुख्यतया हमारी पुरानी संस्कृति के अतिरिक्त इस लिए किया जाता है कि यहां गांधी जी हुए थे दूसरा इस कारण कि हम कुछ सीमा तक गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं।

हम प्रजातंत्र को मानते हैं और कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो दुनिया के अन्य प्रजातंत्रीय राज्यों ने नहीं किये। यह दुनिया के इतिहास में एक नई बात है कि हम ऐसी प्रणालियों को कायम रखते हुए नियोजित व्यवस्था द्वारा अपनी प्रगति कर रहे हैं।

प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेशी नीति को अपने स्वार्थों के आधार पर निर्धारित करता, ऊंचे सिद्धान्तों पर नहीं। भारत के पड़ौसी देशों में कुछ परिवर्तन हुए हैं और वे बिना किसी सिद्धान्त के हुए हैं किन्तु कोई अपनी नीतियों का मूल्यांकन दूसरे के किसी सिद्धांत को मानने में असफलता से नहीं कर सकता।

हमने अपनी पृष्ठभूमि और वर्तमान व्यवहारिक बातों को ध्यान में रखते हुये दूसरे देशों के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई उसके परिणामस्वरूप यह अनिवार्य हो गया था कि हम तटस्थता की नीति को, जिसे अधिकांशतः इस सभा ने और मेरा विश्वास है विरोधी दल के कई सदस्यों ने भी, स्वीकार कर लिया था, अपनाते। मैं पुनः तटस्थता की नीति की व्याख्या करूंगा। दूसरे शब्दों में इसे कार्य करने की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। तटस्थता का अर्थ स्वाधीनता का प्रमाप, क्रिया की स्वतंत्रता और अन्य राष्ट्रों के साथ पूर्ण मैत्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मेरे विचार में यह अनिवार्य और उचित है। यह एक विचित्र बात है कि कई वर्ष पूर्व जब हमने इस तटस्थता की नीति के विषय में बोलना आरम्भ किया था तब कुछेक राष्ट्र ही और थे जो इसका उल्लेख करते थे। इन १० अथवा १२ वर्षों में शनैः शनैः कई राष्ट्रों ने इसे अपना लिया है। इनमें प्रमुखतया नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र हैं। जिन्होंने स्वाभाविक रूप से यह समझ लिया कि एक नवोदित राष्ट्र के लिये ऐसा दृष्टिकोण अपनाना उचित है। किन्तु अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो राष्ट्र आरम्भ में हमारी इस नीति को संदेह की दृष्टि से देखते थे उन्होंने भी शनैः शनैः इसकी सराहना आरम्भ कर दी और आज ऐसी स्थिति है कि हर राष्ट्र जिसका कोई स्थान है इस नीति की सराहना करता है। मैं यह नहीं कहता कि यह राष्ट्र अपने लिये इस नीति को उचित समझते हैं। हो सकता है कि यह शक्ति गुटों के सदस्य हों। किन्तु हमारी परिस्थितियों को देखते हुये यह इसकी सराहना करते हैं। विचित्र बात तो यह है कि कुछ माननीय सदस्य, दूसरे अन्य विषयों के स्थान, इस विषय में भी हम से पूर्णतया असहमत हैं। वह समस्त संसार से असहमत हैं और वह तर्क शक्ति के अभाव में अथवा किसी विशेष तर्क-प्रक्रिया द्वारा जिस ढर्रे पर चल चुके हैं उसी पर चलते रहेंगे।

यह दो प्रमुख आन्तरिक नीतियां हैं जिन पर हम चल रहे हैं और मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि वह ठीक थीं और अब भी हैं और परिवर्तनशील संसार में भी ठीक ही रहेंगी। तटस्थता को ही लीजिये। केवल यह बात कि इससे हमें कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है हमारे लिये ऐसा बंधन उत्पन्न नहीं कर देती कि हम परिवर्तनशील विश्व के अनुसार अपने को न ढाल सकें। हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो एक स्थान पर दृढ़ रहने के स्थान पर इधर उधर भटकता रहता है। जिसका न कोई सिद्धांत है और न जो किसी उपयोगी बात में विश्वास ही करता है। यह एक असाधारण बात है।

इसलिये मैं यह कहने का साहस करता हूं कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमने जो नीतियां अपनाई हैं वह उचित हैं। घटनाओं ने उनका औचित्य सिद्ध किया है। सिद्धांतः यह उचित हैं किन्तु व्यवहार में इनके औचित्य को सिद्ध किया गया है। इसलिये हमें आन्तरिक और विदेशी दोनों क्षेत्रों में इनको अपनाये रहना चाहिये।

इन नीतियों के सम्बन्ध में हमने जो प्रगति की उसके विषय में मतों में विभिन्नता हो सकती है। किन्तु मेरा विश्वास है कि हमने यथेष्ट प्रगति की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ लोग यह चाहते होंगे कि आन्तरिक क्षेत्र में प्रगति अधिक तेजी से की जानी चाहिये थी। किन्तु हमें कार्य करना होगा। यह प्रश्न केवल सरकार के कार्य करने का, या इस संसद् के कार्य करने का, अच्छे भाषण देने का और संकल्पों को पारित करने का ही नहीं है, यह तो इस पर निर्भर करता है कि आम जनता परिस्थितियों को समझे और उस दिशा में कार्य करे। यह सच है कि इस संसद् और सरकार को नेतृत्व करना है और कार्यों में सहायता देनी है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि हम राष्ट्र की सारी जनता को कार्यरत करें, फिर चाहे वह कार्य शांति के लिये हो अथवा युद्ध के लिया, या फिर दोनों के लिये। मैं समझता हूं कि यह कहना कि हमें बहुत से कार्यों में सफलता नहीं मिली और जितनी प्रगति हमें करनी चाहिये थी उतनी नहीं कर सके, आसान है। किन्तु फिर भी गत १२ वर्षों में हमने जो प्रगति की है वह असाधारण है। यदि हम इतनी प्रगति नहीं कर पाते तो भी यह बात असाधारण होती क्योंकि मात्र यह तथ्य ही विलक्षण है कि इन आंधी और तूफानों के बावजूद भी, जिनमें से हम निकले हैं, हम अपने प्रजातन्त्रीय अस्तित्व को बनाये रख सके हैं और प्राजातंत्रीय ढंग से कार्य करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम एशिया या अफ्रीका के किसी राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन करें तो यह अन्तर स्पष्ट हो जायेगा। हमने देखा है कि प्रजातंत्रीय ढांचे का विप्लवकारी शक्तिप्रयोग से तख्ता पलट दिया गया है और वहां स्वैरतंत्र की अथवा प्राधिकारवाद की स्थापना कर दी है, जिसे कि हम अवांछनीय समझते हैं। यही हो रहा है और सर्वत्र हुआ है। इसलिये यह तुलना स्वयं ही इस बात को स्पष्ट कर देती है कि हमने कितनी सफलता प्राप्त की है।

यदि हम इन मूल सिद्धांतों और नीतियों से सहमत हो जायें तो आज हमारे सामने इन सिद्धांतों की जांच करने का कार्य नहीं रह जायेगा क्योंकि इनका औचित्य सिद्ध किया जा चुका है। अपितु हमें इस बात की जांच करनी होगी कि इनको कार्यान्वित किस प्रकार किया जाये। इनको कार्यान्वित करने में ही हम असफल हुये हैं और इनकी कार्यान्वित के लिये लाखों व्यक्तियों की यथेष्ट कार्य-क्षमता की और उन व्यक्तियों के नेतृत्व करने की क्षमता की आवश्यकता है। यह एक दूरूह कार्य है। यदि हमें औद्योगिक उन्नति करनी है तो एक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दृढ़ औद्योगिक आधार स्थापित करना होगा। अर्थात यही नहीं कि यहां-वहां एक-दो कारखाने खोल दिये जायें; आवश्यकता इस बात की है कि एक दृढ़ सुव्यवस्थित औद्योगिक आधार की स्थापना की जाये जिस पर और सब बातें निर्भर करती हैं। हमने कुछ सीमा तक यह कार्य कर लिया है किन्तु अभी हमें इसे पूरा करना है। आगामी छः, सात अथवा आठ वर्षों में हम इतनी प्रगति कर लेंगे कि एक बड़ी सीमा तक अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसके पीछे यह सिद्धांत कार्य कर रहा है और अनिवार्य है कि सैनिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भी वह हमें पूर्णरूप से तो नहीं किन्तु कुछ-कुछ आत्मनिर्भर बना देगा। मैंने इसका उल्लेख इस बात को कहने के लिये किया है कि युद्ध के लिये तैयार रहने का और कोई मार्ग नहीं है। दूसरा मार्ग यह है कि दूसरे देशों से काफ़ी मात्रा में हथियार खरीदे जायें या बिना भुगतान के अथवा भुगतान की आसान शर्तों पर लिये जायें। संकट के समय ऐसा करना पड़ता है और हम भी ऐसा कर रहे हैं। किन्तु इसे हमारी शक्ति नहीं कहा जा सकता। इन हथियारों के निर्माण के लिये बाहर से गोलाबारूद खरीदते रहना ही देश पर एक बहुत बड़ा भार रहेगा जब तक हम उसे बनाना यहीं आरम्भ न कर दें। इसीलिये यह आवश्यक है कि हम अपनी औद्योगिक व्यवस्था का निर्माण करें जो कि समय पड़ने पर युद्ध के लिये भी कार्य कर सके। इस बीच में हमें अपनी आवश्यकताओं के लिये विदेशों पर निर्भर करना पड़ेगा। हम ऐसा ही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

चीनी आक्रमण के प्रति भारत की जनता की प्रतिक्रिया के विषय में मैं एक बात कहूंगा। हम सब ने इसे एक आश्चर्यजनक और स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया बताया है। किन्तु इसका कारण क्या है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप कह सकते हैं कि इसका कारण उनका देश-प्रेम था। यह सच है, किन्तु इसका अर्थ यह हुआ कि उनके हृदय में देश का वह रूप है। उत्तर-पूर्व भारत में आक्रमण होने पर सुदूर कन्या कुमारी के निकटस्थ लोगों की प्रतिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि उनके मस्तिष्क में भारत का वह रूप है। आपको मानना पड़ेगा कि यह एक अच्छी बात है इसके अतिरिक्त इसका एक कारण यह था कि चुनौती आज के भारत को दी गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह आज के भारत की और इसकी सरकार की कितनी भी आलोचना क्यों न करें किन्तु भारत में गत १० अथवा १२ वर्षों में जो कुछ प्रगति हुई है उसकी वह सराहना करते हैं और उससे विलग होना नहीं चाहते। वरना कुछ ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो किसी सिद्धांत के कारण जोश में आते हैं। साधारण लोग इन बातों का सैद्धान्तिक नहीं अपितु व्यवहार्य रूप देखते हैं और इसीलिये इनकी प्रतिक्रया इतनी शानदार हुई। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से भारत ने जो सफलतायें प्राप्त की हैं उनकी वे सराहना करते हैं और उन्हें खोना नहीं चाहते।

हमें सैनिक समस्या का सामना करना है। किन्तु यदि हम इसे केवल सैनिक समस्या ही समझें तो यह हमारी भारी भूल होगी। इसके साथ ही यह एक राजनैतिक समस्या भी है। इसलिये सैनिक और राजनैतिक दोनों दृष्टिकोणों से हमें जनता को तैयार करना है; जिससे वह सैनिक रूपसे सुसज्जित हों और राजनैतिक विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझ सकें। हम जिस दुनियां में रहते हैं उसके और अपने देश के विषय में राजनैतिक जानकारी का अभाव सेना संबंधी प्रयत्नों को कमजोर कर देगा हमारी जनता को यह समझ लेना चाहिये कि हम लोग और वह स्वयं उनके भावी जीवन को अधिक अच्छा बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक भारतीय को अवसर मिलेगा और हमारी यह दयनीय गरीबी दूर हो जायेगी। अन्य बातों के साथ-साथ लोगों में ऐसी भावना उत्पन्न करने के लिये समाजवाद के आदर्श की भी आवश्यकता है। हमने प्रगति की है, किन्तु अब

भी देश में कुछ प्रतिक्रियावादी तत्व हैं जो समस्या को उलझा देते हैं और प्रगति के मार्ग में अधिक कठिनाइयां उत्पन्न कर देते हैं ।

माननीय सदस्यों ने पूछा था कि अब हम इन सब बातों के विषय में क्या कर रहे हैं ? मैं इस विषय में विस्तार से कुछ नहीं बता सकता कि हम सैनिक क्षेत्र में क्या कर हे हैं, हम स्वयं किस वस्तु का विर्माण कर रहे हैं, कौन से कारखाने स्थापित कर रहे हैं और दूसरे देशों से कौनसी वस्तुयें प्राप्त कर रहे हैं ; क्योंकि एक तो यह बताना मेरे लिये उचित नहीं होगा और दूसरे मैं यह नहीं जानता कि अन्ततः हमें क्या मिलेगा । हमें बहुत सी वस्तुयें मिल रही हैं । हमें बहुत सी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता है और हम उन्हें प्राप्त करने का यथासंभव यत्न कर रहे हैं । प्रमुख वस्तुयें जो हम चाहते हैं मशीन हैं जिससे कि हम स्वयं वस्तुओं का निर्माण कर सकें । इसके अतिरिक्त हवाई जहाज, विशेष हवाई जहाजों के प्रशिक्षण आदि की भी हमें आवश्यकता है ।

मुझे हवाई संरक्षण के प्रश्न पर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं इसके विषय में पहले ही विवरण दे चुका हूं । मैं समझता हूं इससे स्थिति सर्वथा स्पष्ट हो चुकी होगी । हवाई संरक्षण का प्रश्न जैसा कि पहले भी समझा गया था उचित नहीं है । यदि इसका विश्लेषण किया जाये तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि हम किसी महत्वपूर्ण काम को स्वयं नहीं कर सकेंगे और दूसरे से वह काम अपने लिये करवायेंगे । यह बात वास्तव में बुरी है । मनोवैज्ञानिक कारणों से भी यह उचित नहीं, क्योंकि कालावधि के समाप्त होने पर चाहे वह कुछ भी करें, हम उतने ही शक्तिहीन रहेंगे जितने थे । दूसरी ओर हमारी जनता पर यह प्रभाव पड़ेना, कि दूसरे लोग हमारे लिये कार्य कर रहे हैं उचित नहीं है । यह उनकी शक्ति को कम कर देगा और उनमें ऐसी भावना उत्पन्न कर देगा कि दूसरे लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं, वह चौकीदार की तरह शस्त्रों से सज्जित हो कर उनके रक्षा–कवच बने हुये हैं, चोर और बदमाश हमारा कुछ नहीं कर सकते और हम प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं । किसी भी देश की जनता में ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न करना उचित नहीं है । मनोवैज्ञानिक रूप से इसका प्रभाव बुरा पड़ता है । किन्तु, जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूं हम अपने मित्र देशों से सहायता प्राप्त करने का और अपनी हवाई और थल सेना संबन्धी आवश्यकताओं के लिये सामग्री प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या मैं कह सकता हूं कि "अम्बेला" शब्द स्वयं ही अपने पूर्व राजनैतिक उल्लेखों के कारण एक बुरा शब्द है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस विषय में माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं ।

माननीय विरोधी दल के सदस्य ने अपना भाषण देते समय मुझ से एक विशेष प्रश्न पूछा था जिसका उन्होंने स्पष्ट उत्तर चाहा था । मैं नहीं जानता कि मैं इस समय उनके सब प्रश्नों का कहां तक उत्तर दे सकता हूं । उन्होंने मुझ से पूछा था––"क्या हम चीन के साथ युद्ध स्थिति में हैं ?" स्पष्ट है कि हम सही अर्थों में चीन के साथ युद्ध स्थिति में नहीं हैं; किन्तु युद्ध के इन सही अर्थों की पृष्ठभूमि में और भी कई बातें हैं । यह एक भिन्न बात है । मैं कह सकता हूं कि चीन के साथ हमारा संघर्ष आरम्भ हो गया है; यह दीर्घकाल तक चल सकता है । यह कदाचित कभी-कभी वास्तविक युद्ध का रूप ले सकता है । किन्तु संघर्ष जारी रहेगा और हम हर समय इसके किनारे पर खड़े रहेंगे । इसलिये हमें हमेशा इसके लिये तैयार रहना है । मैं नहीं जानता कि यह उत्तर समुचित है अथवा नहीं । भविष्य में क्या परिवर्तन होंगे, इस बारे में हम निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कह सकते ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : हम युद्ध के लिये तैयारियां कर रहे हैं अथवा संघर्ष के लिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : तैयारियां तो वैसी ही होंगी, चाहे युद्ध हो अथवा संघर्ष । मैं यह भी कहता हूं कि यदि समझौता-वार्ता भी हो तो भी तैयारियां इसी प्रकार की करनी होंगी ; क्योंकि जब तक शक्ति न हो तब तक कोई भी समझौता वार्ता नहीं की जा सकती ; और न ही इसका कोई मूल्य है ।

इस समय, जहां तक इन सीमा-क्षेत्रों की वर्तमान परिस्थितियों का संम्बन्ध है, हम अपने को इच्छानुसार कार्य करने के लिये पूर्णतया स्वतंत्र समझते हैं और जहां हम चाहें अपनी सेना भेज सकते हैं । किन्तु कुछ सीमा तक हम कोलम्बो प्रस्तावों से बंधे हुये हैं । क्योंकि एक बार उन्हें स्वीकार करने के बाद हम उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहते । ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि.....

†श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : किन्तु चीन के युद्ध विराम करने के बाद कोलम्बो प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने तक कुछ समय लगा था । इस बीच आपने क्या किया ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह कह सकता हूं कि हम कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में, जिस रूप में हमने उन्हें स्वीकार किया है, विचार करने और उनको कार्यान्वित करने के विषय में अपने आपको स्वतंत्र समझते हैं । चीन इन प्रस्तावों को भिन्न दृष्टि से देखता है । कुछ भी हो इस समय ऐसे प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । जैसाकि हमने कहा है हमारी सेना ऐसा करने के लिये स्वतंत्र है । उसी ने यह निश्चय करना है कि कब, कहां और किस प्रकार जाया जाये ।

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : मूलत: यह राजनैतिक निर्णय है । हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि यह निर्णय सेना के लिये है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : राजनैतिक निर्णय हमने ले लिया है । मैं इस समय की बात कह रहा हूं । कल परिस्थिति दूसरी हो सकती है । अर्थात् कोलम्बों प्रस्तावों के अनुसार हम अपने दस्ते या सेना को कहीं भी भेज सकते हैं । वह एक राजनैतिक निर्णय है । किन्तु यह निश्चय सेना के करने के लिये है कि उन शर्तों के अनुसार दस्तों को तुरन्त वहां भेजे अथवा कुछ दिनों बाद ।

†श्री नाथ पाई : वह इनकी कार्यान्विति है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसे कार्यान्वित करने का कार्य सेना का है ।

†श्री रंगा : प्रधान मंत्री जब लंका गये थे तब उन्होंने यह कहा था कि "मैंने अपने दस्तों से आगे बढ़ने के लिये कह दिया है ।" क्या यह सेना का निर्णय था अथवा राजनैतिक था या प्रधान मंत्री का था ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य इस छोटे से तथ्य की सराहना करेंगे कि मध्य सितम्बर के बाद से कुछ तो हुआ ही है ।

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : बात अधिक हुआ ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जो कुछ मैंने उस समय कहा था वह केवल मेरा ही निर्णय न होकर सैनिकों का दृष्टिकोण भी था । वह ही ऐसा करना चाहते थे, अन्यथा मैं यह कहने का साहस ही न करता । यह स्पष्ट बात है ।

†श्री हरि विष्णु कामत : उस काल के प्रतिरक्षा मंत्री भी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : अब, उदाहरणतया, थागला रिज क्षेत्र तथा लोंगजू यह दो स्थान हैं जिनको कि हमें, हमारे द्वारा स्वीकृत कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार, अन्य प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं करना था, और जिन पर हमें अपने भेदियों द्वारा, कार्यान्विति के समय, चीन सरकार के साथ चर्चा करनी थी। इसी कारणवश, वर्तमान में हम अपनी सेनाओं को थागला रिज क्षेत्र तथा लोंगजू में नहीं भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समस्त नेफा में हम कहीं भी जा सकते हैं, अपनी सेना को कहीं भी भेज सकते हैं। इस मामले में हमें केवल सेना अधिकारियों के निर्णयानुसार कार्य करना है, और वह जब चाहें, जितनी संख्या में तथा जिस प्रकार चाहें, सेना वहां भेजनी है। इसी प्रकार लद्दाख में भी, कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार, हम अपनी सेना को, करार की सीमा के अन्तर्गत, कहीं भी भेज सकने में स्वतंत्र हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : कौनसा करार ? करार तो कोई नहीं हुआ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारे द्वारा स्वीकृत कोलम्बो प्रस्तावों की सीमाओं के अन्तर्गत, मैं केवल वर्तमान की बात कर रहा हूं—कल को बेशक कोई भिन्न स्थिति उत्पन्न हो जाये—जो स्थिति अब है मैं उस की चर्चा कर रहा हूं।

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। प्रधान मंत्री स्वयं यह कह रहें हैं कि कोलम्बो प्रस्ताव चीन द्वारा स्वीकार नहीं किये गये हैं। जब उन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया तो हम भी उनसे बन्धे हुये नहीं हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया है। वास्तव में, यह बात हमारे रास्ते में बाधा डालने वाली नहीं है, क्योंकि हमने उसे अभी क्रियान्वित ही नहीं किया। और ऐसा करने में हमारे सामने व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।

†श्री हेम बरुआ : इसको क्रियान्वित करना चीन की स्वीकृति पर निर्भर करता है।

†श्री ना० गो० रंगा : तब आप "करार" शब्द को निकाल दीजिये।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है, इस प्रकार का कोई "करार" नहीं हुआ। मैंने कोलम्बो प्रस्तावों के संबंध में यह कहा है कि हमारी सेना अभी उस सीमा तक नहीं पहुंची है। मेरा केवल यही कहना था। यह एक ऐसा मामला है जिसमें निरन्तर परिवर्तन आते रहते हैं। किसी विशेष समय की स्थिति पर, सब कुछ निर्भर करेगा। मेरे लिये वह कहना स्वाभाविक है कि इस समय केवल आगे बढ़ने अथवा अपना झंडा फहराने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इतनी शक्ति से आगे बढ़ने का है जिससे कि सेना किसी प्रकार की भी अड़चन का सामना कर सकने के योग्य हो। इस बात का ध्यान सेना को अवश्य रखना है। हम सेना को नहीं कह सकते कि आप इस तरह आगे बढ़िये। वह जा सकते हैं या नहीं इसका निर्णय उन्हें ही करना है। वह एक सीमा तक आगे बढ़ सकते हैं।

मैं एक बात को दोहराना चाहूंगा। जब कभी युद्ध की चर्चा होती है तो कई युद्ध कला प्रेमी हमें निरन्तर परामर्श देने लगते हैं कि युद्ध इस प्रकार लड़ा जाना चाहिये, और कि युद्ध-संबंधी तैयारियां इस प्रकार करनी चाहियें। हम सब इस संबंध में अपने अपने मत रखते है, परन्तु जहां तक वास्तविक यद्ध संबंधी गतिविधियों का संबंध है,, हमें उन विशेज्ञों पर निर्भर करना पड़ता है जिनको कि परामर्श देना होता है, और उसके अनुसार स्वयं कार्य भी करना होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सामान्यता, मैं इस सभा को स्मरण कराऊंगा कि यद्यपि हम हर तरह से अपने को तैयार करने के लिये पग उठा रहे है, परन्तु बातचीत द्वारा किसी संभव समझौते की बात को हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते यह बेशक असम्भाव्य हो, और शायद ऐसा है भी, परन्तु, इस नीति का त्याग कर देना अनुचित होगा। ैसी नीति हमारी कभी नहीं रही है। मैं पहले इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुपुर्द करने अथवा कुछ देशों के पंचनिर्णय के लिये देने का नि ेश कर चुका हूं। हो सकता है कि चीन इस बात को स्वीकार न करे, यह एक अलग बात है, परन्तु हमारी दृष्टि से और इस दृष्टि से कि ंसार इस बात की सराहना कर रहा है, हमारे लिये यह उचित मार्ग है।

†डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मुझे आशा है कि सभा से परामर्श लेकर ही आप इस बात की सहमति देंगे।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : स्पष्टतः, मैं सभा से परामर्श लिये बिना देश की ओर से ऐसा वचन नहीं दे सकता, परन्तु लगभग एक या दो मास पूर्व मैं चीन के प्रधान मं ी को लिखे एक पत्र में इस बात की चर्चा कर चुका हूं, और यह सुझाव दे चुका हूं। यदि वह इस सुझाव को स्वीकार कर लेते है, गो उन के इस पर सहमति प्रकट करने की सम्भावना नहीं है, परन्तु यदि वह इसे स्वीकार कर लेते है तो मेरे लिये इससे पीछे हटना कठिन और अनुचित होगा।

अब मैं कुछ अन्य मामलों की चर्चा करूंगा। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि आपात-काल का अन्त कर दिया जाये। इस के साथ साथ, उन्होंने जनता में आपात की भावना को कायम न रख सकने पर सरकार तथा प्रशासन की आलोचना भी की है। तो क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि, अन्य कारणों को छोड़ कर, यदि हम आपात-काल का अन्त कर देते हैं ो आपात का विचार सब के मस्तिष्क से निकल जायेगा।

†श्री ना० गो० ंगा : जी नहीं, उन में देशभक्ति की भावना अधिक है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है कि इतनी स्पष्ट बात को भी प्रो० रंगा नहीं समझ पाये। मगर यह निश्चित है कि यदि आपात-काल का अन्त कर दिया जाये तो समस्त देश में यह भावना उत्पन्न हो जायेगी कि खतरा टल चुका है और संकट के लिये तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रही। यह एक कारण है। ैं चाहता हूं कि सभा यह न विचार करे कि खतरा टल चुका है। मुझे नहीं मालूम कि भावी २, ३ या ४ मासों में, मार्च या अप्रेल में, क्या होने वाला है। मैं केवल यह समझता हूं कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमें तैयारी करते रहना चाहिये। अपने आप को अधिक सशक्त बनाने का कार्यक्रम कुछ सप्ताहों अथवा मासों तक नहीं बल्कि सम्भव है, एक अथवा दो वर्षों तक चलता रहे। चूंकि हम हर स्थिति के लिये तैयार रहना चाहते है। हमारे लिये यह कल्पना करना कि कोई नया संकट उत्पन्न होने वाला नहीं है सर्वथा अनुचित है।

†श्री ना० गो० रंगा : क्या आप आपात जारी रख कर नागरिक स्वतं ता छीनना चाहते हैं, और कांग्रेस दल को इतनी स्वतंत्रता देना चाहते है कि वह समस्त देश में जो चाहे करता रहे, और जो उन से मतभेद रखते हों उन के साथ देश द्रोहियों का सा बर्ताव करे ?....

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। यह भाषण नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक भारतीय रक्षा नियमों का संबंध है कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और उन पर विरोध प्रकट किया गया है। यह लगभग सभी गिरफ्तारियां राज्य सरकारों के कहने पर की गई हैं, यद्यपि भारत सरकार का समर्थन भी प्राप्त किया गया था। वह समर्थन सामान्य था न कि किसी विशे व्यक्ति का किन्हीं विशेष व्यक्तियों के बारे में। परन्तु उन का इस प्रकार कार्य करना

†**श्री वासुदेवन नायर**: क्या हम यह समझें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई आदेश नहीं दिया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं ने केवल यह कहा था कि भारत सरकार का समर्थन किन्हीं विशेष व्यक्तियों के बारे में न हो कर सामान्य प्रकार का था। हमारा यह सामान्य आदेश है कि जब कभी वह ुद्ध-प्रयासों की दृष्टि से किन्हीं व्यक्तियों को खतरनाक समझें तो उन के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु इस आदेश को कार्यान्वित करना उन पर निर्भर था। उस समय, से, हम कई बार उन्हें कह चुके हैं कि इन मामलों पर फिर से विचार किया जाय और जहां वह उचित समझें इन्हें मुक्त कर दें। वास्तव में लगभग २०० गिरफ्तार किये ग ेव्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है। मामलों की पुनः जांच निरन्तर हो रही है।

काश्मीर के संबंध में मैं थोड़े शब्दों में कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने के बारे में निश्चय कर लेने पर मेरे लिये सभा में अथवा बाहर इस पर चर्चा करना अनुचित होगा, यद्यपि मैं यह अवश्य कहूंगा कि हाल की जिन नई परिस्थितियों से उत्साहित हो कर पाकिस्तानी विदेश मंत्री चीन के साथ अप ीसीमा के संबं में एक संधि पर हस्ताक्षर .

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हमारी सीमा।

†**श्री नायपाई** : उन की सीमा कौनसी है ? हम तो दावा करते हैं कि काश्मीर भारत का अंग है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्होंने हमारी सीमा का उल्लंघन किया है।

†**श्रीजवाहरलाल नेहरू** : जी हां, इस बात से हमें धक्का पहुंचा है, केवल स्थिति के ुनियादी तथ्यों के कारण ही नहीं बल्कि इसलिये कि ऐसी घटनाओं के लिये एक विशेश समय चुना गया है। सभा को स्मरण होगा कि जब पूर्व में मेरे साथी सरदार स्वर्ण सिंह रावलपिंडी में बातचीत की पहली श्रृंखला के सिलसिले में गये थे तो बातचीत आरम्भ होने से एक दिन पूर्व एक घोषणा की गई थी कि सीमा के संबंध में चीन और पाकिस्तान में सैद्धान्तिक रूप म समझौता हो चुका है। उस घोषणा के लिये भी एक विशेष समय चुना गया था। अब फिर जब सरदार स्वर्ण सिंह थोड़े ही समय में बात चीत के लिये जाने वाले हैं ो यह कदम उठाया गया है इस से कम से कक यह प्रतीत होता है .

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : हमें तो कब से मालूम था कि उन को निमं ण दिया जा रहा है। पीकिंग की ओर से मोहम्मद अली को आमंत्रण दिया गया था। भुट्टो साहब को भी आमं ण मिला था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** कुछ भी हो, इस के लिये जो समय चुना गया है वह महत्वपूर्ण है। मेरे सिचार में यह सोचना उचित ही है कि यह समय निश्चित करना एक स्वाभाविक अथवा आकस्मिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बात नहीं है, बल्कि ऐसा जान बूझ कर ही किया गया है। इसलिये, इस बात से पाकिस्तान सरकार की किसी समझौते पर पहुंचने की ती आकांक्षा का आभास नहीं मिलता। हम ने पाकिस्तान के विदेश मं ी, श्री भुट्टो की चीन यात्रा के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने की बात पर विचार किया है। हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें अपने पूर्व संकल्प के अनुसार बातचीत कर ी चाहिये और इस कारण बातचीत करने से पीछे नहीं हटना चाहिये, यद्यपि यह स्वभाविक है कि इस बात का हमारी बातचीत पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा इसलिये शायद, शायद शब्द का प्रयोग मैं इसलिये कर रहा हूं कि आने वाले कुछ दिनों में मालूम नहीं क्या परिस्थतियां उ त्पन्न हों, उन उत्पन्न होने वाली परिस्थिति ों को सामते रखते हुए ही शायद मैं सरदार स्वर्ण सिंह को बातचीत के लिये कलकत्ता जाने का अनुरोध करूं। क्योंकि स्थिति पर विभिन्न पहलुओं से विचार करना पड़ता है। हमारा विचार है कि केवल इस बात पर बातचीत न करना उचित नहीं होगा। माननीय सदस्य सारी पृष्ठभूमि से परिचित हैं, परन्तु संसार के लिये यही बात विशेष होगी कि बातचीत हमने समाप्त कर ी, यह नहीं कि भुट्टो साहिब समझौता करने चीन गये हैं।

मैं एक दो अन्य मामलों की चर्चा करना चाहूंगा। बहुत से सदस्यों द्वारा निर्दिष्ट भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ुटियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले पर बहुदा बात होती रहती है और इस की ओर निदेश करना उचित भी है यद्यपि बहुधा जो तस ीर खींची जाती है वह वास्तविकता से बढ़चढ़ कर होती है फिर भी, यह एक अत्यावश्यक महत्व की बात है जिस के बारे में दो राहें नहीं हो सकतीं। और मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करते रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि सदस्यों को हमारे प्रयत्नों की सूचना मिलती है या नहीं, अथवा कि क्या इन बातों का प्रचार किया जाता है ; परन्तु प्रत्येक मास मुझे उन सरकारी कर्मचारियों की एक लम्बी सूचि मिलती है, जिन के विरुद्ध, उचित जांच के पश्चात या तो न्यायालय में मुकद्दमें चलाये गये हैं, अथवा विभागीय कार्यवाही की गई है और उन को दण्ड दिया गया है।

हाल ही में एक विवियन बोस जांच प्रतिवेदन निकला जो, मुझे आशा है, कि अब प्रत्येक सदस्य के पास है, क्योंकि यह एक पढ़ने योग्य दस्तावेज है, केवल इसलिये नहीं कि कुछ बातें इस में उल्लिखित हैं, बल्कि इसलिये और भी क्योंकि एक विशेष पृष्ठभूमि थी जिसमें ऐसी बातें हो सकती हैं। यह सच है कि उस पृष्ठभूमि में अब परिवर्तन आ चुका है क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पश्चात् हुईं जबकि कुछ नये कानून, जो अब पारित हो चुके हैं, उस समय नहीं थे। कुछ भी हो, इस बात पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि न केवल किस प्रकार एक अपराधी को दण्ड देने के लिये कार्य किया जाय बल्कि किस प्रकार ऐसी घटनाओं के पुनरावर्तन को यथासंभव रोका जाय।

†श्री हरि विष्णु कामत: क्या संसद को उस प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : निसन्देह, परन्तु हम ने इसे.....

†श्री हरि विष्णु कामत : शीघ्र ही इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह कठिन है, क्योंकि वित्त विधेयक बहुत सा समय ले लेगा। परन्तु एक बात और भी है। हमने उस प्रतिवेदन को प्रसिद्ध वकीलों के पास भेजा है, और उन्हें केवल

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्येक मामले की जांच ही करने के लिये नहीं, वह तो विस्तृत जांच की बात है, बल्कि हमने उनसे परामर्श देने के लिये भी कहा है कि हर एक के विरुद्ध कार्यवाही करने के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं। इसलिये मेरा विचार है कि हमें उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करके ही उसे सभा के समक्ष लाना चाहिये।

मैं एक अन्य मामले की चर्चा करना चाहूंगा। कुछ सदस्यों द्वारा मेरा ध्यान कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस बात की ओर आकर्षित किया है कि पुलिस द्वारा कुर्क की गई कुछ लेखा-पुस्तकों और कुछ कागजात और अन्य वस्तुओं में राज्य मंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों, आदि के नाम पाये गये हैं। मुझे यह सूचना दो अथवा तीन दिन पूर्व ही मिली थी और मैंने जांच की, और इस बारे में अधिक जानकारी के लिये एक प्रतिवेदन मांगा है ताकि हमें मालूम हो कि तथ्य क्या हैं और उनके आधार पर हम कार्यवाही कर सकें।

राष्ट्रीय रक्षा कोष के संबंध में बहुत से सदस्यों ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है .....

†**श्री प्रिय गुप्त :** भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के संबंध में मंत्रियों के लिये भी एक न्याय सभा होनी चाहिये जो कि उनके विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही कर सके।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं न्याय सभा की चर्चा नहीं कर सकता।

राष्ट्रीय रक्षा कोष के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा आरोप लगाया गया है कि धन एकत्रित करने में दबाव डाला जाता है। यदि वास्तव में ऐसा है तो मुझे इस बात का बहुत दुख है क्योंकि हमने बार बार साफ तौर से कहा है, सरकारी तौर से तथा अन्य प्रकार से, कि किसी तरह का दबाव न डाला जाय और अनिवार्यता न दिखाई जाय। क्योंकि इससे जिस प्रकार जनता द्वारा दान दिया गया है, अतः जो एक उत्साहवर्द्धक बात है, वह भावना ही नहीं रहती। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वित्त मंत्री, मैं और कई अन्य लोग भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और इस त्रुटि को समाप्त करने के लिये अपने प्रयत्न जारी रखेंगे।

मैं स्वर्ण नीति के संबंध में एक दो शब्द कहूंगा। मेरे विचार में जहां तक स्वर्ण नीति का संबंध है यदि सभी सदस्य नहीं तो लगभग सभी सदस्य इसे कार्यान्वित करने में सहमत होंगे। मतभेद हो सकते हैं और सुझाव भी दिये जा सकते हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर वित्त मंत्री को निरन्तर विचार करना चाहिये। परन्तु मैं इस मामले पर अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि इस पर शीघ्र ही सभा में चर्चा होने वाली है।

कुछ सदस्यों ने नेफा, नागालैंड, त्रिपुरा और मनीपुर को असम के साथ मिला कर एक मिला जुला राज्य स्थापित करने का सुझाव दिया। मेरा विचार है कि वैसे तो यह एक अच्छा सुझाव प्रतीत होता है परन्तु इस से अधिक कठिनाइयों के उत्पन्न होने की संभावना है, और संबद्ध लोगों द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जायेगा। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम सम्बद्ध लोगों की इच्छा के प्रतिकूल कोई कदम नहीं उठा सकते।

कुछ सदस्यों द्वारा नेफा के साथ सुरक्षित क्षेत्र का सा बर्ताव करने और लोगों के उस क्षेत्र में सुगमता से प्रवेश न कर सकने पर आलोचना की है। किसी हद तक यह बात सच है। परन्तु सभा को स्मरण रखना चाहिये कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में, भारतीय सरकार का नेफा के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रहा है जिस के फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र की ओर अधिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ध्यान दिया जाता रहा है। प्रश्न इस क्षेत्र को भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग रखने का नहीं है। बल्कि इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार वहां कुछ इस प्रकार के परिवर्तन लाने का है कि वहां के रहने वालों को कठिनाइयां न हों और उनमें उत्तेजना उत्पन्न न हो। हमें देश के एकीकरण की ओर अग्रसर होना है परन्तु जनता की इच्छाओं के प्रतिकूल जा कर वह एकीकरण ऊपरी सतह पर ही होगा। इसलिये, वर्तमान काल में, विशेषतया सीमा संघर्षों को दृष्टि में रखते हुये, इस क्षेत्र के संवैधानिक प्रबन्धों में कोई बड़ा परिवर्तन करना अनुचित होगा।

†**श्री हेम बरुआ**: जहां तक इस क्षेत्र के लोगों का संबंध है, आप उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार किस तरह लाना चाहेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि वह यह समझें कि एक सामान्य भारतीय वहां उनका शोषण करने जाता है तो इससे राष्ट्रीय भावना का विस्तार नहीं होगा।

†**श्री हेम बरुआ**: शोषण की रोकथाम तो करनी ही है, परन्तु प्रथक्करण की नीति, जिस के फलस्वरूप लोगों को उस क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाता, पर आग्रह नहीं करना चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : चीनी तो उन लोगों का शोषण कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ**: सीमा की दूसरी ओर चीनी आ जा रहे हैं और लोगों से बन्धुत्व की भावना स्थापित कर रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने तो केवल यह कहा था कि इस क्रिया को जारी रखना चाहिये, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया। यह कार्य शनैः शनैः किया जाने वाला है। यदि आप उनकी भावनाओं को अस्त-वयस्त करेंगे तो फिर उन्हें समझाना कठिन हो जायेगा।

मुझे खेद है कि मैंने इतना समय ले लिया है। क्या मैं कीमतों के संबंध में कुछ कह सकता हूं ? इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अजीब सी बात है कि कुछ सदस्यों ने कीमतों के बढ़ने और कुछ अन्य सदस्यों ने इनके घट जाने की चर्चा की है। सदस्यों द्वारा दो विरोधी प्रवृत्तियों की चर्चा करने का अर्थ यह निकलता है कि कीमतें स्थिर रही हैं।

हमें थोक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिये और थोक मूल्य सामान्यतया स्थिर रहे हैं। वास्तव में, दिसम्बर मास तक मूल्य घटने की प्रवृत्ति रही है। उसके पश्चात् कीमतें कुछ बढ़ी हैं परन्तु बहुत कम मात्रा में। फुटकर कीमतों के संबंध में समस्त भारत के लिये कोई ठीक सूचना प्राप्त करना कठिन है, फिर भी जो सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं वह हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु सामान्यतया फुटकर कीमतों में भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। निर्मित वस्तुओं की कीमतों में भी बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है। कपड़े के संबंध में संभरण-व्यवस्था ठीक रही है और कीमतें अपेक्षतया सन्तोषजनक स्तर तक रही हैं। यह बात ठीक है कि कीमतों का प्रश्न बहुत महत्व-पूर्ण है, और यह प्रश्न योजना आयोग तथा अन्य मंत्रालयों के विचाराधीन है।

धन्यवाद।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं किसी विशेष संशोधन को प्रथक रूप में रखूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मेरे संशोधन का प्रथम भाग श्री रंगा के संशोधन से मिलता जुलता है। इसलिये आप संशोधन संख्या ७ और ८ को इकट्ठे ही रखिये।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी**: मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन संख्या ६ अलग से रखा जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो मैं संशोधन संख्या १, २, ३, ४, ५ और ९ सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

**(संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए)**

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह और जोड दिया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है—

(क) कि चीनियों के भारतीय राज्य क्षेत्र पर रहते हुये भी अभिभाषण में शांति-पूर्वक बातचीत पर बल देकर जनता के नैतिक पतन की चेष्टा की गई है; और अपने दल विशेष को सशक्त बनाये रखने के उद्देश्य से आपात-काल जारी रखा जा रहा है ;

(ख) कि सरकार मित्र देशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने में असफल रही है।" (६)

**लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ : पक्ष में १६, विपक्ष में १७९।**

**संशोधन अस्वीकृत हुआ।**

†**अध्यक्ष महोदय**: अब मैं संशोधन संख्या ७ सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : ७ और ८ को बेशक एक साथ रख दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: परन्तु यदि उन पर मत विभाजन के लिये आग्रह किया जायेगा तो मुझे उन्हें पृथक पृथक रखना होगा।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : तब तो इन्हें पृथक पृथक ही रखा जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह और भी जोड़ दिया जाय, अर्थात् :—

"अभिभाषण में—

(क) संसद् द्वारा नवम्बर में की गई आक्रमण को खाली करवाने की प्रतिज्ञा का समभिहार नहीं किया गया है ;

(ख) अपने राज्य क्षेत्र पर से चीनी आक्रमण को हटाने के उद्देश्य से ठोस उपायों का वर्णन नहीं है।" (६)

**लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ : पक्ष में २०; विपक्ष में १८०**

**संशोधन अस्वीकृत हुआ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : अब मत-विभाजन से पूर्व हमें एक मिनट बोलने की आज्ञा दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय**: वह समय किस लिये चाहते हैं ?

†**श्री त्यागी** : ताकि हमें थोड़ी देर सोचने का अवसर मिल जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह और जोड़ दिया जाय, अर्थात् :—

"अभिभाषण में—

(क) संसद् द्वारा नवम्बर संकल्प, जिस के अनुसार चीनियों को अपने देश से खदेड़ने की प्रतिज्ञा की गई थी, का समभिहार नहीं किया गया, और अपने राज्य-क्षेत्र को खाली करवाने के लिये उपाय नहीं सुझाये गये ;

(ख) राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में जो गति-बद्धता आ गई है उसका वर्णन नहीं है, और प्रतिरक्षा तथा विकास के लिये उसमें गति लाने के लिये प्रभावकारी उपाय नहीं सुझाये गये ;

(ग) चीनी आक्रमण के फलस्वरूप देश में जो उत्साह की लहर उत्पन्न हुई उसका उपयोग करने में आपात का पूरा लाभ न उठाये जाने का वर्णन नहीं है।" (८)

**लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।**

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं अपना मत विपक्ष में देना चाहता हूं। मैंने मत नहीं दिया था। बाहर घंटी न बजने के कारण मुझे पता ही नहीं लगा (**अन्तर्बाधायें**)।

†**कुछ माननीय सदस्य** : अब आप मत नहीं दे सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है : **पक्ष में १९; विपक्ष में १८१।**

**संशोधन अस्वीकृत हुआ।**

†**अध्यक्ष महोदय : अब** मूल प्रस्ताव को सभा के मत विभाजन के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राष्ट्रपति महोदय के अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १८ फरवरी, १९६३ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**इस के पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २८ फरवरी, १९६३/फाल्गुन, ९,१८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में।

# दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २७ फरवरी, १९६३
८ फाल्गुन १८८४ (शक)


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | | ५३७—६१ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १३३ | रेंड़ बांध | ५३७—४० |
| १३४ | भारत में नजरबन्द चीनी | ५४० |
| १४८ | चीनी राष्ट्रजन | ५४०—४२ |
| १३५ | जन-शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम | ५४३—४५ |
| १३६ | दक्षिण भारत में हिन्दी | ५४५—४७ |
| १३७ | सीमित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा | ५४७—४९ |
| १३८ | अनुसूचित आदिम जातियों की समेकित सूची | ५४९—५१ |
| १३९ | नागरिक प्रतिरक्षा योजना | ५५१—५५ |
| १४० | गैर सरकारी तेल कम्पनियां | ५५५—५७ |
| १४१ | अखिल भारतीय शिक्षा सेवा | ५५७—५९ |
| १४२ | अन्दमान के मुख्य आयुक्त के लिये सलाहकार समिति | ५५९–६० |
| १४३ | अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह | ५६०–६१ |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | | ५६२—८० |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १४४ | हिन्दी निदेशालय का बाहर भेजा जाना | ५६२ |
| १४५ | कावेरी के बेसिन में तेल की खोज | ५६२ |
| १४६ | दिल्ली में अपराध | ५६३ |
| १४७ | युद्ध सेवा अभ्यार्थियों के लिये पदों का रक्षण | ५६३–६४ |
| १४९ | बहु प्रयोजनीय स्कूलों का विकास | ५६४ |
| १५० | व्यक्तित्व परीक्षण | ५६४ |
| १५१ | सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी | ५६४–६५ |
| १५२ | आसाम और नेफा में तेल की खोज | ६५ |

**विषय** **पृष्ठ**

## प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमश) :

**अतारांकित**
**प्रश्न संख्या**


| | | |
|---|---|---|
| १९६ | बिहार में तेल की खोज . . . . | ५६५–६६ |
| १९७ | बाल चिकित्सा विज्ञान संबंधी अनुसंधान योजना . . | ५६६ |
| १९८ | संविधान के अनुच्छेद ३११ का संशोधन . . . | ५६६ |
| १९९ | भूतपूर्व शासकों द्वारा पैतृक सम्पत्ति का विक्रय . | ५६६–६७ |
| २०० | शिक्षा के क्षेत्र में छतछात . . . | ५६७ |
| २०१ | दरभंगा में राज नगर स्टेशन के निकट पुरातत्वीय खुदाई . | ५६७ |
| २०२ | शिक्षण तथा परीक्षा पद्धति . . . | ५६७–६८ |
| २०३ | समुद्रविज्ञान संबंधी अनुसंधान . . . | ५६८ |
| २०४ | भारतीय समुद्रविज्ञान अभियान . . . | ५६८ |
| २०५ | उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन . . . | ५६९ |
| २०६ | सिबसागर परियोजना में रूसी विशेषज्ञ . . . | ५६९ |
| २०७ | कालोल तथा अंकलेश्वर में तेल के निक्षेप . . . | ५७० |
| २०८ | कोयले का खनन . . . | ५७० |
| २०९ | कोठागुडम में गहरा खनन . . . | ५७०–७१ |
| २१० | प्रतिबन्धित पुस्तकों की कथित बिक्री . . | ५७१ |
| २११ | औसत आयु . . . . | ५७१ |
| २१२ | केन्द्रीय सचिवालय सेवा . . | ५७१–७२ |
| २१३ | जयपुर में इंजीनियरिंग कालिज . . . | ५७२ |
| २१४ | हिन्दी जानने वाले सरकारी कर्मचारी . . . | ५७२–७३ |
| २१५ | दिल्ली में अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग . | ५७३ |
| २१६ | संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध . . | ५७३ |
| २१७ | मिट्टी का तेल . | ५७४ |
| २१८ | टीन के निक्षेप . . . . . | ५७४ |
| २१९ | गंगटोक के निकट तांबे के निक्षेप . . . | ५७४ |
| २२० | सासनी, अलीगढ़ में मिलने वाली पुरातत्वीय वस्तुयें . | ५७५ |
| २२१ | कोजीकोड प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज . . | ५७५ |
| २२२ | एमरजेंसी कमीशन के लिये आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी . . . . . . | ५७६ |
| २२३ | आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी . | ५७६–७७ |

विषय पृष्ठ

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**


| | | |
|---|---|---|
| २२४ | पंजाब में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी . | ५७७ |
| २२५ | विदेशी भाषाओं में छात्रवृत्ति योजना . . | ५७७ |
| २२६ | विदेश में प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियां . . . | ५७७–७८ |
| २२७ | अशासकीय संगठनों को सहायक अनुदान . . . | ५७८ |
| २२८ | गुरुकुलों को सहायता . . . . | ५७८ |
| २२९ | मध्य प्रदेश में नये विश्वविद्यालय . . | ५७८ |
| २३० | पाकिस्तान को कोयला भेजना . . . | ५७९ |
| २३१ | दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक . . . | ५७९–८० |
| २३२ | दिल्ली में देशी शराब का मूल्य . . . . | ५८० |
| २३३ | अश्लील चित्रों वाले पेन और लाइटरों की बिक्री . . | ५८० |

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५८०—८४**

(१) श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने १८ फरवरी, १९६३ को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के पानी के भारतीय भाग में पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र पुलिस वालों के कथित अनधिकृत प्रवेश और उनके द्वारा गोली चलाये जाने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

(२) दिनांक २५ फरवरी, १९६३ को श्री रामेश्वर टांटिया द्वारा ध्यान दिलाये जाने के उत्तर में वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भारतीय बैंकों पर उसके प्रभाव के बारे में एक वक्तव्य दिया।

**सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५८४–८५**

(१) संविधान के अनुच्छेद ३२० के खंड (३) के परन्तुक के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६४४ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, १९६२।

विषय पृष्ठ

(ख) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६८९ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, १९६२।

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७२९ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२।

(ख) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७३० में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) संशोधन नियम, १९६२।

(३) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १५ दिसम्बर १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७०७ में प्रकाशित खनिज रियायत (पांचवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

(४) कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३१५ में प्रकाशित कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति।

(५) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कापी राइट अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत, दिनांक २३ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४६ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापी राइट (पहला संशोधन) आदेश, १९६३।

(दो) ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता, के न्यासधारियों की कार्यकारिणी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन।

(६) प्रत्यर्पण अधिनियम, १९६१ की धारा ३५ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) उक्त अधिनियम की धारा १ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५५।

विषय पृष्ठ

(दो) उक्त अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५६।

**गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . . ५८५**

तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

**मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . ५८६**

रेलवे मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने निर्यात के लिये रेल से भेजे जाने वाले सामान पर भाड़े की रियायत के बारे में एक वक्तव्य दिया और इस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर भी रखा।

**राष्ट्रपति क अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव . . . ५८७—६३४**

२० फरवरी, १९६३ को प्रस्तुत किये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और तत्संबंधी संशोधनों पर चर्चा जारी रही। प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने चर्चा का उत्तर दिया। सभी संशोधन अस्वीकृत हुये और प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

**गुरुवार, २८ फरवरी, १९६३/९ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिए कार्यावलि**

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३ और वर्ष १९६३-६४ के लिये भारत सरकार के आयव्ययक का उपस्थापन।